



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102020-222521
CG-DL-E-17102020-222521

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3239]

No. 3239]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

गृह मंत्रालय

(जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3654(अ).—केन्द्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) चौथा आदेश, 2020 है।

(2) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे यह भारत राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. तत्काल प्रभाव से, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं किया जाता है, उक्त अनुसूची द्वारा निरसित अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे या यदि इस प्रकार निरसित किया गया है, तो निरसित हो जाएंगे।

4. जहां इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है कि किसी अधिनियम की किसी निर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में, कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे या कतिपय शब्दों का लोप किया जाएगा वहां, यथास्थिति, ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहीं विर्णिष्ट शब्द उस धारा या उसके भाग में आते हैं, किया जाएगा।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि का अनुकूलन करते हैं, या उसका रूपांतरण करते हैं या उसका निरसन करते हैं जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि जिसके अधीन या जिसके अनुसार ऐसी कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, 31 अक्टूबर, 2019 से पहले सम्यक रूप से जारी की गई किसी अधिसूचना, किए गए आदेश, की गई प्रतिबद्धता, कुर्की, बनाई गई उपविधि, बनाए गए नियम या विनियम को या सम्यक रूप से की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में, वैसे ही विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में प्रतिसंहरण, फेरफार या अकृत किया जा सकेगा मानों वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो।

6. इस आदेश की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी विधि का निरसन या संशोधन —

- (क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात को;
- (ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को;
- (ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को;
- (घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को, प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड को वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेश पारित या जारी नहीं किया गया हो।

अनुसूची

(पैरा 3 देखें)

राज्य विधियां

1. जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989

(1989 का 9)

जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, पूरे अधिनियम में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977", "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989", "सरकार", "सरकार का राजपत्र" और "राज्य" शब्दों के स्थान पर, जहां कही वे आते हैं, क्रमशः "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)", "दंड प्रक्रिया संहित, 1973 (1974 का 2), "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार", "राजपत्र" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

धारा 1.- उप-धारा 2 में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" को "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र रखें"।

धारा 2. – (i) खंड (ङ) में उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखें:-

iii. जिला विकास परिषद्;

iv. जिला स्कीम समिति"

(ii) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखें:-

"छ) "जिला विकास परिषद्" से इस अधिनियम के अधीन गठित जिला विकास परिषद्" अभिप्रेत है;

(छछ) "जिला स्कीम समिति" से इस अधिनियम के अधीन गठित "जिला स्कीम समिति" अभिप्रेत है।

(iii) खंड (डड) का लोप करें।

(iv) खंड (प) में उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

"(ii) जिला विकास परिषद।"

धारा 2 के पश्चात नई धारा 2 का अंतःस्थापन –

कतिपय शब्दों का “2-क. पूरे अधिनियम में, “जिला स्कीम और विकास बोर्ड” के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, प्रतिस्थापन “जिला विकास परिषद” रखें।

अध्याय 1 के पश्चात नए अध्याय 1 का अंतःस्थापन -

“अध्याय I-क

वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस

वार्ड मजलिस (वार्ड सभा) 3-क. -(1) धारा 2 की उपधारा (2) के खंड (च) के उपवंधों के अनुसार यथाअवधारित हल्का पंचायत के प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड मजलिस होगी।

(2) वार्ड के सभी वयस्क व्यक्ति जिनका नाम हल्का पंचायत से संबंधित मतदाता सूची में शामिल है, को ऐसी हल्का पंचायत के वार्ड मजलिस का सदस्य समझा जाएगा।

(3) वार्ड मजलिस की तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी और वार्ड मजलिस की बैठक का संचालन ऐसे किया जाएगा, जो विहित किया जाए।

(4) वार्ड मजलिस की बैठक पंच की अध्यक्षता में या उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस इदेश्य से, निर्वाचित वार्ड मजलिस के एक सदस्य की अध्यक्षता में होगी।

(5) वार्ड मजलिस की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के दसवें भाग से कम नहीं होगा, जिसमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं से संबंधित सदस्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में होंगे।

(6) इस धारा के अधीन आयोजित बैठक में किसी भी विषय के संबंध में सभी प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किए जाएंगे।

(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वार्ड के मतदाताओं के कम से कम दस प्रतिशत द्वारा बैठक के स्थान पर विषय निर्दिष्ट करते हुए लिखित में अनुरोध किए जाने पर वार्ड मजलिस की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी:

परंतु तीन महीने की अवधि के भीतर दो विशेष बैठकें नहीं होंगी।

वार्ड मजलिस के कृत्य 3-ख. - वार्ड मजलिस का कृत्य अपने संबंधित अधिकारिता में देह मजलिस की सहायता करना होगा और जिसमें निम्नलिखित कृत्य भी शामिल होंगे, अर्थात्:-

- (i) विकास स्कीमें बनाए, के लिए आवश्यक विवरणों के संग्रह और संकलन में हल्का पंचायत को सहायता प्रदान करना;
- (ii) वार्ड मजलिस के क्षेत्र में कार्यान्वित होने वाली विकास स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रस्तावों को तैयार करना और प्राथमिकता तय करना;
- (iii) वार्ड मजलिस के क्षेत्र से संबंधित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता के क्रम में लाभार्थियों की पहचान करना;
- (iv) विकास स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना;
- (v) सार्वजनिक उपयोगिताओं, सुविधाओं और सेवाओं जैसे स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक जल के नलों, सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक स्वच्छता इकाइयों, सिंचाई सुविधाओं, आदि के स्थान के संबंध में सुझाव देना;
- (vi) स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सावधानी, आदि जैसी सार्वजनिक हित के मामलों पर स्कीमें बनाना और जागरूकता लाना;
- (vii) लोगों के विभिन्न समूहों के बीच सद्व्यवहार और एकता को बढ़ावा देना;

- (viii) सरकार से पेंशन और सब्सिडी जैसी विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पात्रता का सत्यापन;
- (ix) क्षेत्र में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों के प्राक्कलन व्यौरे के बारे में जानकारी एकत्र करना;
- (x) क्षेत्र में कार्यान्वित सभी कार्यों में सामाजिक संपरीक्षा करना और ऐसे कार्यों के लिए उपयोग पुरस्कार और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करना;
- (xi) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल देखभाल और पोषण को बढ़ावा देना;
- (xii) क्षेत्र में अभिभावक-शिक्षक संघों की गतिविधियों में सहायता करना; और
- (xiii) ऐसे अन्य कार्य करना जो विहित किए जाएं।

हल्का
मजलिस (ग्राम
सभा)

- 3ग. - (1) प्रत्येक हल्का पंचायत के लिए एक हल्का मजलिस होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम हल्का पंचायत के क्षेत्र के भीतर गांव या गांव के समूह से संबंधित मतदाता सूची में शामिल किया गया है।
- (2) हल्का मजलिस की बैठकें पंचायत के सरपंच द्वारा या, उनकी अनुपस्थिति में, ऐसी पंचायत के नायब-सरपंच द्वारा बुलाई जाएगी, और सरपंच और नायब-सरपंच दोनों के अनुपस्थित होने की स्थिति में, हल्का पंचायत की बैठक की अध्यक्षता हल्का पंचायत द्वारा प्राधिकृत एक पंच एक द्वारा की जाएगी।
- (3) हल्का मजलिस की बैठक बुलाने और संचालित करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित किया जाए।
- (4) प्रत्येक वर्ष में हल्का मजलिस की कम से कम चार बैठकें होंगी, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होगी।
- परंतु अति-आवश्यक मामले में, हल्का मजलिस की बैठक इस निमित्त विहित ऐसी प्रक्रिया के अनुसार पहले बुलाई जा सकती है।
- (5) पंचायत का सचिव हल्का मजलिस पंचायत की बैठक का कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा और और संबंधित क्षेत्र का पंचायत निरीक्षक ऐसी सभी बैठकों में भाग लेगा और पंचायत सचिव द्वारा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त के सही अभिलेखन के लिए जिम्मेदार होगा।
- (6) हल्का मजलिस की बैठक का गणपूर्ति कुल सदस्यों के दसवें भाग से कम नहीं होगा, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला से संबंधित सदस्य अपनी जनसंख्या के अनुपात में होंगे।
- (7) इस धारा के अधीन हल्का मजलिस को सौंपे गए मामलों से संबंधित कोई भी प्रस्ताव, हल्का मजलिस की बैठक में उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा।

हल्का
मजलिस के
कार्य

- 3 घ. - हल्का मजलिस का कृत्य अपने संबंधित अधिकारिता में हल्का पंचायत की सहायता करना होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-
- (i) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, पंचायत द्वारा ऐसी स्कीमों, कार्यक्रमों और परिस्कीमों का कार्यान्वयन शुरू करने से पहले वार्ड मजलिस द्वारा अनुमोदित स्कीम औं, कार्यक्रमों और परिस्कीमों में से प्राथमिकता क्रम में स्कीमों, कार्यक्रमों और परिस्कीमों को अनुमोदित करना;
 - (ii) विभिन्न वार्ड मजलिसों द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले पहचाने गए व्यक्तियों में से, गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन प्राथमिकता के क्रम में लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों को पहचान या चयन करना;
 - (iii) वार्डों में विभिन्न स्कीमों के अधीन उपयोग किए गए धन के संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुसार सामाजिक संपरीक्षा का संचालन करना;
 - (iv) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु या नकद या दोनों रूपों में अंशदान जुटाना;

- (v) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना;
- (vi) ऐसे क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना;
- (vii) किसी विशेष गतिविधि, स्कीम, आय और व्यय के बारे में सरपंच और पंचायत के सदस्यों से स्पष्टीकरण लेना;
- (viii) वार्ड मजलिस द्वारा सुन्नाए गए कार्यों में से प्राथमिकता के क्रम में विकास कार्यों की पहचान और अनुमोदन करना;
- (ix) लघु जल निकायों की स्कीम बनाना और उनका प्रबंधन;
- (x) गौण वन उत्पादों का प्रबंधन करना;
- (xi) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों और अधिकारियों पर नियंत्रण रखना;
- (xii) आदिवासी उप-स्कीम सहित स्थानीय स्कीम ओं और ऐसी स्कीम ओं के संसाधनों पर नियंत्रण रखना;
- (xiii) ऐसे पंचायत हलका के क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड मजलिस द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार और अनुमोदन करना; और
- (xiv) ऐसे अन्य कार्य करना जो विहित किए जाएं।

धारा 4. -

- (i) उपधारा (2ख) में, “दो बैठकों” के स्थान पर “चार बैठकों” रखें;
- (ii) उपधारा (3) के पहले परंतुक में, “उस पंचायत में पंच स्थानों की कुल संख्या” के स्थान पर “उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पंचायत स्थानों की कुल संख्या रखें”;
- (iii) उपधारा (3) में, “सरपंच सहित” को “सरपंच को छोड़कर” रखें;
- (iv) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करे -
“(3-क) सरपंच का निर्वाचन हलका पंचायत के निर्वाचिकों द्वारा ऐसी रीति से प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, जो विहित किया जाए”;
- (v) उपधारा (4) में, “सरपंच और नायब-सरपंच” के स्थान पर “नायब-सरपंच” रखें।

धारा 5.-

निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित करें:-

“परंतु आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए उपनिर्वाचन या चुनावों की स्थिति में, इस प्रकार निर्वाचित सरपंच, नायब सरपंच या पंच का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल के सह-विस्तारी होगा;

परंतु यह और कि यदि किसी कारण से पंचायत का गठन नहीं किया जाता है और उसके स्थान पर निर्वाचन होता है, तो इस प्रकार निर्वाचित सरपंच, नायब सरपंच या पंच का कार्यकाल ऐसे पंचायत को गठित मानते हुए पंचायतों के आम निर्वाचन के पश्चात पहले पंचायत की तारीख से बाकी कार्यकाल के बराबर होगा।”

धारा 6.-

उपधारा (1) में:-

- (i) खंड (क) का लोप करें; और
- (ii) खंड (i) में, “जम्मू-कश्मीर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1966” के स्थान पर “अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 2)” रखें।

धारा 7. -

खंड (iv) में “छ: लगातार बैठकें” के स्थान पर “तीन लगातार बैठकें” रखें।

धारा 8.-(i)

उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखें:

“(1) जब भी पंच या सरपंच की मृत्यु या इस्तीफे के कारण रिक्ति होती है, तो रिक्ति को निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, परंतु ऐसी रिक्ति के स्थान पर शेष अवधि छह महीने से अधिक हो:

परंतु यह और कि इस प्रकार निर्वाचित पंच या सरपंच का कार्यकाल धारा 5 के उपबंधों के अनुसार होगा और यह कि निर्वाचन पंचायतों के स्थान पर आयोजित आम निर्वाचन के दौरान तैयार किए गए आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगा, जहां इस तरह की रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं या ऐसा निर्वाचन नहीं हो सका।"

(ii) उपधारा (2) में, "सदस्यों की कुल संख्या का 50%" के स्थान पर "निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का 50%" रखें।

धारा 8-क. लोप करें।

धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित करें—

प्रशासक की "9 - (1) (क) यदि सरकार का समाधान है कि ऐसी हलका पंचायत की स्थापना के तुरंत बाद नियुक्ति निम्नलिखित कारणों से किसी गाँव या गाँवों के किसी समूह के स्थान पर हलका पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है -

- (i) हलका पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन कराने में किसी कठिनाई के कारण; या
- (ii) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन लगातार दो चुनावों में ऐसे सदस्यों का निर्वाचन करने में विफलता के कारण; या
- (iii) किसी अन्य पर्याप्त कारण के कारण।

(ख) यदि हलका पंचायत के किसी भी आम निर्वाचन में, या तो कोई सदस्य निर्वाचित नहीं होता है या सरपंच निर्वाचित होता है लेकिन कोई अन्य सदस्य नहीं चुना जाता है, या अन्य सदस्य निर्वाचित होते हैं लेकिन सरपंच निर्वाचित नहीं होता है, तो सरकार अधिसूचना द्वारा एक प्रशासक नियुक्त करेगी, जो सरकार का कर्मचारी होगा:

परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रशासक का कार्यकाल छह महीने की अवधि के लिए होगा, जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तीन महीने की अवधि के स्थान पर बढ़ा सकती है।

(2) यदि सरकार, या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, जिसका स्तर अपर जिला मजिस्ट्रेट से कम नहीं होगा, की राय में, कोई हलका पंचायत इस अधिनियम के किसी उपबंध, या अन्यथा सरकार के अनुदेशों के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपें गए कार्यों के निष्पादन में अक्षम है या अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में लगातार चूक करता है, तो सरकार या ऐसा अधिकारी, सरकार की मंजूरी के पश्चात, अधिसूचना द्वारा, लोकपाल की सिफारिशों के आधार पर, ऐसी हलका पंचायत के अधिकारों का अधिक्रमण कर सकते हैं और एक प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं, जो हलका पंचायत का काम करने के स्थान पर सरकार का कर्मचारी होगा:

परंतु इस उप-धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि हलका पंचायत को इस आशय का कारण बताओ सूचना नहीं दिया जाता है कि ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए:

परंतु यह और कि हलका पंचायत द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के विचार और सिफारिश के स्थान पर जम्मू-कश्मीर पंचायत लोकपाल अधिनियम, 2014 के अधीन नियुक्त लोकपाल के पास भेजा जाएगा।

(3) अधिक्रमण की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी, जिसके दौरान उक्त हलका पंचायत के निर्वाचन कराया जाएगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक ऐसी अवधि के स्थान पर पद धारण करेगा जो सरकार या उसके द्वारा इस प्रयोजन से प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, किंतु यह छह महीने से अधिक नहीं होगी।

(5) उपधारा (2) के अधीन प्रशासक की नियुक्ति पर, -

- (i) सभी व्यक्ति, जो इस तरह की नियुक्ति से पहले, यदि हो, हलका पंचायत के सरपंच सहित हलका पंचायत का सदस्य निर्वाचित हैं, हलका पंचायत के सदस्य नहीं रहे जाएंगे और हलका

पंचायत की सभी शक्तियों और दायित्वों का निर्वहन ऐसे प्रशासक द्वारा किया जाएगा;

(ii) अधिक्रमण की अवधि के दौरान हलका पंचायत में निहित धन और अन्य संपत्ति इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक में निहित होगी।

(6) पूर्ववर्ती उपबंधों में निहित बातों के होते हुए, उप-नियमावली (1) और (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के प्रयोजनों के स्थान पर हलका पंचायत माना जाएगा।"

धारा 10—लोप करें

धारा 11.— "पदत्याग करने वाला और" के स्थान पर "अपने पद से त्यागपत्र दे देता है और ऐसे अधिकारी द्वारा उसके त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने पर" रखें।

धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित करें—

हलका पंचायत की शक्तियां और कृत्य "12.—(1) हलका पंचायत अनुसूची I-क में विनिर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करेगी: परंतु जहां सरकार अनुसूची I-क में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के निष्पादन के स्थान पर धन मुहैया कराती है, वहां हलका पंचायत इस तरह के कार्य करने के स्थान पर सरकार द्वारा अवधारित मार्गदर्शक सिद्धांतों या मानदंडों के अनुसार कार्य करेगी।

(2) उपधारा (1) और अनुसूची I-क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक हलका पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह, अपने पास उपलब्ध निधि के अधीन, निम्नलिखित के स्थान पर धन का उपबंध करें:

- (i) हलका मजलिस के परामर्श से हलका के विकास के स्थान पर स्कीम तैयार करने और समेकन हेतु उन्हें खंड विकास परिषद को समय पर प्रस्तुत करने हेतु;
 - (ii) विकास स्कीम ओं के कार्यान्वयन के स्थान पर उपाय करना;
 - (iii) विशेष रूप से मृदा संरक्षण, जल प्रबंधन, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण औद्योगिकरण, कृषि, भेड़ और पशुपालन, स्वच्छता, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की समस्याओं का समाधान करने हेतु;
 - (iv) इमारतों, दुकानों और मनोरंजन घरों का विनियमन और घृणास्पद या खतरनाक व्यापार पर नियंत्रण;
 - (v) बूचरखानों का निर्माण और रखरखाव, बिक्री का विनियमन और मांस का संरक्षण और खाल और पशुचर्म का प्रसंस्करण;
 - (vi) मच्छली, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले सामानों और खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं परिरक्षण का विनियमन;
 - (vii) मेलों और त्योहारों का नियमन;
 - (viii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित गरीबी दूर करने और रोजगार सृजन के स्थान पर विशेष विकास स्कीम एं बनाना और कार्यान्वयन; और
 - (ix) उपर्युक्त कार्यों के अधिक कुशल निर्वहन के स्थान पर, उससे संबंधित और आवश्यक, विनियमन, पर्यावरक्षण, रखरखाव और समर्थन वाले सभी मामले और जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन हलका पंचायत को सौंपा जाए।
- (3) हलका पंचायत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार पंचायत क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे सभी कार्यों, स्कीम ओं और परिस्कीम ओं का समवर्ती और त्रैमासिक सामाजिक संपरीक्षा भी करेगी।
- (4) हलका पंचायत ऐसे अन्य कार्य और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो उस क्षेत्र के भीतर इसे सरकार, जिला स्कीम और विकास बोर्ड और खंड विकास परिषद द्वारा सौंपें जाएं जिसमें हलका पंचायत गठित है।"

धारा 14.- उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

“(2) हलका पंचायत को अनुसूची 1-ग में विनिर्दिष्ट निधियों, अनुदानों आदि का अवधारित रीति से प्रचालन का अधिकार होगा।”

धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखें।-

- हलका पंचायत द्वारा अधिसूचित रीति से और ऐसे नियमों के अनुसार, यथाअवधारित ऐसी छूटों के अधीन व्यावसायिक भवनों पर फीस अधिरोपित कर सकती है:
- फीस अधिरोपण का अधिभोगी ऐसे मालिक पर देय फीस के स्थान पर उत्तरदायी होगा:
- जाना परंतु यह और कि हलका पंचायत की अनुपस्थिति में, संबंधित खंड विकास अधिकारी को हलका पंचायत द्वारा पहले से लगाए गए फीस और करों की वसूली करने का अधिकार होगा।
- (2) कोई हलका पंचायत निम्न में से किसी या सभी मदों पर भी हलका पंचायत द्वारा अवधारित ऐसी दरों पर और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसी छूट के अधीन फीस लगा सकती है, अर्थात् -
- (क) मनोरंजन पर फीस ;
 - (ख) विज्ञापनों और होर्डिंग्स पर फीस ;
 - (ग) हलका पंचायत के क्षेत्र में रखे गए व्यावसायिक ट्रैक्टरों पर फीस ;
 - (घ) चावल भूसी मिलों, आरा मिलों, आटा मिलों, चावल मिलों, घराटों, ईंट भट्टों, तेल मिलों, बूचड़खानों, पेट्रोल पंपों, निजी अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, नैदानिक केंद्रों, सोडा, बर्फ, आइसक्रीम कारखानों, मसाला पीसने वाली मिलों, मोटर वाहनों, ट्रैक्टर डीलरों, शराब की दुकानों, हॉट वेट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर, पोल्ट्री, डेयरी फार्म, घोड़ा व्यापारियों, लघु उद्योग इकाइयों, मोबाइल टावरों, बिजली संयंत्रों, प्रिंटिंग प्रेस, मिट्टी के तेल, राशन डीलर आदि जैसे हलका पंचायत के क्षेत्राधिकार में व्यवसायों और पेशों पर फीस लगा सकती है;
 - (ङ) हलका पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर सरकार द्वारा उन्हें आवंटित किए गए ऐसे कार्यों के निष्पादन के स्थान पर ठेकेदारों पर फीस ;
 - (च) ट्रैवल एजेंटों और परिवहन एजेंसियों पर फीस ;
 - (छ) मेला, त्यौहार आदि के आयोजन पर फीस जहाँ जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्थान पर आवश्यक व्यवस्था हलका पंचायत द्वारा की जाती है या जहाँ ऐसे मेलों या त्यौहारों का आयोजन पंचायत भूमि पर किया जाता है;
 - (ज) हलका पंचायत के अधिकार क्षेत्र में दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण पर फीस ;
 - (झ) ग्राम पंचायत द्वारा यात्रियों के स्थान पर पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के स्थान पर हलका पंचायत के क्षेत्राधिकार के भीतर रुकने वाली बसों, अन्य यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों पर फीस ;
 - (ज) पशु अनाथालाओं पर फीस ;
 - (ट) ऑप्टिकल फाइबर केबल विद्धाने के स्थान पर सड़क काटने पर फीस ;
 - (ठ) भूविज्ञान और खनन विभाग के दायरे में नहीं आने वाले स्थानीय नालों से छोटे खनिजों की निकासी के स्थान पर रॉयल्टी, जिन्हें कानून के किसी विशेष उपबंध के अधीन रॉयल्टी से छूट नहीं दी गयी है;
 - (ड) प्लास्टिक या पॉलिथीन के उपयोग और खुले में शौच के स्थान पर शास्ति;
 - (ढ) स्वच्छता उपकर; और
 - (ण) सरकार द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे अन्य फीस :

परंतु सरकार हलका पंचायत को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी फीस को रद्द कर सकती है या उसकी दर को संशोधित या परिवर्तित कर सकती है।

धारा 15, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा –

फीसों और “15-क. – हलका पंचायत धारा 15 के अधीन फीस और दरों को, दो वर्ष की अवधि में अधिकतम दरों का एक बार, पुनरीक्षित कर सकती है।”

पुनरीक्षण

धारा 16.- “सरपंच” के स्थान पर “हलका पंचायत” करें।

धारा 19.- अंत में पूर्ण विराम (।) के स्थान पर कोलन (:) रखा जाएगा और उसके पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें- “परंतु ऐसा कोई पुनरीक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि हलका पंचायत को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।”

धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित रखें:-

लेखा और 20. हलका पंचायत की खाता-बहियों का रखरखाव यथानिर्दिष्ट ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से किया संपरीक्षा कराना अपेक्षित होगा:

परंतु यह कि हलका पंचायत के स्थान पर प्रतिवर्ष एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अपने खातों की संपरीक्षा कराना अपेक्षित होगा:

परंतु यह और कि सरकार अवधारित प्राधिकारी के माध्यम से विहित रीति से हलका पंचायत के खाते की संपरीक्षित कराएगी।”

धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित रखें:-

कर्मचारी 26. (1) इसके स्थान पर विहित नियमों के अधीन, कोई हलका पंचायत ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है, जो इस अधिनियम द्वारा उसके स्थान पर अवधारित कर्तव्यों को पूरा करने के स्थान पर आवश्यक है।

(2) एक हलका पंचायत ऐसे कर्मचारियों को पारिश्रमिक का संदाय अपने स्वयं के संसाधनों से करेगा।

(3) सरकार भी इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के स्थान पर अनुसूची I-ख में निर्दिष्ट यथा हलका पंचायत को कर्मचारी प्रदान करेगा।

धारा 27. - उपधारा (3) के अंतिम परंतुक का लोप करें।

धारा 28- उप-धारा (4) लोप किया जाएगा।

धारा 30.- “पंचों और सरपंचों” के स्थान पर “सरपंचों” रखें।

धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित रखें:-

खंड विकास “31.— (1) खंड विकास परिषद अनुसूची II-क में निर्दिष्ट कार्य करेगा:

परिषद् की परंतु जहां सरकार अनुसूची II-क में निर्दिष्ट किसी कार्य के निष्पादन के स्थान पर धन शक्तियां और उपलब्ध कराती है, वहां खंड विकास परिषद ऐसे कार्य के निष्पादन के स्थान पर सरकार द्वारा अवधारित मार्गदर्शक सिंद्धांतों या मानदंडों के अनुसार ऐसे कार्य का निष्पादन करेगी।

(2) उपधारा (1) और अनुसूची II-क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक खंड विकास परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करें:-

(i) पंचायत स्तर की सभी स्कीम ओं का संकलन और जिला स्कीम के साथ एकीकरण के स्थान पर उसे जिला स्कीम और विकास बोर्ड को समय पर प्रस्तुत करना;

(ii) सभी ब्लॉक स्तरीय स्कीम ओं की तैयारी और जिला स्कीम के साथ एकीकरण के स्थान पर उसे जिला स्कीम और विकास बोर्ड को समय पर प्रस्तुत करना;

- (iii) अलग-अलग हलका पंचायतों के मध्य संचार प्रणाली का निर्माण, रखरखाव और पर्यवेक्षण;
 - (iv) हलका पंचायतों को प्रशासनिक और तकनीकी मार्गदर्शन देना और उनके काम का पुनर्विरलोकन;
 - (v) कृषि, ग्रामीण विकास, पशुपालन, भेड़पालन, सामाजिक वानिकी, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित स्कीम आं का पर्यवेक्षण करना;
 - (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास स्कीम, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, मध्याहन भोजन स्कीम और एकीकृत बाल विकास सेवाएं सहित सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित ऐसे कार्यक्रमों की निगरानी;
 - (vii) विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों की प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी के स्थान पर उपाय करना; और
 - (viii) सरकार या जिला स्कीम और विकास बोर्ड द्वारा इसे सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का निष्पादन।
- (3) खंड विकास परिषद इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के स्थान पर और इस संबंध में अवधारित प्रक्रिया के अनुसार यथा अपेक्षित ऐसी उप समितियों का गठन कर सकती है।
- (4) इस निमित्त विहित किए गए ऐसे नियमों के अधीन, खंड विकास परिषद ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है, जो इस अधिनियम द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के स्थान पर आवश्यक हैं।
- (5) खंड विकास परिषद ऐसे सेवकों को अपने स्वयं के संसाधनों से पारिश्रमिक का संदाय करेगी।
- (6) सरकार भी इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के स्थान पर अनुसूची II-ख में यथा निर्दिष्ट ब्लॉक विकास परिषद के लिए उपबंध करेगी।”

धारा 34.-

उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें-

“(3) खंड विकास परिषद के पास अनुसूची II-ग में निर्दिष्ट निधि, अनुदान आदि को विनिर्दिष्ट तरीके से संचालित करने की शक्ति होगी।”

धारा 36.-

(i) उपधारा (1) में दुसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

“परंतु यह और कि इस अधिनियम के अधीन दिसंबर, 2020 तक आम निर्वाचन कराने के उद्देश्य से या जब तक पहले एक पूर्णालिक राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त नहीं किया जाता है, यह अधिनियम के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने और सभी चुनावों के संचालन का पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण मुख्य निर्वाचन अधिकारी में निहित होगा”;

(ii) उपधारा (2) में, “राज्य” और “सरकारी राजपत्र” के स्थान पर क्रमशः “संघ राज्य क्षेत्र” और “राजपत्र” रखें जाएंगे।

(iii) उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित करें:-

“परंतु जब से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के अधीन उद्घोषणा प्रवृत्त हुई, तब से राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जम्मू-कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल द्वारा की जाएगी”;

(iv) उपधारा (4) में, “राज्य” के स्थान पर “संघ राज्य क्षेत्र” रखें;

(v) उपधारा (5) में, “और जम्मू-कश्मीर का संविधान” का लोप करें; और

(vi) “राज्यपाल” के स्थान पर, जहां भी आता है, “उपराज्यपाल” रखें।

धारा 36-क, 36-ख और 36-ग:- “राज्यपाल” के स्थान पर, जहां भी वह आता है, “उपराज्यपाल” रखें धारा

धारा 36-घ.- (i) उपधारा (1) में, “सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977” के स्थान पर “सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)” रखें; और

(ii) उपधारा (2) में, खंड (गग) के पश्चात, परंतुके स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखें -

"परंतु यह कि इस अधिनियम के अधीन दिसंबर 2020 तक साधारण निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए या उससे पहले एक पूर्णकालिक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होने तक निर्वाचन कराने के लिए, इस अधिनियम के अनुसार हलका पंचायतों को अवधारित करने और परिसीमन करने की शक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी में निहित होगी।"

धारा 38.- "प्रत्येक हलका पंचायत" के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन" रखें।

धारा 39.- खंड (i) का लोप करें।

धारा 39 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

हलका पंचायत के सरपंच का निर्वाचन हलका पंचायत के निर्वाचिकों द्वारा किया जाएगा।"

धारा 42.- (i) उपधारा (1) में, "या अधिक्रमण की तारीख के छह मास के भीतर" के स्थान पर "या धारा 9 के अधीन प्रशासक की नियुक्ति की तारीख से छह मास के भीतर" रखें।

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

"(2) ब्लॉक विकास परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन, यथास्थिति, पंचायतों के गठन के तीन मास के भीतर या आकस्मिक रिक्ति के छह मास के भीतर कराया जाएगा।"

धारा 42-क. - (i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

"(1) कोई भी व्यक्ति स्वयं को निर्वाचन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन करा सकता है:-

(क) हलका पंचायत के पंच या सरपंच यदि उसका नाम ऐसी हलका पंचायत की निर्वाचक नामावली में है।

(ख) ब्लॉक विकास परिषद का अध्यक्ष यदि उसका नाम ऐसे जिला विकास परिषद की निर्वाचक नामावली में है।

(ग) जिला विकास परिषद के सीधे निर्वाचित सदस्य यदि उनके नाम ऐसे जिले की किसी हलका पंचायत की निर्वाचक नामावली में हैं।

(ii) उपधारा (2) में, "हलका पंचायत का पंच या अध्यक्ष, ब्लॉक विकास परिषद" के स्थान पर "हलका पंचायत के पंच या सरपंच, अध्यक्ष, ब्लॉक विकास परिषद या जिला विकास परिषद अथवा जिला विकास परिषद के सीधे निर्वाचित सदस्य अथवा अध्यक्ष" रखे जाएंगे;

(iii) उपखंड (3) में,"

(क) "पंचायत निर्वाचन क्षेत्र या ब्लॉक विकास परिषद" के स्थान पर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र या ब्लॉक विकास परिषद अथवा जिला विकास परिषद रखें जाएंगे; और

(ख) अध्यक्ष, ब्लॉक विकास परिषद" के स्थान पर "अध्यक्ष, ब्लॉक विकास परिषद या अध्यक्ष, ब्लॉक विकास परिषद" या जिला विकास परिषद के सीधे निर्वाचित सदस्य रखें;

धारा 43. - "पंच के रूप में" के स्थान पर "सरपंच, पंच के रूप में" और "ब्लॉक विकास परिषद के अध्यक्ष" के स्थान पर "ब्लॉक विकास परिषद के अध्यक्ष या जिला विकास परिषद के निर्वाचित सदस्य अथवा अध्यक्ष रखें जाएंगे।

धारा 45- धारा 45 के स्थान पर निम्नलिखित रखें जाएंगे:-

जिला विकास 45- प्रत्येक जिला के लिए एक जिला विकास परिषद होगी जिसका क्षेत्राधिकार समग्र जिले में होगा लेकिन इसमें जिले का ऐसा भाग शामिल नहीं होगा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के

जिला विकास अधीन नगरपालिका या नगर निगम में शामिल किया गया है।

परिषद का गठन 45क- प्रत्येक जिला परिषद में निम्नलिखित होंगे-

- (क) जिले के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे निर्वाचित सदस्य;
- (ख) जिला के किसी भाग अथवा समग्र भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र जिला के भीतर स्थित है; और
- (ग) जिले के सभी ब्लॉक विकास परिषद के अध्यक्ष:
- (2) उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन जिला विकास परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में उन जिले के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित गए व्यक्ति शामिल होंगे जो समय-समय अधिसूचित किए जाएं और जिनकी संख्या 14 होगी।
- (3) जिला विकास परिषद के सभी सदस्य चाहे वे जिले के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किए गए हैं अथवा नहीं, को जिला विकास परिषद की बैठकों में बोट देने का अधिकार होगा:
- परंतु यह कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन अथवा हटाए जाने के मामले में केवल सीधे निर्वाचित सदस्यों को ही बोट देने का अधिकार होगा।
- (4) सीधे निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों को जिला विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित के लिए आरक्षित रखा जाएगा-
- (क) अनुसूचित जाति; और
- (ख) अनुसूचित जनजाति;
- और इस प्रकार आरक्षित सीधे निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या जिला विकास परिषद में सीधे निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या उस अनुपात में होगी जो जिले की कुल जनसंख्या में उस जिले में अनुसूचित जाति और जिले में अनुसूचित जनजाति की होगी।
- (5) उप-धारा (4) के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या को जो एक तिहाई से कम न हो, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति, जैसा भी मामला हो, से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
- (6) प्रत्येक जिला विकास परिषद में सीधे निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई (जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी शामिल है) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- (7) उप-धारा (4), (5) और (6) के अधीन आरक्षित सीटें जिले में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बारी-बारी से उस तरीके से ऐसे आवंटित की जाएंगी जैसा कि विहित किया जाए।
- (8) जिले का अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त, जिला विकास परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और उसके कार्यों के निपटान में सहायता के लिए जिला स्तरीय अध्यक्ष होगा।
- (9) जिला विकास परिषद का अवधि पांच वर्ष की होगी सिवाय उस मामले के जहां पंचायतों के सभी सोपानों के लिए सामान्य निर्वाचन एक साथ आयोजित किए जाने हैं ताकि उसके सभी सोपान जिले में सम विस्तीर्ण अवधि वाले हों।
- (10) धारा (6) के अधीन यथा उपबंधित हलका पंचायत की सदस्यता से अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधान जिला विकास परिषद के सीधे निर्वाचित सदस्यों पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (11) किसी जिला विकास परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में ऐसे प्राधिकारी को संबोधित करते हुए और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, अपना पद त्याग सकता है और ऐसे प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार होने पर पद रिक्त हो जाएगा।
- (12) या तो पद त्याग या हटाए जाने पर जिला विकास परिषद के पद को रिक्त करने वाला कोई अध्यक्ष जिला विकास परिषद के उपाध्यक्ष को प्रभार सौंप देगा।

(13) उपाध्यक्ष के पद के पहले ही खाली होने की स्थिति में, अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रभार सौंपेगा।

(14) किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा तत्काल उसका कार्यालय रिक्त किया गया समझा जाएगा यदि जिला विकास परिषद की सीधे निर्वाचित सदस्यों की संख्या के कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा निम्नलिखित आधारों पर उसके पक्ष में विश्वास की कमी अभिव्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव इसके लिए विशेष रूप से बुलाई गई एक बैठक में विहित रीति से पारित किया जाता है:-

(i) घोर अवचार;

(ii) कर्तव्य उपेक्षा;

(iii) उप-धारा (10) के अधीन विहित की गई निरर्हता

(iv) जिला विकास परिषद की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित न होना:

परंतु जिला विकास परिषद की बैठकों में मौजूद रहने से विफल होने को उसे पद से हटाए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा यदि ऐसी विफलता उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से है।

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
निर्वाचन

और **45-ख** परिणामों की घोषणा के पश्चात उपायुक्त जितना जल्दी संभव होगा किंतु ऐसी घोषणा के एक सप्ताह से ज्यादा नहीं, शपथ लेने अथवा गठबंधन का प्रतिज्ञान करने के प्रयोजन के लिए जिला विकास परिषद के निर्वाचित सदस्यों की एक बैठक अपनी अध्यक्षता में बुलाएगा।

(2) शपथ अथवा गठबंधन की प्रतिज्ञान का कार्य होने के तत्पश्चात जिला विकास परिषद के निर्वाचित सदस्य विहित तरीके से अपने सदस्यों में से एक सदस्य को जिला विकास परिषद का अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनेंगे।

परंतु यदि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव के कारण कार्यकाल के दौरान रिक्त हो जाता है अथवा रिक्त कराया जाता है, तो ऐसे रिक्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर एक नया निर्वाचन विहित तरीके से उसी श्रेणी से कराया जाएगा।

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जिला विकास परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन आरक्षित सीटें चक्रानुक्रम आधार पर ऐसे तरीके से आवंटित की जाएंगी जैसे की विहित की जाएं।

धारा 45 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा –

कार्य संचालन

“45-ग—(1) बैठकें:

(1). अध्यक्ष एक वित्तीय वर्ष में जिला विकास परिषद की चार बैठकों का आयोजन करेगा, प्रत्येक तिमाही में एक बैठक, जिसे सामान्य या आम बैठक कहा जाएगा। जिला विकास परिषद की प्रत्येक बैठक सामान्यतः जिला विकास परिषद मुख्यालय में आयोजित की जाएगी, परंतु कि जिला विकास परिषद की पहली बैठक उसके गठन के एक मास के भीतर आयोजित की जाएगी।

(2). किसी साधारण बैठक की नोटिस ‘दस पूर्ण दिन’ पहले और समय विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी विशेष बैठक की ‘सात पूर्ण दिन’ पहले नोटिस दिया जाएगा जिस पर ऐसे बैठक होने की और

कई बार किए जाने की संभावना है जिला विकास परिषद सदस्यों को भेजेगा और कार्यालय पर चिपकाएगा।

(3). अध्यक्ष, जब भी उपयुक्त समझे और सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों के लिखित अनुरोध पर और इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर एक विशेष बैठक बुला सकेगा। ऐसे अनुरोध में प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य निर्दिष्ट होगा।

(4). जिला विकास परिषद के कुल सदस्यों की एक तिहाई जिला विकास परिषद कार्य संचालन करने के लिए गणपूर्ति होगा।

(5) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी या यदि वह अनुपस्थित है या यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो उपाध्यक्ष द्वारा और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित सदस्य आपस में एक सदस्य का निर्वाचन अध्यक्षता के लिए करेंगे।

(6) जब तक कि अन्यथा इसके लिए कोई विशेष रूप से उपबंधित न हो, सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा।

(7) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां बैठक के तुरंत बाद कार्यवृत्त-पुस्तिका में विचार-विमर्श अभिलिखित किया जाएगा और बैठक के अध्यक्ष द्वारा पढ़ने के पश्चात उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(8) जिला विकास परिषद द्वारा एक बैठक में पारित किए गए प्रत्येक प्रस्ताव की एक प्रति बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर सरकार को भेज दी जाएगी और कार्यवृत्त की प्रतियां सभी सदस्यों को प्रदान की जाएंगी।

(9). जिला विकास परिषद बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकती है - यदि जिला विकास परिषद को यह प्रतीत होता है कि जिला विकास परिषद के क्षेत्र पर अधिकारिता सरकार के किसी अधिकारी की जिला विकास परिषद की बैठक में उपस्थिति वांछनीय है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठक से कम-से-कम पंद्रह दिन पहले ऐसे अधिकारी को संबोधित एक पत्र के माध्यम से उससे बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध कर सकता है:

परंतु ऐसे पत्र की प्राप्ति पर वह अधिकारी, यदि किसी उचित कारण से बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह बैठक में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने उप या अन्य अधीनस्थ अधिकारी को निदेश दे सकता है।

(10) प्रतिकूल साबित, जिला विकास परिषद या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति की प्रत्येक बैठक, इस अधिनियम के अनुसार जिसकी कार्यवाहियों के संबंध में कार्यवृत्त बनाया गया है और उसपर हस्ताक्षर किया गया है, सम्यक रूप से बुलाई गई और आयोजित की गयी समझा जाएगा और बैठक के सदस्यों को सम्यक रूप से अर्हित मानी जाएगी और जहां कार्यवाहियों एक समिति की कार्यवाहियां हैं, ऐसी समिति को सम्यक रूप से गठित माना जाएगा और उसे कार्यवृत्त में निर्दिष्ट मामले पर कार्रवाई की शक्ति होगी।

(11) जिला विकास परिषद या किसी समिति में किसी रिक्ति के दौरान, वर्तमान सदस्य या एक से अधिक सदस्य ऐसा कार्य करते रहेंगे जैसे कोई पद रिक्त नहीं हुआ है।

स्थाई समितियां 45-घ (1).- प्रत्येक जिला विकास परिषद में निम्नलिखित स्थायी समितियां गठित की जाएंगी, अर्थात्-

- i. वित्त संबंधी स्थायी समिति;
- ii. विकास संबंधी स्थायी समिति;
- iii. लोक निर्माण संबंधी स्थायी समिति;
- iv. स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी स्थायी समिति;
- v. कल्याण संबंधी स्थायी समिति।

(2) प्रत्येक स्थायी समिति में अध्यक्ष सहित सदस्यों जिनके अधीन उसका अध्यक्ष भी है की उनकी संख्या से मिलकर बनेगी जितनी उतने सदस्य होंगे जितना जिला विकास परिषद द्वारा विनिश्चय की जाए, ताकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी निर्वाचित सदस्य स्थायी समिति में से एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हों और प्रत्येक स्थायी समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यथासंभव, बराबर होगी।

(3) जिला विकास परिषद द्वारा विनिश्चय की गई प्रत्येक स्थायी समिति के सदस्यों की संख्या उस परिषद के कार्यकाल के बीच में नहीं बदली जाएगी।

(4) प्रत्येक स्थायी समिति में अपने में से निर्वाचित जिला विकास परिषद स्वयं से चुने जाएंगे और एक सदस्य एक समय में एक से अधिक स्थायी समितियों का सदस्य नहीं होगा, जब तक कि जिला विकास परिषद के सदस्यों की अपर्याप्ति संख्या के कारण ऐसा आवश्यक न हो।

(5) वित्त संबंधी स्थायी समिति को छोड़कर, प्रत्येक स्थायी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन संबंधित स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाएगा।

(6) जिला विकास परिषद का उपाध्यक्ष वित्त संबंधी स्थायी समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष मत देने के अधिकार के बिना सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होगा।

(7) स्थायी समिति के पदेन सदस्य के अलावा कोई सदस्य और वित्त संबंधी स्थायी समिति के अलावा किसी स्थायी समिति का अध्यक्ष विहित प्ररूप में सचिव को त्यागपत्र देकर किसी स्थायी समिति की, यथास्थिति, सदस्यता या अध्यक्षता, से त्यागपत्र दे सकता है और यह त्यागपत्र सचिव द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीख से होगा और सचिव इस तथ्य की सूचना तत्काल अध्यक्ष और जिला विकास परिषद को देगा।

(8) स्थायी समिति के यथास्थिति, अध्यक्षता या सदस्यता से त्यागपत्र देने वाला व्यक्ति, स्वयं या रजिस्ट्रीकृत डाक से, जहां ऐसा त्यागपत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होगा, अपना त्यागपत्र सचिव को भेजेगा और सचिव उसकी पावती देगा।

(9) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी स्थायी समिति के अध्यक्ष या उसके सदस्य का कार्यकाल उस परिषद के कार्यकाल के सहकालिक होगा।

(10) स्थायी समिति के सदस्य पद की आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए रिक्ति ने के तीस दिन के भीतर निर्वाचन कराया जाएगा:

परंतु यह कि जहां काउंसिल के सदस्य की रिक्ति के कारण स्थायी समिति में रिक्त पद नहीं भरा जा सकता है, वहां परिषद का सदस्य की रिक्ति को भरे जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर स्थायी समिति की रिक्ति को भरा जाएगा।

(11) यदि वित्त संबंधी स्थायी समिति के सिवाय किसी अन्य स्थायी समिति के अध्यक्ष का पद आकस्मिक रूप रिक्त हो जाता है, तो स्थायी समिति की अगली बैठक में उसके किसी सदस्य को उसका अध्यक्ष चुना जाएगा।

(12) वित्त संबंधी स्थायी समिति के अलावा किसी अन्य स्थायी समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विहित उपबंधों और प्रक्रियाओं के अधीन लाया जा सकता है और यदि ऐसा प्रस्ताव स्थायी समिति के सदस्यों के बहुमत के अन्यून सदस्यों के समर्थन से पारित किया जाता है तो वह उस स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे और यह माना जाएगा कि उन्होंने स्थायी समिति के अध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त कर दिया है।

(13) वित्त संबंधी स्थायी समिति वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा, बजट, सामान्य प्रशासन और अन्य स्थायी समितियों को आवंटित नहीं किए गए विषयों पर कार्य करेगी।

(14) विकास संबंधी स्थायी समिति विकास स्कीम, सामाजिक-आर्थिक स्कीम, कृषि, मृदा संरक्षण, पशुपालन, लघु सिंचाई, मत्स्य पालन और लघु उद्योग आदि विषयों पर कार्य करेगी।

(15) सार्वजनिक कार्य संबंधी स्थायी समिति सार्वजनिक कार्यों, आवास, स्थानिक स्कीम और

पर्यावरण जैसे विषयों पर कार्य करेगी।

(16) स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी स्थायी समिति सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर कार्य करेगी।

(17) कल्याण संबंधी स्थायी समिति सामाजिक कल्याण, महिलाओं और बच्चों के विकास और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास जैसे विषयों पर कार्य करेगी।

(18) परिषद की स्थायी समितियाँ इस संबंध में बनाए गए नियमों में उसे दी गई शक्तियों और कार्यों के अलावा ऐसी अन्य शक्तियों और कार्यों का निष्पादन कर सकती हैं जैसा कि परिषद द्वारा उसे सौंपी जाएँ।

(19) स्थायी समिति द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव को परिषद की अगली बैठक में रखा जाएगा और यदि आवश्यक हो तो परिषद को ऐसे प्रस्ताव को संशोधित करने की शक्ति होगी।

(20) स्थाई समितियां विहित रीति से अपने कार्य निष्पादित करेंगी और अपने व्यवसाय का संचालन करेंगी।"

धारा 46.-

उपधारा (1) में;

(a) "निम्नलिखित शक्तियां और कार्य" के पश्चात् "अनुसूची III" में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त" अंतःस्थापित किया जाएगा।

(b) खंड (i) के स्थान पर रखा जाएगा –

"(i) अपने प्राधिकार के अधीन जिले के क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रमों की विनिर्मित पर विचार करना और मार्गदर्शन करना तथा विभिन्न स्कीमों के लिए प्राथमिकताओं को करना और अपने प्राधिकार के अधीन जिले के क्षेत्र के त्वरित विकास और आर्थिक उत्थान से संबंधित मुद्दों पर विचार करना;

(c) खंड (ii) के स्थान पर, रखा जाएगा –

"(ii) विकास स्कीम ओं और स्कीमों की प्रगति और उपलब्धियों की आवधिक समीक्षा करना तथा सरकार, जिला विकास समिति, ब्लॉक विकास परिषदों और हलका पंचायतों को ऐसी सिफारिशें करना जो वह समुचित समझे;

(ii-क) ब्लॉक विकास परिषद से सभी ब्लॉक स्तर की स्कीम ओं और समेकित पंचायत स्कीम ओं को प्राप्त करना; सभी स्कीम ओं को जिला स्कीम में संकलित, समेकित और एकीकृत करना तथा जिला स्कीम समिति को अग्रेषित करना जो जिला स्कीम के लिए आधार बनेगी;"

(d) खंड (iii) और खंड (iv) का लोप किया जाएगा।

धारा 47 के स्थान पर, रखा जाएगा:-

कर्मचारिवृद्धि और संपत्ति तथा वित्त 47. (1). ऐसे नियमों के अध्यधीन जो इस निमित्त किए जाएं, जिला विकास परिषद ऐसे कर्मचारीवृद्धि को नियोजित कर सकती है, जो इस अधिनियम द्वारा इसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

(2). जिला विकास परिषद ऐसे कर्मचारीवृद्धि को अपने स्वयं के संसाधनों से पारिश्रमिक का संदाय करेगा।

(3). सरकार भी जिला परिषद के कर्मचारीवृद्धि के लिए प्रबंध करेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं।

(4). प्रत्येक जिला विकास परिषद के पास सरकार से ग्रास और उसके स्वयं के संसाधनों से निर्मित एक निधि होगा जिसे जिला विकास परिषद निधि कहा जाएगा।

(5). जिला विकास परिषद को संपत्ति के अधिग्रहण, धारण या निपटान की अथवा विहित नियमों के अनुसार संविदा करने की शक्तियां होंगी।

अध्याय XII के पश्चात् नए अध्याय का अंतःस्थापन:-

“अध्याय XII-क
जिला स्कीम समिति

जिला स्कीम समिति 47क (1) प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्कीम समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-

- (i) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य;
- (ii) जिले के भीतर के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधानसभा के सदस्य;
- (iii) जिले के जिला विकास परिषद के अध्यक्ष;
- (iv) जिले के नगर क्षेत्र समितियों/नगरपालिका समितियों के अध्यक्ष;
- (v) नगरपालिका परिषद/नगर निगम के अध्यक्ष, यदि कोई हो;
- (vi) जिला विकास आयुक्त;
- (vii) अपर जिला विकास आयुक्त;
- (viii) जिला सांचिकी और मूल्यांकन अधिकारी;
- (ix) मुख्य स्कीम अधिकारी;
- (x) जिला स्तर के सभी अधिकारी समिति के पदेन सदस्य होंगे।

(2) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा।

जिला स्कीम समिति के कार्य 47ख जिला स्कीम समिति निम्नलिखित कार्य करेगी: -

- (i) जिले के लिए विकास कार्यक्रमों के विनिर्मिति पर विचार करना और मार्गदर्शन करना तथा विभिन्न स्कीमों के लिए प्राथमिकताएं सुझाना एवं जिले के त्वरित विकास और आर्थिक उत्थान से संबंधित मुद्दों पर विचार करना;
- (ii) जिले के लिए आवधिक और वार्षिक स्कीम आं के विनिर्मिति के लिए कार्य समूह के रूप में कार्य करना;
- (iii) जिले के लिए स्कीम और गैर-स्कीम बजट तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना।

धारा 52.- “सरकार” के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, “सरकार या कोई अन्य अधिकारी जो इस निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त या प्राधिकृत हो” रखा जाएगा।

धारा 55. - (i) उपधारा (1) में, “रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989” के स्थान पर “भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)” रखा जाएगा, और
(ii) उपधारा (2) में, “न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1971” के स्थान पर “न्यायिक अधिकारी अधिनियम, 1850 (1850 का 18)” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

धारा 62.- “पंद्रह वर्ष की आयु” के स्थान “अठारह वर्ष की आयु” रखा जाएगा।

धारा 64.- उप-धारा (2) में “धारा 488” के स्थान पर “धारा 125” रखा जाएगा।

धारा 79 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन करें –

हलका पंचायत, आदि की भूमिका विनिर्दिष्ट करने की “79क—(1) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, समय-समय पर, अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित कार्यक्रमों, स्कीमों और गतिविधियों की बाबत, ऐसे कार्यक्रमों, स्कीमों और गतिविधियों का ठीक से समन्वित और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, हलका पंचायतों, ब्लॉक विकास परिषद और जिला विकास परिषद की भूमिका निर्दिष्ट कर सकेगी।
(2) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों में शामिल या उल्लिखित गतिविधियों, कार्यक्रमों या स्कीमों में कोई गतिविधि, कार्यक्रम या स्कीम जोड़ सकेगी और इस तरह की अधिसूचना के

सरकार की जारी होने पर, अनुसूचियों को तदनुसार संशोधित किया गया माना जाएगा तथा प्रत्येक ऐसी शक्ति। अधिसूचना विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।"

अनुसूची.- प्रविष्टि (च) का लोप करें और प्रविष्टि (ख), प्रविष्टि (ग), प्रविष्टि (घ), प्रविष्टि (ड) और प्रविष्टि (झ) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी -

"(ख) पशु अतिचार अधिनियम, 1871 के अधीन अपराध।

(ग) टीका अधिनियम, 1880 के अधीन अपराध।

(घ) पशुओं के प्रति कूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन अपराध।

(ड) सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 के अधीन अपराध।

(झ) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अधीन अपराध।"

नई अनुसूची का अंतःस्थापन

विद्यमान अनुसूची के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें: -

"अनुसूची I-क

(धारा 12 देखिए)

साधारण

- I यह हलका पंचायत का कर्तव्य होगा कि वह इस अनुसूची में प्रमाणित मामलों और, हलका पंचायतों की बावत दायित्व आलेख्यन में वर्णित मामलों के संबंध में भी, निधि की उपलब्धता के अधीन, हल्का पंचायत क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करे।
- II इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और दिशानिर्देशों के अधीन और सरकार की वित्तीय, तकनीकी या की सहायता से, हलका पंचायत को इस अनुसूची में प्रमाणित मामलों को प्रशासित करने और विकास एवं सामाजिक न्याय के प्रयोजनों के लिए उससे संबंधित स्कीमें तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने से संबंधित स्कीमों को तैयार करने और लागू करने की शक्ति होगी, तथा भारत सरकार द्वारा यथास्थिति, आरंभ या आरंभ की जाने वाली सभी केंद्र प्रायोजित स्कीम, की हलका पंचायत में स्कीम बनाना और कार्यान्वयन भी पंचायतों का उत्तरदायित्व होगा।
- III हलका पंचायत स्कीमों के दिशानिर्देशों और भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी अनुदेशों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सभी स्कीमों के लिए स्कीम तैयार करेगी और लागू करेगी।
- IV हलका पंचायत सरकार द्वारा जारी व्यय अनुमोदन के साथ ही परिस्कीम ओं के आकलन के लिए दिशा निर्देशों के सेट के अनुसार अपने कार्यों का संचालन करेगी।

(क) साधारण कार्य:-

- (i) जिला स्कीम और विकास बोर्ड (डीपीएंडडीबी) द्वारा विहित लक्ष्यों के अनुसार पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए साधारण और सभी स्कीम ओं और कार्यक्रमों के अधीन अलग से वार्षिक स्कीम तैयार करना।
- (ii) वार्षिक बजट तैयार करना।
- (iii) प्राकृतिक आपदाओं में राहत प्रदान करना।
- (iv) सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाना।
- (v) सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और योगदान का आयोजन।
- (vi) गाँवों के आवश्यक आँकड़ों का रखरखाव।
- (vi) सभी लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए लाभार्थियों की पहचान।
- (vii) सभी सरकारी संपत्तियों की मरम्मत, रखरखाव और अनुरक्षण।

- (viii) प्राथमिक स्तर के सभी प्राथमिक संस्थाओं जैसे प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक पशु चिकित्सा केंद्र, पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र इत्यादि का पर्यवेक्षण और निरीक्षण।
- (ix) हलका पंचायत के लिए शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य करना।
- (x) हलका पंचायत क्षेत्र के भीतर हलका पंचायत निधि (स्वयं के संसाधनों) से कार्य करना।
- (xi) समय-समय पर विहित की गई स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा, लिंगानुपात सुधार, कौशल विकास, जल संरक्षण, अपशिष्ट से ऊर्जा, वित्तीय समावेशन आदि जैसे सभी सरकारी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए जागरूकता सृजन और समुदाय को एक साथ लाना।

(ख). विशिष्ट कार्य:-

1. कृषि, बागवानी, पशुपालन, भेड़ पालन और मत्स्य पालन:-

- (i) उत्पादन बढ़ाने के लिए हलका मजलिस (ग्राम सभा) के परामर्श से गाँव के लिए एक व्यापक बागवानी, कृषि, रेशम उत्पादन स्कीम के अधीन गतिविधियों की तैयारी और पर्यवेक्षण।
- (ii) कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी स्कीम, एकीकृत बागवानी विकास मिशन स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क स्कीम, नीली क्रांति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई स्कीम या कोई अन्य प्रवृत्त या भविष्य में पुरास्थापन की जाने वाली स्कीम के अधीन वार्षिक स्कीम एं तैयार करना और लाभार्थियों की पहचान तथा ब्लॉक विकास परिषद को उसे प्रस्तुत करना।
- (iii) भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बंजर भूमि और चरागाह के विकास संबंधी स्कीम एं तैयार करना।
- (iv) हलका पंचायत निधियों (स्वयं के संसाधनों) से पौधशालाओं की स्थापना और रखरखाव।
- (v) कृषि यंत्रीकरण के लिए स्कीम की तैयारी, सिफारिश और पर्यवेक्षण।
- (vi) मृदा, जल संरक्षण और बीज संरक्षा के लिए स्कीम ओं की तैयारी और पर्यवेक्षण।
- (vii) वाटरशेड प्रबंधन स्कीम एं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन।
- (viii) कृषि बीमा स्कीम ओं का पर्यवेक्षण और उनका कार्यान्वयन।
- (ix) कृषि और बागवानी विस्तार गतिविधियां जिसके अंतर्गत खेत स्कूल, अनुभव यात्राओं, फसल सुरक्षा और कीट प्रबंधन अभियानों, प्रदर्शनों आदि भी हैं को सुगम बनाना।
- (x) आपदाओं की स्थिति में हानि विवरण तैयार करने का पर्यवेक्षण करना।
- (xi) आदानों का वितरण।
- (xii) दूध, ऊन, मुर्गी पालन और सहकारी समितियों के विरचना को बढ़ावा देना।
- (xiii) दूध संग्रह केंद्रों और सोसाइटियों की निगरानी और पर्यवेक्षण।
- (xiv) ग्रामीण कृषि उत्पादों, शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और ऐसे मंडियों में बाजार मूल्य प्रदर्शित करने के लिए हलका पंचायत में सार्वजनिक बाजार सुविधाओं (मंडियों) की स्थापना और प्रबंधन के लिए स्थानों की पहचान करना।
- (xv) मेलों और त्योहारों जिसके अधीन पशु मेले भी हैं का विनियमन और संचालन।
- (xvi) कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए भंडारण और प्रशीतन गृहों की सुविधाएं प्रदान करना।
- (xvii) कृषि और बागवानी उत्पादन के प्रत्यक्ष विपणन और ई-विपणन के लिए किसानों को सुविधा प्रदान करना।
- (xviii) दूध, ब्रायलर और अंडा उत्पादन और इसके उप-उत्पादों को बढ़ाने के लिए स्कीम तैयार करना।
- (xix) निजी उद्यमियों को सहारा देना सुकर बनाना।
- (xx) डेयरी किसानों के लिए सहयोगकारी सहकारी मॉडल को बढ़ावा देना।
- (xxi) क्षेत्र में चारा विकास, वर्मी-खाद और जैविक खेती को बढ़ावा देना।

- (xxii) प्राथमिक पशु चिकित्सा केन्द्रों, पशु चिकित्सा औषधालयों और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का पर्यवेक्षण।
- (xxiii) पंचायत क्षेत्रों में विभाग के भवनों का संनिर्माण और रखरखाव, जहाँ भी इन्हें हलका पंचायतों को अंतरित किया गया हो।
- (xxiv) मछली पालन में प्रशिक्षण के लिए मछली किसानों की पहचान करना और मत्स्य विभाग की सहायता से उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

2. जन स्वास्थ्य इंजीनियरी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग:-

- (i) हलका पंचायत क्षेत्र के भीतर 0-5 हेक्टेयर क्षेत्र वाले सभी लघु सिंचाई परिस्कीम ओं की स्कीम, संनिर्माण, पुनरुद्धार और रखरखाव।
- (ii) हलका पंचायत स्तर पर 0-5 हेक्टेयर के भीतर ऐसी सभी लघु या सूक्ष्म सिंचाई परिस्कीम ओं का रखरखाव और उनके जल का समय पर और समान वितरण और पूर्ण उपयोग को कार्यान्वित करना।
- (iii) भूजल संवर्धन और वर्षा जल संचयन स्कीमों और परिस्कीम ओं के लिए स्कीम का विकास तथा उनका कार्यान्वयन।
- (iv) हलका पंचायत क्षेत्र के भीतर सभी जल स्रोतों के अभिलेखों का मानचित्रण और प्रबंधन।
- (v) विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जनशक्ति के माध्यम से हैंड पंपों का रखरखाव।
- (vi) सिंचाई चैनलों और खुलों का रखरखाव।
- (vii) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपाय करना।
- (viii) संभावित या विद्यमान स्कीमों की पहचान और पर्यवेक्षण।
- (ix) हलका पंचायत क्षेत्र के भीतर सभी जलापूर्ति स्कीमों और जलाशयों के लिए क्लोरीनीकरण रोस्टर तैयार करना और क्लोरीनीकरण की तारीखों का प्रदर्शन सुनिश्चित करना।
- (x) पेयजल स्कीमों और गुणवत्ता पर स्कीम के लिए अपेक्षित आंकड़े और जानकारी एकत्र करना।
- (xi) पारंपरिक पेयजल स्रोतों का रखरखाव।
- (xii) परीक्षण के लिए पेयजल स्रोतों से पानी के नमूनों का संग्रह।
- (xiii) भूजल के दोहन पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों की सहायता करना।
- (xiv) उपयोगकर्ता प्रभार का संग्रह, जहाँ आवश्यक हो।
- (xv) हलका पंचायतों को अंतरित सीमा तक पाइप जलापूर्ति स्कीमों का रखरखाव।
- (xvi) स्वयं के संसाधनों से स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थाओं में जल शोधन उपकरणों का उपबंध और रखरखाव।

3. वन और सामाजिक वानिकी:-

- (i) बंजर भूमि पर वनारोपण।
- (ii) सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी का विकास, सामाजिक वानिकी उत्पादों का निपटान।
- (iii) पशु चारा, आग की लकड़ी और फलों के लिए पेड़ उगाना।
- (iv) कृषि वानिकी का कार्यान्वयन।
- (v) नरसरी की स्थापना और उनका प्रबंधन।
- (vi) आरक्षित वन, संरक्षित वन और वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र के अलावा छोटे वन उपज का प्रबंधन।
- (vii) सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी परिस्कीम ओं की स्कीम तैयार करना और उनका कार्यान्वयन।
- (viii) हलका पंचायत के नियंत्रण में सड़क के किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण और संरक्षण।

- (ix) अतिक्रमणों से वन क्षेत्र का संरक्षण और किसी भी अविधिमान्य गतिविधि की सूचना संबंधित अधिकारी या कार्यकारी को देना।
- (x) विभिन्न स्कीमों / स्कीमों के अधीन प्रतिकरात्मक वनारोपण निधि प्रबंधन और स्कीम प्राधिकरण (सीएएमपीए) या वनारोपण गतिविधियों के लिए स्थलों की पहचान।
- (xi) वन्य जीव का पर्यवेक्षण और संरक्षण।
- (xii) स्थानीय लोगों के समन्वय में वन की आग को बुझाने में वन विभाग की सहायता के लिए अग्रि सुरक्षा समितियों का गठन।

4. पर्यटन : -

- (i) हलका पंचायत क्षेत्र में पर्यटन स्थलों की पहचान और उनके विकास का प्रस्ताव।
- (ii) पर्यटन गतिविधियों के लिए सुविधा प्रदान करना।
- (iii) हलका पंचायत को सौंपे गए पर्यटन केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का उपबंध और रखरखाव।
- (iv) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या अन्य स्थानीय अधिकारियों या सरकारी विभागों द्वारा अनुरक्षित स्थानों के अलावा अन्य पर्यटन स्थलों पर प्रवेश फीस, पार्किंग फीस का संग्रहण।

5. लोक निर्माण (सड़क और भवन विभाग) : -

हलका पंचायतों को अंतरित कार्यों का नियोजन और निर्माण।

6. ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत शक्ति और ऊर्जा : -

- (i) सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर स्ट्रीटलाइट्स की संस्थापना और रखरखाव।
- (ii) हलका पंचायत निधियों से और छोटी पारंपरिक और गैर-पारंपरिक ऊर्जा इकाइयों, जैसे और जिसमें छत पर सौर पैनल, बायोगैस, विंड मिल और माइक्रो हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्लांट भी हैं, के लिए स्कीम बनाना, स्थापना, रखरखाव और संवर्धन।
- (iii) अन्य पक्षों को अतिरिक्त गैर-पारंपरिक ऊर्जा की बिक्री।
- (iv) विद्युतीकरण के लिए बचे हुए और नवनिर्मित मकानों की पहचान।
- (v) प्रोत्साहन के आधार पर विद्युत विकास विभाग की ओर से उपयोगकर्ता फीस के संग्रहण पर विनिश्चय लेना और इसे अधिसूचित करना एवं अपने क्षेत्र में 100% मीटर लगाना सुनिश्चित करना।

7. आपदा प्रबंधन : -

- (i) आपदाग्रस्त इलाकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना।
- (ii) आपदा प्रबंधन सुविधाओं का सृजन और अनुरक्षण।
- (iii) आपदा की स्थिति से निपटने के लिए जनशक्ति और धन के रूप में स्थानीय संसाधनों की पहचान।
- (iv) ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों का सृजन; नागरिक सुरक्षा कर्मियों की पहचान और रजिस्ट्रीकरण।
- (v) आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए युवाओं की पहचान।
- (vi) हलका पंचायत के स्वयं के संसाधनों और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आपदा पीड़ितों को राहत और प्रतिकर प्रदान करना।

8. पुस्तकालय : -

हलका पंचायत स्तर के पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना, प्रबंधन और मॉनीटर करना जिसके अधीन स्वयं के संसाधनों के माध्यम से बैठने की सुविधाएं, किताबें और उनका कम्प्यूटरीकरण भी है।

9. खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ : -

- (i) स्कूलों के अंदर और गाँव की भूमि पर खेल के मैदानों की स्थापना और रखरखाव।

- (ii) हलका पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक गतिविधियों का संरक्षण और पुनरुत्थान।
- (iii) युवा क्लबों का संवर्धन।
- (iv) गरीब और जरुरतमंद कलाकारों की सहायता करना।
- (v) सांप्रदायिक और धार्मिक सङ्घाव बनाए रखना।
- (vi) हलका पंचायत और क्लस्टर स्तर पर सांस्कृतिक केंद्र, सामुदायिक हॉल और ओपन एयर थिएटर का निर्माण और प्रबंधन।
- (vii) हलका पंचायत और क्लस्टर स्तर पर युवा उत्सवों और खेल आयोजनों, कला और संस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन और नाटकों का मंचन।
- (ix) जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना, नेतृत्व प्रशिक्षण देना और युवाओं के लिए मनोरंजक गतिविधियों का संचालन करना।

10. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग: -

- (i) हलका पंचायत स्तर पर औषधालयों और स्वास्थ्य उप-केंद्रों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को अग्रेषित करना और सक्षम प्राधिकार से मंजूरी प्राप्त करना।
- (ii) भोजनालयों और मनोरंजन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस के लिए निराक्षेप प्रमाण पत्र।
- (iii) आवारा कुत्तों, गलियों में धूमने वाले कुत्तों और आवारा पशुओं का प्रबंधन; पशुओं के रखने के स्थान के प्रबंधन के लिए स्थलों की पहचान।
- (iv) महामारी के खिलाफ निवारक और उपचारात्मक उपायों का कार्यान्वयन।
- (v) मातृत्व और बाल कल्याण केंद्रों की मॉनीटरी करना और सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- (vi) मांस, मछली और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की विक्री का विनियमन।
- (vii) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था के कामकाज की देखरेख और उसके सुधार के लिए तथा उप केन्द्रों का संचालन उनके निवास स्थान के निकट सुनिश्चित करने के लिए गाँव, वार्ड, , ओपिनियन लीडर, प्रशिक्षित जचगी कराने वाली दाई , पुरुष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सदस्य सचिव), सरकारी कर्मचारी और मानदेय संदाय के आधार पर कर्मचारी जैसे स्कूल शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि, महिला स्वयं सहायता समूह और समुदाय आधारित संगठन के प्रतिनिधि, आदि को शामिल करते हुए "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सलाहकार समिति" का गठन तथा समिति की अध्यक्षता हलका पंचायत के सरपंच द्वारा की जाएगी, जिसके क्षेत्र में संस्था पड़ती है और समिति ब्लॉक विकास परिषद को एक तिमाही उत्तरदायित्व रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- (viii) उपर्युक्त समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति के रूप में भी कार्य करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति को आवंटित धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशानिर्देशों के अधीन प्रदान की गई पंचायती राज संस्थान के सदस्य और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा संयुक्त खाते के माध्यम से संचालित की जाएगी।
- (ix) मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा और जननी सुरक्षा स्कीम , जननी शिशु सुरक्षा शिक्षाकर्म के अधीन प्रसव के दौरान और प्रसवोत्तर देखभाल और लाभों को माँ और बच्चे तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- (x) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम या किसी अन्य स्कीम के अधीन "स्कूल हेल्थ चेकअप प्रोग्राम" का पर्यवेक्षण करना और सुविधा प्रदान करना तथा इस बात की मानीटरी करना कि सभी बच्चे देखभाल के अगले स्तर की देखरेख सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।

- (xi) कुओं और बावड़ियों का क्लोरीनीकरण; सड़कों और नालियों की सफाई; आवारा कुत्तों और मवेशियों की स्वच्छता और नियंत्रण। (पशु के प्रति कूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के अनुसार)
- (xii) गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मलेरिया, डेंगू या किसी अन्य महामारी या बीमारी के प्रकोप की रिपोर्ट करना और स्वास्थ्य समितियों की सहायता से रोकथाम के लिए उपाय शुरू करना।
- (xiii) परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने, टीकाकरण आदि के लिए समुदाय को शिक्षित करना और इसके शिविरों का आयोजन करना।
- (xiv) जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग।
- (xv) आयुष्मान भारत के अधीन स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के उन्नयन के लिए उप-केंद्र की पहचान करना और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की मानीटरी करना।
- (xvi) सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) आरंभ करना और उनका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- (xvii) थेट्र दौरा रिपोर्ट मासिक आधार पर ब्लॉक विकास परिषद को सौंपी जानी चाहिए।
- (xviii) स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- (xix) 100% गैर संचारी रोगों की जांच के लिए लाभार्थियों को जुटाने में सहायता करना।
- (xx) ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों, केंद्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को दिए गए अनुदान के उपयोग की समीक्षा और हल्का पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाए रखने और उन्नत करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- (xxi) शारीरिक गतिविधियों, खुले जिम, योग आदि के लिए खुले केंद्र बनाने में सहयोग प्रदान करना।
- (xxii) हल्का पंचायत को तंबाकू / शराब मुक्त बनाना।
- (xxiii) विशेष रूप से टीबी, वायरल हेपेटाइटिस और कुष्ठ रोग के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्कीम बनाना और समय-समय पर उनकी समीक्षा करना।

11. समाज कल्याण विभाग: -

- (i) एकीकृत बाल विकास स्कीम के अधीन पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थियों की पहचान और उनका कार्यान्वयन।
- (ii) आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए स्थलों की पहचान।
- (iii) आंगनबाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण और प्रबंधन हल्का पंचायत को अंतरित करना।
- (iv) हल्का पंचायत को अंतरित किये गए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवनों का निर्माण, मरम्मत और नवीकरण।
- (v) कार्यक्रम के सुचारू संचालन में महिला मंडल के साथ समन्वय करना।
- (vi) प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना स्कीम (PMMVY) और किशोर लड़कियों के लिए स्कीम (SAG) के अधीन लाभार्थियों की पहचान।
- (vii) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) और एकीकृत सामाजिक सुरक्षा स्कीम (ISSS) के अधीन लाभार्थियों की पहचान; विद्यमान पेंशनरों का सत्यापन और मृत और गैर-पात्र मामलों से बाहर निकलना।
- (viii) एनएसएपी और आईएसएसएस के अधीन सभी भुगतानों का संवितरण।
- (ix) बाल आश्रम और नारी निकेतन और अन्य बाल देखभाल संस्थाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान।
- (x) बाल कल्याण समितियों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के माध्यम से एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के अधीन देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान।

- (xi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, वृद्धों, निराश्रितों, विधवाओं और बच्चों के कल्याण के लिए स्कीमों के क्रियान्वयन में ब्लॉक विकास परिषद के साथ समन्वय करना ।
- (xii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं की पहचान करना और कार्रवाई के लिए ब्लॉक विकास परिषद, जिला स्कीम और विकास बोर्ड और संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना।
- (xiii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान करना और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए उपाय सम्बन्धी सुझाव देना ।
- (xiv) मादक द्रव्यों के सेवन, कन्या भूषण हत्या और घरेलू हिंसा के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और साथ ही सभी स्कीमों का कार्यान्वयन जिसके अधीन पोषण अभियान, लाडली बेटी, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या भविष्य में शुरू की गई कोई अन्य स्कीम भी है सभी के लिए ब्लॉक विकास परिषद और जिला स्कीम और विकास बोर्ड के साथ समन्वय करना ।
- (xv) महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बनाए गए विधियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ब्लॉक विकास परिषद तथा जिला स्कीम और विकास बोर्ड के साथ समन्वय करना।

12. उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग: -

- (i) शिकायत निवारण अभिकरण के रूप में कार्य करना और आवश्यकता पड़ने पर उचित मूल्य की दुकानों और सरकारी बिक्री केंद्रों को निदेश जारी करना।
- (ii) फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए पहचान करना और नए राशन कार्ड जारी करने की सिफारिश करना ।
- (iii) हल्का पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अधीन उचित दर दुकानों और सरकारी बिक्री केंद्रों का पर्यवेक्षण।
- (iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एकीकृत बाल विकास स्कीम, मध्याह्न भोजन स्कीम आदि से जोड़ने के लिए कार्य स्कीम तैयार करने में ब्लॉक विकास परिषद की सहायता करना।
- (v) वार्षिक आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अधीन अर्थात् अंत्योदय अन्न स्कीम, प्राथमिकता वाले परिवार, गैर प्राथमिकता परिवार की पहचान करना और उनके नाम हटाना ।
- (vi) जहां अपेक्षित हो, नए उचित दर दुकानों और मिट्टी के तेल डिपो खोलने के सम्बन्ध में सुझाव देना ।

13. ग्रामीण विकास विभाग: -

(क) साधारण कार्य: -

- (i) सार्वजनिक सड़कों, नालों, स्नान घाटों, टैंकों, कुओं, तालाबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई और संरक्षण।
- (ii) कब्रिस्तान और श्मशान भूमि की स्थापना और रखरखाव।
- (iii) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों, जल संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन, वर्मी-खाद निर्माण आदि पर जोर देना।
- (iv) पशु फार्म, सामुदायिक पशु शेड, पाउंड, ग्रामीण बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, टैक्सी, ऑटो स्टैंड, कार्ट स्टैंड, बूचड़खाने और वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण और रखरखाव और इन प्रयोजनों के लिए उपयोगकर्ता फीस का संग्रह।

(ख) मनरेगा: -

- (i) नियमित ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से ग्राम सभा के समन्वय में श्रम बजट तैयार करना, परिस्कीमों का कालनिर्धारण करना और वार्षिक कार्य स्कीम तैयार करना और विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार हल्का पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को सख्ती से लागू करना।
- (ii) जिला स्कीम और विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य स्कीम और जिला अभिसरण स्कीम के अनुसार कार्यों का निष्पादन (80% जिला स्कीम पंचायतों के लिए और 20% जिला विकास अंतर पंचायत कार्य आयुक्त के लिए विहित)।
- (iii) स्कीम के अधीन सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए हल्का मजलिस (ग्राम सभा) का आयोजन करना और लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित सामाजिक लेखापरीक्षा दल को सभी जानकारी प्रदान करना।
- (iv) कार्य के लिए जॉब कार्ड और श्रमिक मांग के संबंध में आवेदन प्राप्त करना और उस के प्रति दिनांकित रसीद जारी करना।
- (v) आवेदन के एक महीने के भीतर परिवारों को जॉब कार्ड जारी करना।
- (vi) ऐसे आवेदकों, को जो श्रम की मांग करते हैं पंद्रह दिन की कानूनी अवधि के भीतर कार्य का मिल जाना सुनिश्चित करना और ऐसा करने में विफलता की दशा में अपनी स्वयं की निधियों से बेरोजगारी भत्ता का संदाय करना।
- (vii) काम आरंभ होने के पंद्रह दिन के भीतर मस्टर-शीट तैयार करना और उसके पश्चात पाक्षिक मस्टर सीटों को तैयार किया जाना सुनिश्चित करना।
- (viii) मस्टर-सीटों को तैयार करने के पंद्रह दिन के भीतर मजदूरी चाहने वाले व्यक्तियों के लिए मजदूरी संदाय सुनिश्चित करना और ऐसा करने में विफलता की दशा में अपने संसाधनों से विलंब के लिए प्रतिकर का संदाय करना।
- (ix) प्रत्येक मास की पहली तारीख को ग्राम रोजगार दिवस और प्रत्येक मास की 15 तारीख को महिला मजदूर दिवस का आयोजन करना।
- (x) कार्य स्थल की सुविधाओं जैसे पीने का पानी, प्राथमिक उपचार, कार्य स्थल पर दस या अधिक बालकों के उपस्थित होने की दशा में बालकों की देखभाल की सुविधाओं आदि का उपबंध।
- (xi) विहित नियमों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना और संदाय करना।
- (xii) सभी पंचायतों से संबंधित अभिलेखों के संरक्षक के रूप में कार्य करना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन यथा विहित प्रत्येक व्यक्तिगत कार्य और रजिस्टरों के लिए पंचायत आस्ति रजिस्टर, मामला अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करना।
- (xiii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन जीपी स्तर पर 60:40 (श्रम सामग्री अनुपात) का रखरखाव।
- (xiv) स्कीम के अधीन जागरूकता सृजन और सामाजिक गतिशीलता।
- (xv) प्रमुख सामग्री जैसे रेत, पत्थर और बजरी की आपूर्ति के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण।

(ग) ग्रामीण स्वच्छता (एसबीएम): -

- (i) स्वास्थ्य और स्वच्छता नीति तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना।
- (ii) गृह इकाइयों, सार्वजनिक स्थानों और सभी स्थानीय संस्थाओं के लिए हल्का पंचायत स्तरीय स्वच्छता कार्यक्रम की स्कीम तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना और जहां आवश्यक हो, इस प्रयोजन के लिए उपयोगकर्ता प्रभार का संग्रहण।

- (iii) स्वच्छता और ठोस, तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के रखरखाव के लिए तथा अपशिष्ट से उर्जा बनाने के लिए समुदाय को जागरूक बनाना।
- (iv) संघ राज्य क्षेत्र तकनीकी सलाहकार समिति, जिला जल और स्वच्छता समिति और ब्लॉक स्तरीय समिति के परामर्श से भूमि की पहचान और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना।
- (v) ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण और बहु ग्राम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों तक ठोस अपशिष्ट का परिवहन।
- (vi) व्यक्तिगत, सामुदायिक शौचालयों और स्नानघरों और स्वच्छता संबंधी प्रक्षेत्रों का निर्माण और उनका रखरखाव।
- (vii) लावारिस पशु शर्वों और उनके कंकालों का निपटान, त्वचा और खाल निकालने, उनकी धुलाई और रंगाई का विनियमन।
- (viii) ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और इसके प्रकार और मांग के मूल्यांकन का सर्वेक्षण।
- (ix) मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और नीति नियोजन; गुलाबी शौचालयों का कार्यान्वयन और निर्माण; गुलाबी शौचालयों में बेंडिंग मशीनों और भस्मक का नियमित पुनःभरण तथा उनका संचालन और रखरखाव।

(घ) प्रधानमंत्री आवास स्कीम (पीएमएवाई): -

- (i) हलका मजलिस (ग्राम सभा) के माध्यम से पीएमएवाई सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना सूचियों का सत्यापन और मकानों के अनुदान के लिए प्राथमिकताएं निश्चित करना।
- (ii) गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना लाभार्थियों की पहचान और उनकी आवास प्लस सॉफ्टवेयर में अपलोडिंग।
- (iii) सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना सूची में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष सूचियां तैयार करना।
- (iv) राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों की पहचान और दिशानिर्देशों के अनुसार राजमिस्त्री प्रशिक्षण का संचालन सुनिश्चित करना।
- (v) लाभार्थियों को मकानों की समय पर मंजूरी और किस्तों का सं. वितरण सुनिश्चित करना और पीएमएवाई के अधीन सभी लाभार्थी निधियों को हलका पंचायतों को सौंप दिया जाएगा।
- (vi) पहली किस्त के संवितरण के नौ मास के भीतर मकानों को संपूर्ण करना पंचायतों की जिम्मेदारी होगी।

(ड.) आईडब्ल्यूएमपी : -

- (i) एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन विकास के लिए जल संग्रहण क्षेत्रों, तालाबों, बंजर भूमि, आदि की पहचान।
- (ii) हलका मजलिस (ग्राम सभा) के माध्यम से परिस्कीम क्षेत्र में जल संग्रहण विकास समितियों का निर्माण।
- (iii) जल संग्रहण परिस्कीम क्षेत्र के अधीन किए जाने वाले कार्यों की पहचान।
- (iv) जल संग्रहण विकास समितियों के माध्यम से पंचायत स्तर पर कार्यों का निष्पादन।

14. शिक्षा विभाग: -

- (i) प्राथमिक स्कूलों में स्कूल जाने की आयु के बालकों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉप-आउट की घटनाओं के बिना एक कक्षा से दूसरे कक्षा के छात्रों का भेजा जाना सुनिश्चित करना।
- (ii) प्राथमिक स्कूलों में मानदंडों के अनुसार स्कूल रखरखाव अनुदान (एसएमजी), शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) और शिक्षक अधिगम उपकरणों (टीएलई) के उपयोग का निरीक्षण करना।

- (iii) प्राथमिक स्कूलों में लक्ष्य समूह के छात्रों को अध्ययन सामग्री, वर्दी और छात्रवृत्ति के वितरण का निरीक्षण करना और उसे मॉनीटर करना।
- (iv) स्थानीय स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) (गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक स्तर के संगठनों) के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों में मिड-डे-मील को तैयार करना और उसका वितरण, जिसके लिए निधियां पंचायतों को अंतरित की जाएंगी और हलका पंचायत भी निधियां सुनिश्चित करेगी, अभिहित अभिकरणों के माध्यम से मिड-डे-मील की सासाहिक गुणवत्ता जांच और प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
- (v) प्राथमिक स्कूल स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों और स्कूल प्रबंधन समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करना और उनके कार्यकरण की रिपोर्ट करना।
- (vi) प्राथमिक स्कूलों में पेयजल और शौचालय सुविधाओं के निर्धारण करना और आवश्यकता के अनुसार स्कीम तैयार करना और उनका पूरा किया जाना सुनिश्चित करना।
- (vii) प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारिवृद्ध और छात्रों की नियमित उपस्थिति की निगरानी करना और जेडईओ, सीईओ और डीडीसी को रिपोर्ट करें।
- (viii) हलका पंचायत को अंतरित सीमा तक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों का संनिर्माण।
- (ix) गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक स्तर के संगठनों के माध्यम से प्राथमिक स्कूल स्तर पर पिछड़े वर्गों और समूहों, बालिकाओं, विशेष रूप से विकलांग, अल्पसंख्यक समूहों और अनाथों के लिए छात्रावासों की स्कीम तैयार करना, उनकी स्थापना और प्रबंधन करना।

15. राजस्व विभाग: -

- (i) ग्राम की शामलात भूमि, बंजर भूमि, कचराई भूमि, जल मार्ग, सड़क और तटबंधों की वास्तविक प्रास्थिति से संबंधित भूमि अभिलेखों के आवधिक रूप से अद्यतन करने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करना और अतिक्रमण हटाने में सहयोग करना।
- (ii) पटवारी द्वारा पटवार खानों और पंचायत घरों के नोटिस बोर्ड पर अपने मासिक कार्य चार्ट चस्पाता जो पंचायत हलका क्षेत्रों का दौरा करने वाले कार्य दिवसों को इंगित करेगा।
- (iii) संबंधित हलका पंचायतें यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी पात्र किसानों को जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम के अधीन अपेक्षानुसार किसान पासबुक जारी की जाएं और उन्हें संबंधित राजस्व क्षेत्र के कृत्यकारियों द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किया जाए।
- (iv) राजस्व अभिलेखों के उद्धरणों को प्राप्त करने में भूमि स्वामियों द्वारा सामना की गई किसी भी कठिनाई के मामले में शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करना और मामलों को पटवारी को संबंधित तहसीलदार या उप-मण्डल मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर द्वारा निदेशित करना यथा साध्य शीघ्र कि वहां पंचायत के माध्यम से जारी करना।
- (v) आपदा की स्थिति में प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों को राहत प्रदान करने में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- (vi) राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टियाँ, कदाचार अभिलेखों में छेड़छाड़ तथा भूमि के संपरिवर्तन के बारे में यथास्थिति तहसीलदार, उपमण्डल मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या उच्चतर प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना।
- (vii) वार्षिक गिरदावरी का संचालन, जामाबंदी की तैयारी और अन्य सभी राजस्व दस्तावेजों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन और राजस्व कृत्यकारियों को जमीनी स्थिति में हुए बदलाव के साथ-साथ भूमि अभिलेख आवधिक रूप से अद्यतन करने में सहायता करना।
- (viii) किसी भी प्रचलित स्कीम के अधीन भूमि के आवंटन के लिए भूमिहीन परिवारों की पहचान।

16. प्रमाण पत्र जारी करना: -

- (i) भूविज्ञान और खनन विभाग के क्रियाकलापों, विद्युतीकरण, जैव विविधता, भूमि संपरिवर्तन, होम स्टे के लिए अनुज्ञासि, रिसॉर्ट्स, बार और रेस्तरां, होटल, शराब की दुकानें, कब्रस्तान और शमशान घाट, शमशान, बूचड़खाना आदि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।
- (ii) समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार जन्म, मृत्यु, चरित्र, आश्रित, विवाह प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जारी करना।

17. सांख्यिकी और स्कीम : -

- (i) गाँव से संबंधित सभी आँकड़ों का संग्रहण, सारणीकरण और अद्यतन करना।
- (ii) एकत्र किए गए आँकड़ों के अनुसार परिदृश्य स्कीम ओं और वार्षिक स्कीम ओं की तैयारी के लिए टीमों और समितियों का गठन।

18. सहयोग: -

सहकारी गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने और मजबूत करने के लिए कार्यक्रमों की तैयारी और कार्यान्वयन।

19. ग्रामीण पर्यावरण और पारिस्थितिकी: -

- (i) राष्ट्रीय और संघ राज्य क्षेत्र नीति के अनुरूप ग्रामीण परिवेश और पारिस्थितिकी की सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्कीम तैयार करना और कार्यान्वयन।
- (ii) ग्राम पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थापना।
- (iii) जनसाधारण जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना।
- (iv) जैव विविधता अधिनियम, 2002 के लिए स्कीम ओं और कार्यक्रमों की तैयारी और कार्यान्वयन।
- (v) पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण।
- (vi) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्कीम ओं की तैयारी और कार्यान्वयन।
- (vii) पार्कों का रखरखाव और सार्वजनिक स्थानों पर खाद गड्ढों का विनियमन।

20. ज्ञान प्रबंधन: -

- (i) गृह इकाई से सम्बंधित आँकड़ों का संग्रहण और संकलन और डेटाबेस को बनाए रखना।
- (ii) गाँव के इतिहास, संस्कृति और विरासत की रिकॉर्डिंग।
- (iii) गाँव के मानव विकास को अवधारित करने के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन संचालित करना।
- (iv) मानव विकास सूचकांक की आवधिक संगणना।
- (v) हलका पंचायत के लोगों को सभी आँकड़े उपलब्ध कराना।
- (vi) सभी सरकारी स्कीमों के लिए जागरूकता सृजन और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ।

21. सामुदायिक आस्ति प्रबंधन: -

- (i) हलका पंचायत क्षेत्र के भीतर सामुदायिक आस्तियों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन, उनकी मानचित्रण, माप, व्यापक प्रलेखन और अनुरक्षण।
- (ii) सभी आस्तियों जैसे तालाबों, जल नाली, नहरों, कृषि गड्ढों, कुओं, बोर-कुओं और अन्य कुओं, चारागाहों, जंगलों, पौधा रोपण, आदि के अभिलेखों का व्यवस्थित प्रलेखन और संरक्षण।

अनुसूची 1-ख

(धारा 26 देखें)

1. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, हलका पंचायत को क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए विभिन्न कर्तव्यों और कार्यों को क्रियान्वित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी,

और इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन के लिए हलका पंचायत को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

2. प्रत्येक हलका पंचायत में एक सदस्य सचिव होगा जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का एक कर्मचारी होगा (विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा)।

3. हलका पंचायत स्तर पर विभिन्न स्कीमों ओं के कार्यान्वयन से जुड़े अनुसूची I-क में अंतर्विष्ट विभागों के कर्मचारी, अनुसूची I-क के अनुसार, विभिन्न कार्यों को करने में सहायता करने के लिए हलका पंचायत के कर्मचारी होंगे, जिसमें कनिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, रहवर-ए-ज़रात, पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट, स्टॉक सहायक, झुंड पर्यवेक्षक, स्टॉक सहायक, विस्तार अधिकारी (मत्स्य), शिक्षक, रहवर-ए-तालीम, बागवानी तकनीशियन, कनिष्ठ अभियंता, इंजीनियरी विभागों के पर्यवेक्षक और उप-केंद्र, औषधालयों में फार्मासिस्ट, आशा कार्यकर्ता, सहायक नर्स मिडवाइफरी और महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (FMPHW) शामिल होंगे।

4. केन्द्रीय सहायता प्राप्त और संघ राज्य क्षेत्र प्रायोजित स्कीमों के अधीन अनुसूची के अंतर्विष्ट विषय के लिए लगाए कर्मचारिवृद्ध भी हलका पंचायत के कर्मचारी होंगे:

परंतु स्थायी कर्मचारिवृद्ध के वेतन, देय और अन्य भत्ते संबंधित विभाग द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा आहरित और वितरित किए जाएंगे, और समर्पित कर्मचारिवृद्ध का मानदेय विभाग द्वारा संबंधित विभागों द्वारा दिशानिर्देशों में अधिकर्थित प्रक्रिया के अनुसार आहरित और वितरित किया जाएगा :

परंतु यह और कि ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एफएमपीएचडब्ल्यू) लेखाकार-सह आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक, आगनवाड़ी कर्मचारी, सहायक और आशा कार्यकर्ता का वेतन या मानदेय (जैसा कि लागू होता है) विहित प्रक्रिया के अनुसार हलका पंचायत द्वारा आहरित किया जाएगा।

5. हलका पंचायतें ऐसे विनियोजन के लिए सरकार से औपचारिक मंजूरी के पश्चात ही अपने स्तर पर कर्मचारिवृद्ध को शामिल कर सकती हैं।

अनुसूची I-ग (धारा 14 देखें)

1. प्रत्येक हलका पंचायत के पास एक निधि होगी, जिसे हलका पंचायत निधि कहा जाएगा, जिसे सचिव पंचायत और सरपंच द्वारा ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा।

2. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, तवधीन बनाए गए नियमों और सरकार, समय-समय पर जारी किए गए के निदेशों, हलका पंचायत को सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार निधि को सख्ती से प्रचालित करने की शक्तियां होंगी, जिसमें निम्न बातें सम्मिलित होंगी-

- (i) अनुसूची I-क में अंतर्विष्ट विषयों से संबंधित निधि में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा हलका पंचायतों को अंतरित की गई केन्द्रीय रूप से प्रायोजित प्रमुख स्कीमों के अधीन निधि सम्मिलित हैं;
- (ii) संघ राज्य क्षेत्र और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान;
- (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर हलका पंचायत को अंतरित परिव्यय;
- (iv) सरकार द्वारा हलका पंचायत के आकस्मिक विकास कार्यों को पूरा करने के लिए हलका पंचायत को उपलब्ध कराए गए एकीकृतअनुदान;
- (v) धारा 15 के अधीन उदग्रहीत भवन निर्माण अनुमति फीस, वार्षिक प्रभार और फीस तथा जारी किए गए प्रमाण पत्र के लिए फीस, , उपयोगकर्ता प्रभार, प्रोत्साहन और अन्य स्रोतों के माध्यम से सृजित स्वयं के संसाधन;

(vi) ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एफएमपीएच डब्ल्यू), लेखाकार-सह-आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायक और आशा कार्यकर्ता का वेतन या मानदेय (जैसा कि लागू है);

(vii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए वार्षिक कार्य स्कीम के अधीन 80% निधि।

(viii) पीएमएवाई (केवल निर्माण घटक), समेकित जल संग्रहण प्रबंधन स्कीम (केवल कार्य घटक), मध्याह्न भोजन, एकीकृत बाल विकास स्कीम (केवल पोषण घटक), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता स्कीम और एकीकृत सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अधीन 100% निधि।

3. हलका पंचायतें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धन का उपयोग करते समय केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा जारी वित्तीय नियमों, निदेशों और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेंगी।

4. हलका पंचायतें विहित रीति से संपरीक्षित किए जाने वाले वार्षिक खातों का विवरण तैयार करेंगी।

5. यथास्थिति केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा वित्तपोषित स्कीम पर व्यय उपगत करते समय केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा विहित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

अनुसूची II-क

(धारा 31 देखें)

- I अनुसूची में अंतर्विष्ट मामलों के संबंध में क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना ब्लॉक विकास परिषद का कर्तव्य होगा और वह अंतर-हलका पंचायत क्षेत्रों के संबंध में गतिविधि की स्कीम भी तैयार करेगी और विभिन्न स्कीमों के अधीन निधि की उपलब्धता के अध्यधीन मामले को भी देखेगी।
- II इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और सरकार द्वारा जारी समय-समय पर निदेशों और दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए, ब्लॉक विकास परिषद अनुसूची में अंतर्विष्ट मामलों को प्रशासित करेगी और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य के लिए इसमें विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में स्कीमें तैयार करेगी और इन्हें क्रियान्वित करेगी।
- III ब्लॉक विकास परिषद परिस्कीम ओं के आकलन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार और साथ ही सरकार द्वारा जारी व्यय मंजूरी के अधीन सख्ती से अपने कार्यों को निष्पादित करेगा।

(क) साधारण कार्य:-

- (i) इस अधिनियम और सरकार या जिला स्कीम और विकास बोर्ड द्वारा सौंपी गई स्कीमों और जिला स्कीम के साथ एकीकरण के लिए विहित समय सीमा के भीतर जिला स्कीम और विकास बोर्ड को उनके प्रस्तुतीकरण के आधार पर वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना।
- (ii) ब्लॉक में सभी हलका पंचायतों की वार्षिक स्कीमों के विचारण और समेकन तथा जिला स्कीम ओं के साथ एकीकरण के लिए एक विहित समय के भीतर जिला स्कीम और विकास बोर्ड को समेकित स्कीम ओं को प्रस्तुत करना।
- (iii) ब्लॉक विकास परिषद के वार्षिक बजट की तैयारी और जिला स्कीम और विकास बोर्ड को प्रस्तुत करना।
- (iv) प्राकृतिक विपत्तियों और आपदा के दौरान राहत और प्रतिकर के वितरण में प्रशासन की सहायता करना।
- (v) सरकार या जिला स्कीम और विकास बोर्ड द्वारा सौंपे जा सकने वाले कार्यों को निष्पादित करना।
- (vi) अंतरित ब्लॉक स्तर की सरकारी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव।

(ख) विशिष्ट कार्य-

1. कृषि, पशु, भेड़, मत्स्य और बागवानी विभाग:-

- (i) अनुमोदन के लिए जिला स्कीम और विकास बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर कृषि उत्पादन विभाग के क्षेत्र के अधिकारियों के परामर्श से कृषि स्कीम तैयार करना।
- (ii) हल्का पंचायतों से प्राप्त समेकित मांग और उसे जिला स्कीम और विकास बोर्ड को प्रस्तुत करना।
- (iii) कृषि विस्तार गतिविधियों की निगरानी।
- (iv) विभागीय कर्मचारिवृद्धि के तकनीकी मार्गदर्शन में चल रही स्कीम ओं की निगरानी।
- (v) नियंत्रण उपायों के लिए जिला स्कीम और विकास बोर्ड या राज्य मुख्यालय के साथ बीमारियों के प्रसार की समय पर निगरानी और समय पर संपर्क सुनिश्चित करना।
- (vi) व्यापक कृषि और बागवानी स्कीम ओं की तैयारी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सामान्य और तकनीकी प्रशिक्षण को सुकर बनाना और पर्यवेक्षण करना।
- (vii) बागवानी नर्सरी सहित कृषि बीज फार्मों का रखरखाव।
- (viii) किसान मेलों के माध्यम से सब्जी, फल और अन्य फसलों की प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
- (ix) किसानों की खेती और प्रशिक्षण की बेहतर पद्धतियों से आय में वृद्धि के लिए तकनीकी कार्मिकों और प्रशिक्षणों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- (x) ग्राम पंचायतों द्वारा एकत्रित आंकड़ों का समेकन और कृषि और बागवानी उत्पादन के लिए ब्लॉक स्तर की स्कीम तैयार करना।
- (xi) कीटनाशकों, नाशक जीवमार और अन्य इनपुटों के वितरण की निगरानी करना।
- (xii) ब्लॉक स्तर पर पशु और भेड़ पालन कार्यक्रमों की नीति नियोजन के संबंध में समन्वय।
- (xiii) पशु बाँझपन और स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन की सिफारिश करना।
- (xiv) प्रदर्शनियों, पशुधन शो, पशु मेले, दूध उत्पादन प्रतियोगिताएं और बछड़े की रैलियों का आयोजन।
- (xv) पशुओं में महामारी और संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए निवारक उपाय करने के लिए ग्राम पंचायत को टीके, दवाएं, चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
- (xvi) पशुओं, मुर्गी और अन्य जीवित पशुधन की नस्ल में सुधार के लिए उपाय सम्बन्धी सुझाव देना।
- (xvii) पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि के विपणन, बागवानी उत्पादन, आदि की गतिविधियों के लिए सहकारी सोसाइटियों के संबंधन को प्रोत्साहन देना।
- (xviii) मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों के तकनीकी सहयोग से हल्का पंचायतों के माध्यम से मछली किसानों से मांग प्राप्त करना और सीडलिंग का वितरण करना।
- (xix) हल्का पंचायतों को सौंपे गए सभी कृत्यों और गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा।
- (xx) विभाग द्वारा जहां कहीं उपलब्ध कराई गई माँगों और इनपुटों के मूल्यांकन के लिए कृषि और बागवानी विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना।
- (xxi) कृषि और बागवानी विभाग के साथ समन्वय करके किसान प्रशिक्षण शिविर, अध्ययन भ्रमण, सेमिनार आदि का आयोजन करना।
- (xxii) विभागों के माध्यम से उन्नत किस्मों और प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शनों का आयोजन।
- (xxiii) ग्राम-वार बागवानी, कृषि, पशु और भेड़ की गणना का संचालन सुनिश्चित करना।
- (xxiv) संबंधित विभाग के माध्यम से प्रत्येक अंतर पंचायत जल संग्रहण क्षेत्र के लिए कार्य स्कीम तैयार करना।

2. उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग: -

- (i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी जिसमें वस्तुओं का संचलन और उपलब्धता सम्मिलित है।

- (ii) फर्जी राशन कार्डों की पहचान और उन्मूलन के लिए कदम उठाना।
- (iii) अन्य कल्याणकारी स्कीमों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्कीमों को जोड़ने में समन्वय करना।
- (iv) जिला स्कीम और विकास बोर्ड को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में आवाच्छिक रिपोर्ट और विवरणी भेजना।
- (v) उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण स्कीमों के बारे में सूचना का प्रसार और जागरूकता सृजित करना।

3. शिक्षा विभाग: -

- (i) ड्राप आउट स्थिति का मूल्यांकन करना और इसे कम करने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करना।
- (ii) माध्यमिक स्कूलों में मानदंडों के अनुसार स्कूल रखरखाव अनुदान (SMG), शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) और शिक्षण अधिगम उपकरण (TLE) का उपयोग करना।
- (iii) सरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए छात्रों की पहचान और नामांकन में सहायता करना।
- (iv) माध्यमिक स्कूलों में लक्ष्य समूह के छात्रों को अध्ययन सामग्री, वर्दी और छात्रवृत्ति की निगरानी और वितरण।
- (v) स्थानीय स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक स्तर की समितियों के माध्यम से माध्यमिक स्कूलों में मिड डे मील की तैयारी और वितरण, जिसके लिए धनराशि को ब्लॉक विकास परिषद में अंतरित किया जाएगा और ब्लॉक विकास परिषद भी अभिहित अभिकरणों के माध्यम से मिड डे मील की सासाहिक गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करेगा और प्रतिकूल रिपोर्ट यदि कोई हो मिलती है, तो तत्काल कार्रवाई करेगा।
- (vi) माध्यमिक स्कूल स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति (VECs) और स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs) के कामकाज की निगरानी और रिपोर्ट।
- (vii) माध्यमिक स्कूलों में पेयजल और शौचालय सुविधाओं का मूल्यांकन और आवश्यकता के अनुकूल स्कीम तैयार करना और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- (viii) वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देना और ब्लॉक स्तर पर पारंपरिक और गैर-पारंपरिक शिक्षा दोनों की स्कीम बनाना और निगरानी करना।
- (ix) शिक्षा से संबंधित केंद्रीय और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रायोजित कार्यक्रमों का समन्वय।
- (x) सरकार द्वारा यथा अंतरित माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण और रखरखाव।
- (xi) युवा कलब और महिला मंडल के माध्यम से सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- (xii) पिछड़े वर्गों और समूहों, बालिकाओं, विशेष रूप से विकलांग, अल्पसंख्यक समूहों और अनाथों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रावासों की स्कीम, स्थापना, प्रबंधन।

4. वन विभाग: -

- (i) संबंधित रेंज अधिकारियों के परामर्श से हल्का पंचायतों द्वारा पहचान की गई भूमि के संबंध में वनीकरण के लिए कार्य स्कीम तैयार करना और इसमें नर्सरी तैयार करना भी सम्मिलित होगा।
- (ii) अनुमोदित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार हल्का पंचायत के माध्यम से सूक्ष्म स्कीमों के निष्पादन की निगरानी करना।
- (iii) समय-समय पर समेकित खातों और रिपोर्ट को जिला स्कीम और विकास बोर्ड को प्रस्तुत करना।
- (iv) वनों के अतिदोहन के मामलों की निगरानी करना और इसके विनियमन के लिए वन विभाग को सिफारिशें प्रस्तुत करना।
- (v) वन विभाग के मृदा संरक्षण कार्यों का पर्यवेक्षण।
- (vi) वनीकरण, वृक्षारोपण और उनके क्षेत्र के भीतर काम करने वाले नर्सरी का पर्यवेक्षण।
- (vii) वन्यजीव के संरक्षण का पर्यवेक्षण करना और मानव-पशु संघर्ष को दूर करने में वन्यजीव विभाग की सहायता करना।

(viii) खेत वानिकी को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर की नर्सरी से आवश्यकता होने पर ग्राम पंचायत को नई पौधे तैयार करना, पौधे रोपण करना और वितरित करना ।

(ix) चारा विकास और ईंधन वृक्षारोपण के क्षेत्र में ग्राम पंचायत को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का संचालन करना ।

(x) नियंत्रणाधीन सड़कों और अन्य सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और वृक्षों का रखरखाव।

5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग: -

(i) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सलाहकार समितियों का गठन।

(ii) स्वास्थ्य और परिवार शिविरों, प्रदर्शनियों और मेलों के आयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना।

(iii) सरकार द्वारा यथा अंतरित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्टाफ क्वार्टर और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का संनिर्माण और रखरखाव।

(iv) ब्लॉक विकास परिषद क्षेत्रों में महामारी को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता से सभी प्रभावी उपाय करना।

(v) टीकाकरण और टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और 100% बच्चे और गर्भवती महिला का टीकाकरण सुनिश्चित करना।

(vi) स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत को निरंतर सहायता के लिए एक प्रणाली और तंत्र की स्थापना।

(vii) विशेष रूप से दिव्यांग और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए सुविधाएं और केंद्र स्थापित करना।

(viii) ब्लॉक विकास परिषद स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों की स्कीम और कार्यान्वयन।

(ix) ब्लॉक के भीतर सभी निर्माण, कार्यालय और प्रक्रियाएँ दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से अनुकूल हों, ऐसा सुनिश्चित करना।

(x) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को दिए गए अनुदान के उपयोग की समीक्षा और हलका पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाए रखने और उन्नत करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(xi) शारीरिक गतिविधियों, खुले जिम, योग आदि के लिए खुले स्थान बनाने में सहायता।

(xii) ब्लॉक विकास परिषद को तंबाकू / शराब मुक्त बनाना।

(xiii) विशेष रूप से टीबी, वायरल हेपेटाइटिस और कुष्ठ और मलेरिया सहित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की स्कीम बनाना और कार्यान्वयन की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना।

6. उद्योग और वाणिज्य विभाग: -

(i) बैंकों, सरकारी संस्थाओं और विभागों द्वारा ऋणों की वसूली में सहायता।

(ii) क्षेत्र में कौशल की उपलब्धता और भविष्य की मांग के संबंध में जानकारी प्रदान करना।

(iii) संचालन के अपने संबंधित क्षेत्र में उन स्थानों और लक्षित समूहों की पहचान करना जहाँ कारीगरों, बुनकरों, शिल्प व्यक्तियों आदि के लिए औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और, जागरूकता शिविर आयोजित करने की सम्भावना हो।

(iv) प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम और जम्मू-कश्मीर रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन लाभार्थियों की पहचान करने में सहायता करना।

(v) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर औद्योगिक क्षेत्रों और संपदाओं की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करना और विचार के लिए जिला स्कीम और विकास बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

(vi) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन।

- (vii) लघु औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना।
- (viii) स्वरोजगार स्कीमों का गठन और कार्यान्वयन।
- (ix) ग्राम पंचायत कलस्टर के लिए या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए इनपुट सेवाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों का निर्माण।
- (x) कलस्टर स्तर के जनसाधारण सुविधा केंद्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

7. लोक निर्माण विभाग: -

- (i) हलका पंचायतों और अन्य अभिकरणों द्वारा निर्माण कार्यों की निगरानी।
- (ii) अंतर-पंचायत लिंक सङ्कों की पहचान करना और ब्लॉक विकास परिषद स्कीम में उनका समावेशन।
- (iii) ऐसी ग्रामीण सङ्कों का रखरखाव जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा ब्लॉक विकास परिषद को अंतरित किया जा सकता है।
- (iv) विभाग के कर्मचारीवृद्धों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन के समय, सतर्कता बरतने और धन के गलत उपयोग, भ्रष्ट आचरण, और सङ्कों और अन्य संरचनाओं पर अतिक्रमण आदि के मामलों को सामने लाने के लिए लोक निर्माण विभाग के संबंधित प्राधिकरण को सूचित करना।
- (v) ब्लॉक विकास परिषद में निहित किसी भी भवन या अन्य संपत्ति का रखरखाव।
- (vi) ब्लॉक स्पॉट्स (जहां बार बार दुर्घटना होती हैं) की पहचान करना और जिला स्कीम और विकास बोर्ड को उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना।

8. सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग:-

- (i) संभावित स्कीमों की पहचान, जिसके अधीन ब्लॉक विकास परिषद के अधिकारिता के भीतर एक से अधिक हलका पंचायत को कवर करने वाली जल संचयन भी है।
- (ii) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपाय करना।
- (iii) विभिन्न स्कीम को कार्यान्वित करते समय विभागों कर्मचारिवृद्धों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के द्वारा निधियों के सकल गलत उपयोग, भ्रष्ट आचरण आदि के मामलों के प्रति सतर्कता बरतना और सभी विभागों के संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाना।
- (iv) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण।
- (v) सामुदायिक और व्यक्तिगत सिंचाई कार्यों का कार्यान्वयन।

9. राजस्व विभाग:-

- (i) संघ राज्य क्षेत्र की ब्लॉक स्तर पर बेकार और खाली भूमि जो किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं है, का उपयोग करने के लिए नीति तैयार करने के लिए भूमिहीन और आवासहीन परिवारों और व्यक्तियों की पहचान करने में राजस्व प्राधिकारियों की सहायता करना।
- (ii) पंचायतों को राजस्व मामलों में सौंपे गए कार्य और संघ राज्य क्षेत्र, कछराई, जल निकायों और साझी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए ब्लॉक स्तर पर नीति तैयार करना।
- (iii) कानूनी कार्यवाही के संचालन में कानूनी मशीनरी की सहायता (जैसे पूरे क्षेत्र में नोटिस का प्रकाशन, विभिन्न हलका पंचायतों के क्षेत्रों में खाली संघ राज्य क्षेत्र की भूमि की पहचान, आदि)
- (iv) यथास्थिति राजस्व रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियाँ, भ्रष्ट आचरण अभिलेखों में छेड़छाड़ और भूमि के रूपांतरण के बारे में, तहसीलदार, एसडीएम और उपायुक्त या उच्च प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना।
- (v) वार्षिक गिरदावरी के संचालन, जामाबंदी की तैयारी और अन्य सभी राजस्व दस्तावेजों के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड के समय-समय पर अद्यतन करने में स्थानीय प्रशासन और राजस्व अधिकारियों को सहायता करना।

10. समाज कल्याण विभाग: -

- (i) स्कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्लॉक विकास परिषद क्षेत्र को विभिन्न स्कीमों को लागू करने में विभागों के कर्मचारीवृद्ध का मार्गदर्शन और सहायता करना।
- (ii) कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन में लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने में सहायता करना।
- (iii) विकलांग, वृद्ध, निराश्रित, विधवा, बच्चों, अल्पसंख्यकों, एससी, एसटी और ओबीसी के कल्याण के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन में जिला स्कीम और विकास बोर्ड और पंचायतों के साथ समन्वय करना।
- (iv) नशीली दवाओं के दुरुपयोग, कन्या भूण हत्या और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लोगों में जागरूकता पैदा करने और बेटी बच्चाओं बेटी पड़ाओं और लाडली बेटी, वन स्टॉप सेंटर, प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना स्कीम, आदि जैसी स्कीमों के कार्यान्वयन में जिला स्कीम और विकास बोर्ड के साथ समन्वय करना।
- (v) महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बनाए गए विधियों के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने और ब्लॉक स्तर पर महिलाओं और बच्चों के विकास और सशक्तिकरण के संबंध में कार्यक्रमों के संवर्धन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए शिविरों का आयोजन करना।
- (vi) स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक स्तर के संगठनों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े समुदायों, बाल आश्रमों, नेत्रहीन आश्रय स्थलों, नारी निकेतन, वन स्टॉप होम, किशोर न्याय गृहों और ऐसे अन्य सामाजिक न्याय संस्थानों के लिए छात्रावास की स्कीम और प्रबंधन।
- (vii) अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े समुदायों के विरुद्ध ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं, जो उनकी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत और समुदाय की गरिमा को कम करती हैं, को रोकने के लिए जागरूकता अभियान।
- (viii) हल्का पंचायतों द्वारा वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और दिव्यांग और निःशक्त लोगों की पेंशन की निगरानी।

11. पर्यटन विभाग: -

- (i) ब्लॉक विकास परिषद क्षेत्र में अंतर- हल्का पंचायतों के पर्यटन स्थलों की पहचान और उनके विकास का प्रस्ताव।
- (ii) ब्लॉक विकास परिषद में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- (iii) ब्लॉक विकास परिषद के अधिकारिता के अधीन पर्यटन केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना।
- (iv) ब्लॉक विकास परिषद को अंतरण की सीमा तक ब्लॉक विकास परिषद को अंतरित दायरे में पर्यटक आकर्षण स्थलों का विकास और रखरखाव।

12. आपदा प्रबंधन:-

- (i) ब्लॉक विकास परिषद स्तर पर आपदा प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव।
- (ii) ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों का निर्माण और नागरिक सुरक्षा समितियों की पहचान और रजिस्ट्रीकरण।
- (iii) ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए युवाओं की पहचान।
- (iv) आपदाओं के पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान करने में जिला प्रशासन और हल्का पंचायत की सहायता करना।
- (v) आपदाओं के संबंध में शमन कार्यक्रमों का संचालन।

13. पुस्तकालय: -

- (i) ब्लॉक स्तर पर बैठने की सुविधा, पुस्तकें आदि प्रदान करने सहित पुस्तकालयों और वाचनालय का निर्माण, प्रबंधन और निगरानी।

14. खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:-

- (i) अंतर-पंचायत स्तर पर कला और संस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन।
- (ii) ब्लॉक स्तर पर युवा क्लबों को बढ़ावा देना।
- (iii) सांप्रदायिक और धार्मिक सद्व्याव बनाए रखना।
- (iv) विभिन्न अंतर-पंचायत उत्सवों के आयोजन के लिए ब्लॉक स्तर पर सांस्कृतिक केंद्र, सामुदायिक हॉल और ओपन एयर थिएटर का निर्माण और प्रबंधन।
- (v) अंतर पंचायत स्तर पर युवा उत्सव और अन्य गतिविधियों का आयोजन।
- (vi) जीवन कौशल शिक्षा और नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करना और अंतर-पंचायत स्तर पर युवाओं के लिए मनोरंजक गतिविधियों का संचालन करना।

15. ग्रामीण विकास विभाग:-

- (i) अनुसूची I-के अनुसार अंतरित की गई स्कीमों के अधीन अलग-अलग स्कीमों के अधीन हल्का पंचायत की वार्षिक कार्रवाई योजनाओं का समेकन और हल्का पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना।
- (ii) अनुसूची II-के अनुसार सरकार द्वारा अंतरित सीमा तक विभिन्न स्कीमों के अधीन अंतर-पंचायत स्कीम ओं की तैयारी और कार्यान्वयन।
- (iii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन पात्र परिवारों को जाँब कार्ड के वितरण की निगरानी करना।
- (iv) सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य लाभार्थियों को सम्मिलित करना।
- (v) नियमों के अनुसार सरकार द्वारा अंतरित शक्तियों की सीमा तक सामुदायिक आस्तियों से प्राप्त उपज की नीलामी का आयोजन।
- (vi) मेलों, मंडियों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन स्थलों का विकास और रखरखाव।
- (vii) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों की निगरानी और पर्यवेक्षण तथा हल्का पंचायतों द्वारा उनका निष्पादन।
- (viii) ब्लॉक विकास परिषद की सामुदायिक संपत्ति के दुरुपयोग की रोकथाम।
- (ix) विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित करना।
- (x) विभिन्न ग्रामीण विकास स्कीम ओं के अधीन बनाई गई सामुदायिक आस्तियों के उपयोग की निगरानी करना।
- (xi) ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन परिस्कीम ओं की स्थापना और रखरखाव।
- (xii) ग्राम पंचायत को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

16. अन्य कार्य:-

- (i) ब्लॉक स्तरीय सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।
- (ii) पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- (iii) ब्लॉक डेटा का संग्रह और संकलन और डेटा बेस का अनुरक्षण।
- (iv) ब्लॉक के इतिहास, संस्कृति और विरासत का अभिलेखन।
- (v) ब्लॉक के मानव विकास को अवधारित करने के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन करना।
- (vi) मानव विकास सूचकांक की आवधिक गणना।
- (vii) लोगों को सभी डेटा उपलब्ध कराना।

- (viii) सभी सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूकता सृजन और सूचना देना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ करना ।
- (ix) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संगठन द्वारा अंतरित ब्लॉक में निहित सभी सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ।
- (x) सामुदायिक आस्तियों का संरक्षण और रखरखाव।

अनुसूची II-ख

(धारा 31 देखें)

- इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, ब्लॉक विकास परिषद के पास क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए विभिन्न कर्तव्यों और कार्यों को करने की शक्तियां निहित होंगी और इस अधिनियम द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, ब्लॉक विकास परिषद को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ।
- धारा 28 की उप-धारा (3) में यथा अंतर्विष्ट प्रत्येक ब्लॉक विकास परिषद में एक सदस्य सचिव होगा जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का ब्लॉक विकास अधिकारी होगा और ब्लॉक विकास अधिकारी का कार्यालय ब्लॉक विकास परिषद सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।
- अनुसूची II-क में अंतर्विष्ट ब्लॉक स्तर पर विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन से जुड़े और और विभिन्न कर्तव्यों कार्यान्वयन में हल्का पंचायत को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने वाले ब्लॉक स्तर के अधिकारी, ब्लॉक विकास परिषद के कर्मचारिवृद्ध होंगे जो अनुसूची- II- क के अनुसार विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने में उनकी सहायता करेंगे जिसमें उप-संभागीय कृषि अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी, भेड़ विकास अधिकारी, ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी, तहसील आपूर्ति अधिकारी, निरीक्षक विधिक, मौसम विज्ञान, जोनल शिक्षा अधिकारी, जोनल योजना अधिकारी, माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, मत्स्य विभाग के फील्ड पर्यवेक्षक, रेंज अधिकारी, बागवानी विकास अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, एएनएम, चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के महिला और पुरुष बहुदेशीय कार्यकर्ता, सहायक हस्तशिल्प प्रशिक्षण अधिकारी और उद्योगों के प्रशिक्षक और वाणिज्य विभाग, सहायक कार्यकारी इंजीनियर और सभी इंजीनियरिंग विभागों के सहायक इंजीनियर के सम्मिलित होने के साथ साथ अन्य भी सम्मिलित हो सकते हैं ।
- ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाली केंद्र और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अधीन अनुसूची II-क में अंतर्विष्ट विषय के लिए नियुक्त कर्मचारिवृद्ध ब्लॉक विकास परिषद के कर्मचारिवृद्ध भी होंगे:

परंतु स्थायी कर्मचारिवृद्ध के बेतन, बकाएँ और अन्य भत्ते संबंधित विभाग द्वारा प्रचलन की प्रक्रिया के अनुसार आहरित और वितरित किए जाएंगे और संबंधित विभागों द्वारा दिशानिर्देश के अनुसार नियुक्त कर्मचारियों का मानदेय अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विभागों द्वारा आहरित और वितरित किया जाएगा।

- इस तरह की नियुक्ति के लिए सरकार से औपचारिक मंजूरी के पश्चात ही ब्लॉक विकास परिषद अपने स्तर पर कर्मचारिवृद्ध को नियोजित कर सकेंगे ।

अनुसूची II-ग

(धारा 34 देखें)

- प्रत्येक ब्लॉक विकास परिषद के पास “ब्लॉक विकास परिषद निधि” होगी, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार सचिव ब्लॉक विकास परिषद (ब्लॉक विकास अधिकारी) और ब्लॉक विकास परिषद के अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाएगा।
- इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, ब्लॉक विकास परिषद को “ब्लॉक विकास परिषद निधि” को संचालित करने की शक्ति होगी, जो सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के अधीन ब्लॉक में दिए गए हल्का पंचायतों

की संख्या और सरकार या जिला स्कीम और विकास बोर्ड द्वारा जारी निधि को ध्यान में रखते हुए दिए गए अनुदान से मिलकर बनेगी।

3. अनुसूची II-क में अंतर्विष्ट विषयों से संबंधित निधियों जिसमें सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा ब्लॉक विकास परिषद को अंतरित केंद्रीय प्रायोजित प्रमुख स्कीमों के अधीन जारी निधियों को सम्मिलित किया गया है और हल्का पंचायत को जारी निधियों को छोड़ दिया गया है तथा ब्लॉक विकास परिषद विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन धन का उपयोग करते समय केंद्रीय सरकार और संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा जारी वित्तीय नियमों, निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

4. ब्लॉक विकास परिषद वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी जिसकी विहित रीति में लेखा परीक्षा की जाएगी।

5. यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कीम पर होने वाले व्यय को करते समय केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा विहित दिशानिर्देशों का संबंध से पालन किया जाएगा।"

अनुसूची III

(धारा 46 देखें)

- I. इस अनुसूची में अंतर्विष्ट मामलों के संबंध में क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना और विभिन्न स्कीमों के अधीन निधियों की उपलब्धता के अधीन अंतर ब्लॉक पंचायत क्षेत्रों/मामलों के संबंध में गतिविधि की स्कीम भी तैयार करना जिला विकास परिषद का कर्तव्य होगा।
- II. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/विनिर्देशों के अधीन, जिला विकास परिषद इस अनुसूची में अंतर्विष्ट मामलों को प्रशासित करेगा और स्कीम तैयार करेगा तथा अपने अधिकारिता के भीतर सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए विनिर्दिष्ट विषयों से सम्बंधित स्कीमों को क्रियान्वित करेगा।
- III. जिला विकास परिषद परियोजनाओं के प्राक्कलन, व्यय की मंजूरी और कार्यान्वयन ढांचे के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधी से अपना कार्य निष्पादित करेगा।
- IV. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिला विकास परिषद को, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए स्कीम आं तैयार करने और स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु सौंप सकेगी।
- V. संघ राज्य क्षेत्र सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिला विकास परिषद के कार्यों में कोई अन्य कार्य जोड़ सकती है या जब संघ राज्य क्षेत्र सरकार परिषद को सौंपे गए किसी भी कार्य का निष्पादन करती है तो ऐसी परिस्थिति में जिला विकास परिषद को सौंपे गए कार्यों को वापस ले सकती है और जिला विकास परिषद ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जब तक कि संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस तरह के कार्यों को फिर से न सौंपे।

VI. साधारण कार्य: -

1. कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ाने के उपायों को बढ़ावा देना और बेहतर कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना और उन्नत कृषि और बागवानी प्रथाओं को अपनाना, कृषि और बागवानी खेतों और व्यावसायिक खेती शुरू करना और इनका रखरखाव, गोदामों की स्थापना और इनका रखरखाव, कृषि और बागवानी मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन, कृषि और बागवानी विस्तार और प्रशिक्षण केंद्रों का प्रबंधन और किसानों को प्रशिक्षण, सरकार द्वारा सौंपे गए भूमि सुधार और मृदा संरक्षण कार्यक्रमों की स्कीम तैयार करना और उनका कार्यान्वयन।
2. पशु अस्पतालों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और मोबाइल पशु चिकित्सा औपधालयों की स्थापना और रखरखाव, मवेशियों की नस्ल में सुधार, मुर्गी और अन्य पशुधन पालन, डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन को बढ़ावा देना और महामारी और संक्रामक रोगों की रोकथाम।

3. जिला विकास परिषद के कार्यों में सिंचाई कार्यों में मत्स्य पालन का विकास, इनलैंड, खारे पानी और समुद्री मछली पालन संस्कृति को बढ़ावा देने और मछुआरों के कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निहित हैं।
4. जिला विकास परिषद के नियंत्रण में सिंचाई स्कीमों के अधीन, जल ग्रहण विकास कार्यक्रमों और भूजल संसाधन विकास के लिए जल का समय पर और समान वितरण और पूर्ण उपयोग करने के लिए लघु सिंचाई परिस्कीम ओं का निर्माण, जीर्णोद्धार और रखरखाव।
5. ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्रों की स्थापना और प्रबंधन, कुटीर और ग्राम उद्योगों के उत्पादों की विपणन सुविधाओं का संगठन और ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए राज्य बोर्डों और अखिल भारतीय बोर्डों और आयोगों की स्कीम ओं का कार्यान्वयन, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण आवास कार्यक्रम को बढ़ावा देना, और पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, सामाजिक और कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, ईंधन रोपण और चारा विकास, सामुदायिक भूमि में उगाए गए जंगल के मामूली वन उपज का प्रबंधन और जल ग्रहण क्षेत्र का विकास करना।
6. जिला विकास परिषद की आवश्यकताओं के संबंध में जिला सड़कों और पुलियों, काउजवे, और पुलों (संघ राज्य क्षेत्र राजमार्गों और गाँवों की सड़कों को छोड़कर) का निर्माण और अनुरक्षण और प्रशासनिक और अन्य भवनों का निर्माण और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास और संवर्धन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना, पर्यवेक्षण और निगरानी करना।
7. प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की स्थापना और रखरखाव, अनाथालयों की स्थापना और रखरखाव और शैक्षिक गतिविधियों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन सहित जिले में शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
8. ग्रामीण कारीगर और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और रखरखाव, ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहित करना और सहायता करना, वयस्क साक्षरता, कौशल विकास और गैर-औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों की स्कीम तैयार करना और कार्यान्वयन करना।
9. सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन के अधीन अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को छोड़कर अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रबंधन, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और टीकाकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन, महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, स्कूल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और महिला और बाल विकास कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
10. दिव्यांगों, मानसिक रूप से कमजोर और निराश्रितों के कल्याण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य हितों को बढ़ावा देने सहित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, ऐसी जातियों, जनजातियों और वर्गों की सामाजिक अन्याय और सभी प्रकारके उत्पीड़न से रक्षा करना और ऐसी जातियों, जनजातियों और वर्गों के लिए छात्रावास की स्थापना और प्रबंधन करना, और जिले में छात्रावासों का पर्यवेक्षण, प्रबंधन करना, लोगों को अनुदान, क्रृष्ण और सब्सिडी का वित्र करना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अन्य स्कीमों का कार्यान्वयन करना।
11. पर्यटन गतिविधियों का विकास, पर्यटन स्थलों का विकास और रखरखाव और पर्यटन केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, कला और संस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन करना, युवा क्लबों का प्रचार, युवाओं/संस्कृति/खेल समारोहों का आयोजन, सांप्रदायिक और धार्मिक सद्भाव बनाए रखना,

प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना, विभिन्न ग्रामीण विकास स्कीम ओं के कार्यान्वयन की निगरानी और इसके अधीन बनाई गई आस्तियों का रखरखाव करना।

12. आपदा प्रबंधन सुविधाओं का सृजन और रखरखाव, आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रमों का संचालन, आपदा प्रबंधन समितियों का सृजन और आपदा पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करना।

13. वस्तुओं का परिवहन और उपलब्धता सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी तथा व्यक्तियों को अनुदान, ऋण और सम्बिंदी का वितरण तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अन्य स्कीमों, फर्जी राशन कार्ड को पहचान कर हटाने के लिए कदम उठाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जिला स्कीम समिति के साथ जोड़ने में समन्वय करना, सूचना का प्रसार करना और उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण स्कीमों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

14. इसमें निहित या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारियों या संगठन द्वारा इसे अंतरित सामुदायिक आस्तियों का रखरखाव करना, अन्य सामुदायिक आस्तियों के संरक्षण और रखरखाव में सरकार की सहायता करना, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण विद्युतीकरण, सहकारी गतिविधियाँ का संवर्धन, पुस्तकालयों को बढ़ावा देना, सामाजिक संपरीक्षा का संचालन और ऐसे अन्य कार्य जो इन्हें सौंपा गया हो, का निष्पादन करना।

15. सार्वजनिक सड़कों, नालों, स्नान घाटों, टैंकों, कुओं, तालाबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई और संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों, जल संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन, वर्मी-कम्पोजिंग आदि पर जोर देना।

16. जिले से संबंधित सभी आँकड़ों का संग्रह करना, सारणीबद्ध करना, अद्यतन करना, परिप्रेक्ष्य स्कीम ओं और वार्षिक स्कीम ओं की तैयारी के लिए टीमों/समितियों का गठन करना, एकत्र किए गए आँकड़ों के अनुसार, घरेलू डेटा का संग्रह और संकलन और डेटाबेस बनाए रखना, जिले की इतिहास, संस्कृति, विरासत का अभिलेखन, आवधिक रूप से मानव विकास सूचकांक की संगणना, सभी सरकारी स्कीमों के बारे में सूचना का प्रसार करना और जागरूकता सृजन करना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का संचालन करना।

17. राष्ट्रीय और राज्य नीति के अनुरूप ग्रामीण पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण और परिरक्षण के लिए स्कीम तैयार करना और कार्यान्वयन करना, जिला जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करना, लोगों का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना, जैव विविधता अधिनियम 2002 के लिए स्कीम ओं और कार्यक्रमों की तैयारी करना कार्यान्वयन, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण करना और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्कीम ओं की तैयारी करना और कार्यान्वयन करना।

18. बेकार/खाली सरकारी भूमि, जिसकी ब्लॉक स्तर पर किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता नहीं है, के उपयोग के संबंध में एक नीति तैयार करने के लिए भूमिहीन/बेघर परिवारों/व्यक्तियों की पहचान करने में राजस्व अधिकारियों की मदद करना, पंचायतों और ब्लॉक विकास परिषदों को राजस्व मामलों से सम्बंधित सौंपे गए कार्यों का पर्यवेक्षण करना, राज्य/क्षेत्राई/जल निकाय/साझी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए नीति तैयार करना, कानूनी कार्यवाही के संचालन में कानूनी मशीनरी को सहायता (जैसे पूरे क्षेत्र में नोटिस का प्रकाशन, विभिन्न हलका पंचायतों के क्षेत्रों आदि में खाली राज्य भूमि की पहचान) और यथास्थिति, राजस्व

रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियों, कदाचरण, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ भूमि रूपांतरण के बारे में तहसीलदार/एसडीएम/उपायुक्त या उच्च प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना।

19. सरकार जिला विकास परिषद को, सरकार के कार्यकारी प्राधिकारी को दिए गए अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा इसे सौंपे गए किसी भी कार्य के सम्बन्ध में किसी भी मामले से सम्बंधित कार्य सौंप सकती है और सरकार इस धारा के अधीन सौंपे गए कार्यों को अधिसूचना द्वारा वापस ले सकती है या उपांतरित कर सकती है।

VII. जिला विकास परिषद द्वारा विकास योजनाएं तैयार करना :

- प्रत्येक स्तर पर पंचायत निहित कार्यों के संबंध में विहित प्ररूप और रीति में प्रत्येक वर्ष, अगले वर्ष के लिए संबंधित पंचायत क्षेत्र के लिए से एक विकास स्कीम तैयार करेगी जिसे ग्राम पंचायत विकास स्कीम कहा जाएगा और इसे विहित तारीख से पूर्व ब्लॉक विकास परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा।
- पंचायतों द्वारा स्कीम प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 02 अक्टूबर को आरंभ होगी और 31 दिसम्बर को समाप्त होगी।
- ग्राम पंचायत हलका मजलिस द्वारा प्रस्तुत की गई योजना प्रस्तावों के अनुसार विकास योजना तैयार करेगी जो वार्ड मजलिस द्वारा विरचित योजनाओं के अनुसार विकास स्कीम तैयार करेगी।
- पंचायत स्तर पर नियोजन की सुविधा के लिए वे सभी विभाग जिनके विषय पंचायत को अंतरित किए गए हैं, वे अगले वर्ष के लिए उपलब्ध संसाधनों और जिन स्कीमों के अधीन निधियां उपलब्ध हैं, के बारे में पंचायत को सूचित करेंगे और स्कीम तैयार करते समय वार्ड मजलिस, हलका मजलिस और हलका पंचायत द्वारा पालन किये जाने वाले मानदंडों के बारे में जागरूक बनाएंगे।
- हलका पंचायत विहित तारीख से पहले ग्राम पंचायत विकास स्कीम को ब्लॉक विकास परिषद को प्रस्तुत करेगी और ब्लॉक विकास परिषद पंचायतों द्वारा तैयार सभी स्कीम ओं को समेकित करेगी और जिला विकास परिषद को प्रस्तुत करेगा।
- जिला विकास परिषद, ब्लॉक विकास परिषदों द्वारा तैयार की गई योजनाएं प्राप्त करेगी सरकारी दिशानिर्देशों, मानदंडों और नियमों के पालन हेतु संवीक्षा करेगी और वह समेकित स्कीम जिला स्कीम समिति को प्रस्तुत करेगी जो इसके पश्चात इसे सम्बंधित वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत करेगी और प्रशासनिक विभागों/वित्त विभाग को स्कीम ओं को 31 जनवरी से पहले अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
- जहां जिला नियोजन समिति इस आधार पर विकास स्कीम के प्रारूप में बदलाव करने का निदेश देती है कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सब्सिडी के लिए क्षेत्रवार प्राथमिकता और मानदंडों का पालन नहीं किया गया है अथवा प्रारूप विकास योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकास स्कीम ओं के लिए पर्याप्त निधियां नहीं दी गई हैं अथवा यह स्कीम इस अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार नहीं की गई है, जिला स्कीम समिति पंचायत को इसे वापस कर देगी यद्यपि जिला विकास परिषद और पंचायत इस तरह के बदलाव करने के लिए बाध्य होंगी।
- परिषद वार्षिक और पंचवर्षीय स्कीम ओं के अतिरिक्त; पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए एक भावी स्कीम तैयार करेगी, जिसमें अवसंरचना के विकास और संसाधनों पर विचार करते हुए स्थानिक स्कीम और आगे के विकास की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और ऐसी स्कीम संबंधित जिला स्कीम समिति को भेजी जाएगी।

[फा.सं. 11012/21/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)
ORDER

New Delhi, the 16th October, 2020

S.O. 3654(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Jammu and Kashmir, namely:—

1. (1) This Order may be called the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Fourth Order, 2020.
 (2) It shall come into force with immediate effect.
2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of laws in force in the territory of India.
3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the said Schedule, or if it is so directed, shall stand repealed.
4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.
5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st October, 2019; and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.
6. The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—
 - (a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;
 - (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;
 - (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or
 - (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,
 and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) or this Order had not been passed or issued.

THE SCHEDELE
(See Paragraph 3)
STATE LAWS

1. THE JAMMU AND KASHMIR PANCHAYATI RAJ ACT, 1989
(Act No. IX of 1989)

Unless otherwise provided for, throughout the Act, for the words “Code of Civil Procedure, Samvat 1977”, “Code of Criminal Procedure, Samvat 1989”, “Government”, “Government Gazette” and “State” wherever occurring, substitute respectively “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”, “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”, “Government of the Union territory of Jammu and Kashmir”, “Official Gazette” and “Union territory of Jammu and Kashmir”.

Section 1.— In sub-section (2), for “whole of the State of Jammu and Kashmir” substitute “whole of the Union territory of Jammu and Kashmir”.

Section 2.— (i) In clause (e), for sub-clause (iii), substitute—
 “(iii) The District Development Council;
 (iv). District Planning Committee”;

- (ii) for clause (g), substitute -
 “(g) “District Development Council” means a District Development Council constituted under this Act;
 (gg) “District Planning Committee” means a “District Planning Committee” constituted under this Act”.
- (iii) Omit clause (mm);
 (iv) in clause (u), for sub-clause (ii), substitute-
 “(ii) the District Development Council.”.

Insertion of new Section 2A-

After section 2, insert -

Substitution of certain expressions. **2A.** Throughout the Act, for “District Planning and Development Board” wherever then occur substitute “the District Development Council”.

Insertion of new Chapter-

After Chapter I, insert -

“CHAPTER I-A
Ward Majlis and Halqa Majlis

Ward Majlis (Ward Sabha).

3A. (1) For every ward of the Halqa Panchayat as may be determined in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (2) of section 2 , there shall be a Ward Majlis.

(2)All adult persons of the ward whose names are included in the electoral rolls relating to Halqa Panchayat shall be deemed to be constituted as Ward Majlis of such Halqa Panchayat.

(3)The Ward Majlis shall meet at least once in three months and the procedure for convening and conducting the meeting of the Ward Majlis shall be such as may be prescribed.

(4) The meeting of the Ward Majlis shall be presided over by the Panch or in his absence by a member of the Ward Majlis to be elected for the purpose by the majority of the members present in the meeting.

(5)The quorum of the meeting of the Ward Majlis shall be not less than one-tenth of the total members out of which members belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and Women shall be in proportion to their population.

(6) All resolutions in respect of any subject in the meeting held under this section shall be passed by a majority of the members present and voting.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a special meeting of Ward Majlis shall be convened where at least ten percent. of the voters of the ward make a request in writing specifying the subject for the meeting:

Provided that no two special meetings shall be held within a period of three months.

Functions of Ward Majlis.

3B. The functions of the Ward Majlis within its respective jurisdiction shall be to assist the Deh Majlis and also include the following functions, namely:-

- (i) to render assistance to the Halqa Panchayat in collection and compilation of details required for formulation of development plans;
- (ii) to generate proposals and fix priority of development schemes and programmes to be implemented in the area of the Ward Majlis;
- (iii) to identify beneficiaries in order of priority, for the implementation of development schemes pertaining to the area of Ward Majlis;
- (iv) to render assistance in effective implementation of development scheme;
- (v) to suggest the location of public utilities, amenities and services like street lights, community water taps, public wells, public sanitation units, irrigation facilities,etc;
- (vi) to formulate schemes and impart awareness on matters of public interest like cleanliness, preservation of environment, prevention of pollution, guarding against social evils,etc;
- (vii) to promote harmony and unity among various groups of people;

- (viii) to verify the eligibility of persons getting various kinds of welfare assistance from Government such as pensions and subsidies;
- (ix) to collect information on the details estimates of works proposed to be taken in the area;
- (x) to undertake social audit in all works implemented in the area and award utilisation and completion certificate for such works;
- (xi) to promote literacy, education, health, child care and nutrition;
- (xii) to assist the activities of parent-teacher associations in the area; and
- (xiii) to exercise such other functions as may be prescribed.

Halqa Majlis (Gram Sabha).

3C. (1) There shall be a Halqa Majlis for each Halqa Panchayat consisting of such persons whose names have been included in the electoral rolls relating to the village or the group of villages comprised within the area of the Halqa Panchayat.

(2) The meetings of the Halqa Majlis shall be convened by the Sarpanch of the Panchayat or, in his absence, by the Naib-Sarpanch of such Panchayat, and in the event of both the Sarpanch and the Naib-Sarpanch being absent, a meeting of the Halqa Panchayat shall be presided by one of the Panchayat authorised by the Halqa Panchayat.

(3) The procedure for convening and conducting the meeting of the Halqa Majlis shall be such as may be prescribed.

(4) There shall be at least four meetings of the Halqa Majlis every year, one in every quarter of the financial year:

Provided that in case of urgency, the meeting of the Halqa Majlis may be convened earlier in accordance with such procedure as may be prescribed in this behalf.

(5) The Secretary Panchayat shall record the minutes of the meeting of Halqa Majlis and the Inspector Panchayat of the concerned area shall attend all such meetings and be responsible for the correct recording to the minutes of such meetings by the Secretary of the Panchayat.

(6) The quorum of the meeting of the Halqa Majlis shall be not less than one-tenth of the total members out of which members belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribe and Women shall be in proportion to their population.

(7) Any resolution relating to the matters entrusted to the Halqa Majlis under this section, shall have to be passed by a majority of votes of the members present and voting in the meeting of the Halqa Majlis.

Functions of Halqa Majlis.

3D. The functions of the Halqa Majlis within its respective jurisdiction shall be to assist the Halqa Panchayat and also include the following functions, namely:-

- (i) to approve the plans, programmes and projects for social and economic development in order of priority, out of the plans, programmes and projects approved by the Ward Majlis before such plans, programmes and projects are taken up for implementation by the Panchayat;
- (ii) to identify or select persons as beneficiaries under the poverty alleviation and other programmes, in order of priority out of the persons identified by the various Ward Majlis coming under its jurisdiction;
- (iii) to conduct social audit as per prescribed procedure in respect of funds utilised under different schemes in wards;
- (iv) to mobilise voluntary labour and contribution in kind or cash or both for the community welfare programmes;
- (v) to promote literacy, education, health and nutrition;
- (vi) to promote unity and harmony among all sections of the society in such area;
- (vii) to seek clarifications from the Sarpanch and members of the Panchayat about any particular activity, scheme, income and expenditure;
- (viii) to identify and approve development works in order of priority from out of the works recommended by the Ward Majlis;
- (ix) to plan and manage minor water bodies;
- (x) to manage minor forest produce;
- (xi) to exercise control over institutions and functionaries in all social sectors;

- (xii) to exercise control over local plans and resources for such plans including tribal sub-plan;
- (xiii) to consider and approve the recommendations made by each Ward Majlis in the area of such Panchayat Halqa; and
- (xiv) such other functions as may be prescribed.”.

- Section 4.**
- (i) in sub-section (2b), for “two meetings” substitute “four meetings”;
 - (ii) in sub-section (3), in the first proviso, for “total number of panch seats in that panchayat” substitute “total number of panch seats to be filled by direct election in that panchayat”;
 - (iii) in sub-section (3), for “including the Sarpanch” substitute “excluding the Sarpanch”;
 - (iv) after sub-section (3), insert -
“(3A) The Sarpanch shall be elected directly by the electorate of Halqa Panchayat in such manner as may be prescribed.”;
 - (v) in sub-section (4), for “the sarpanch and Naib-Sarpanch” substitute “the Naib-Sarpanch”.

Section 5. Insert the provisos-

“Provided that in case of a bye-election or elections to fill casual vacancy, the tenure of Sarpanch, Naib Sarpanch or Panch so elected shall be co-terminus with the term of the Panchayat:

Provided further that in case a Panchayat is not constituted for any reason whatsoever and election for same is held, the tenure of Sarpanch, Naib Sarpanch or Panch so elected shall be remainder of the term with such Panchayat being deemed to have been constituted from the date first Panchayat is constituted after the general elections of Panchayats.”.

Section 6. In sub-section (1),-

- (i) omit clause (a); and
- (ii) in clause (i), for “the Jammu and Kashmir Probation of Offenders Act, 1966” substitute “the Probation of Offenders Act, 1958 (2 of 1958)”.

Section 7. For “six consecutive meetings” substitute “three consecutive meetings”.

Section 8. (i) For sub-Section (1), substitute-

“(1) Whenever a vacancy occurs by the death or resignation of Panch or Sarpanch, the vacancy shall be filled by election:

Provided that the remainder of term for such vacancy is more than six months:

Provided further that the tenure of the Panch or Sarpanch so elected shall be as per provisions of section 5 and that the election shall be held as per the reservation roster prepared during the general election held for the Panchayats where such vacancies have arisen or where such election could not materialise.”

- (ii) in sub-section (2), for “50% of the total number of members” substitute “50% of the total number of elected members”.

Section 8-A. Omit.

For section 9, substitute-

Appointment of Administrator. “9. (1) (a) If the Government is satisfied that a Halqa Panchayat for a village or a group of villages immediately after the establishment of such Halqa Panchayat cannot be constituted –

- (i) by reason of any difficulty in holding the election of the members of the Halqa Panchayat; or
- (ii) by reason of failure to elect such members at two successive elections held under the provisions of this Act; or
- (iii) because of any other sufficient reason whatsoever; or

(b) If at any general election to a Halqa Panchayat, either no member is elected or Sarpanch is elected but no other member is elected or other members are elected but Sarpanch is not elected,

the Government shall by notification appoint an Administrator, who shall be an employee of the Government,

Provided that an Administrator so appointed shall hold office for a period of six months which may be extended by the Government for a period of three months by a

notification in the Official Gazette.

(2) If in the opinion of the Government, or any other officer authorised by it, but not below the rank of Additional District Magistrate, a Halqa Panchayat is incompetent to perform or persistently makes default in the performance of duties imposed on it by or under any of the provisions of this Act, or otherwise through Government instructions, the Government or such officer after the approval of the Government may, by notification, based on the recommendations of the Ombudsman, supersede such Halqa Panchayat and appoint an Administrator, who is an employee of the Government for carrying out the work of Halqa Panchayat:

Provided that no order under this sub-section shall be passed unless Halqa Panchayat is called upon to show cause why such order shall not be passed:

Provided further that explanation tendered by the Halqa Panchayat shall be forwarded to the Ombudsman appointed under the Jammu and Kashmir Ombudsman for Panchayats Act, 2014 for consideration and recommendation to the Government or officer authorised by it.

(3) The period of supersession shall not exceed six months during which the elections for the said Halqa Panchayat shall be held.

(4) The Administrator appointed under sub-section (2) shall hold office for such period not exceeding six months as the Government or officer authorised by it, may specify in the notification under sub-section (1) or sub-section (2).

(5) On the appointment of an Administrator under sub-section (2),-

(i) the persons, if any, chosen as members of Halqa Panchayat, including Sarpanch before such appointment shall cease to be members of Halqa Panchayat and all the powers and duties of the Halqa Panchayat shall be exercised and performed by such Administrator;

(ii) the funds and other property vested in the Halqa Panchayat shall, during the period of supersession, vest in the Administrator appointed under this section.

(6) The Administrator appointed under sub-sections (1) and (2), shall be deemed to be Halqa Panchayat for the purposes of this Act, notwithstanding anything contained in the foregoing provisions.”.

Section 10.— Omit

Section 11.- For “resigning his office and” substitute “resign his office and on acceptance of his resignation by such authority”.

For section 12, substitute—

Powers and functions of Halqa Panchayat. “12.(1) The Halqa Panchayat shall perform the functions specified in Schedule I-A: Provided that where the Government provides funds for the performance of any function specified in Schedule I-A, the Halqa Panchayat shall perform such function in accordance with the guidelines or norms laid down by the Government for performing such function.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and Schedule I-A, subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of each Halqa Panchayat to make provision for the following subject to, the availability of funds at its disposal—

- (i) to prepare the plans for the development of the Halqa in consultation with Halqa Majlis and their timely submission to Block Development Council for consolidation;
- (ii) to undertake measures for the implementation of the development plans;
- (iii) to specifically deal with the problems of soil conservation, water management, social forestry, rural industrialisation, agriculture, sheep and animal husbandry, sanitation, health and other welfare programmes;
- (iv) regulation of buildings, shops and entertainment houses and checking of offensive or dangerous trades;
- (v) construction and maintenance of slaughter houses, regulation of sale and preservation of meat and processing of skins and hides;
- (vi) regulation of sale and preservation of fish, vegetables and other perishable articles and food;

- (vii) regulation of fairs and festivals;
- (viii) preparation and implementation of special development plans for alleviating poverty and employment generation as may be notified by the Government from time to time; and
- (ix) all matters involving regulation, supervision, maintenance and support, incidental to, or necessary for the more efficient discharge of the above functions and those which may be entrusted to Halqa Panchayat under the provisions of this Act.

(3) The Halqa Panchayat shall also conduct concurrent and quarterly social audit of all works, schemes and project being implemented in the Panchayat areas as per procedure to be notified by the Government.

(4) The Halqa Panchayat shall also perform such other functions and duties as may be assigned or entrusted to it by the Government, the District Planning and Development Board and the Block Development Council within the area in which Halqa Panchayat is constituted.”.

Section 14.- After sub-section (1), insert -

“(2) The Halqa Panchayat shall have power to operate the funds, grants, etc. specified in Schedule 1-C in the manner specified.”.

Insertion of new Section 2

For section 15 substitute—

Imposition of fee by Halqa Panchayat. “15. (1) Every Halqa Panchayat shall in such manner and in accordance with such rules as may be notified by the Government, impose a fee on commercial buildings subject to such exemptions as may be prescribed:

Provided that where the owner of the building has left the Panchayat area or cannot be otherwise found, the occupier of such building shall be liable for the fee leviable on such owner:

Provided further that in the absence of Halqa Panchayat, the concerned Block Development Officer shall be empowered to collect the fees and taxes already imposed by the Halqa Panchayat.

(2) A Halqa Panchayat may also levy fee on all or any of the following items at such rates as may be determined by the Halqa Panchayat and subject to such exemptions as may be notified by the Government from time to time, namely:-

- (a) fee on entertainment;
- (b) fee on advertisements and hoardings;
- (c) fee on commercial tractors kept in area of the Halqa Panchayat;
- (d) fee on business and professions within the jurisdiction of Halqa Panchayat like on rice husking mills, saw mills, flour mills, rice mills, gharats, brick kilns, oil mills, slaughter houses, petrol pumps, private hospitals, laboratories, diagnostic-centres, soda, ice, ice-cream factories, spice grinding mills, motor vehicles, tractor dealers, liquor shops, hot wet mix plant, stone crushers, poultry, dairy farms, horse traders, small scale industrial units, mobile towers, power plants, printing presses, kerosene oil, ration, dealers, etc;
- (e) fee on contractors for executing such works allotted to them by the Government within the jurisdiction of Halqa Panchayat;
- (f) fee on travel agents and transport agencies;
- (g) fee on organising melas, festivals, etc. where necessary arrangement for the water supply, health and sanitation are to be made by the Halqa Panchayat or where such melas or festivals are held on Panchayat land;
- (h) fee on registration of shops and other commercial establishments in the jurisdiction of Halqa Panchayat;
- (i) fee on buses, other passenger vehicles and commercial vehicles on account of halte within the jurisdiction of Halqa Panchayat for providing adequate facilities for the travelers by the Gram Panchayat;
- (j) fee on cattle pounds;
- (k) fee on road cutting for laying optical fiber cable;

- (l) royalty for extraction of minor minerals from local nallahs not falling under the ambit of Geology and Mining Department and not exempted from royalty under any specific provision of law;
- (m) penalty for use of plastic or polythene and for open defecation;
- (n) sanitation cess; and
- (o) such other fee as may be approved by the Government:

Provided that the Government may at any time after giving an opportunity of being to the Halqa Panchayat cancel or modify or alter rate of any fee imposed under this section”.

After section 15 insert—

Revision of fee and rates. “15A. – The Halqa Panchayat may revise the fees and rates leivable under section 15, at the most once, in a two year period.”.

Section 16.- For “Sarpanch” substitute Halqa Panchayat”.

Section 19.- For the full stop (.) at the end substitute colon (:) and thereafter, insert-

“Provided that no such revision shall be made unless an opportunity of being heard is provided to the Halqa Panchayat”.

For section 20, substitute:-

Accounts and audit. **20.** The books of accounts of the Halqa Panchayat shall be maintained in such form and manner as may be prescribed:

Provided that Halqa Panchayat shall be required to get its accounts audited by a Chartered Accountant every year:

Provided further that Government through a prescribed authority shall get the accounts of the Halqa Panchayat audited in the manner prescribed.”.

For section 26, substitute:-

Staff. **26.** (1) Subject to such rules as may be prescribed in this behalf, a Halqa Panchayat may employ such staff as is necessary for carrying out the duties imposed on it by this Act.

(2) A Halqa Panchayat shall pay remuneration to such staff out of its own resources.

(3) The Government shall also provide staff to the Halqa Panchayat as specified in Schedule I-B for carrying out the purposes of this Act.

Section 27. - Omit last proviso to sub-section (3).

Section 28.— Omit sub-section (4).

Section 30.- For “Panches and Sarpanches” substitute “Sarpanches”.

For section 31, substitute –

Powers and functions of Block Development Council. “31. (1) The Block Development Council shall perform functions specified in Schedule II-A:

Provided that where the Government provides funds for the performance of any function specified in Schedule II-A, the Block Development Council shall perform such function in accordance with guidelines or norms laid down by the Government for performing such function.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and Schedule II-A, and subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of each Block Development Council to perform the following functions:-

- (i) compilation of all Panchayat level plans and their timely submission to District Planning and Development Board for integration with District Plan;
- (ii) preparation of all Block Level Plans and timely submission of the same to the District Planning and Development Board for Integration with District Plan;
- (iii) construction, maintenance and supervision of Inter-Halqa Panchayat Communication System;

- (iv) administrative and technical guidance to Halqa Panchayats and review of their work;
 - (v) to supervise plans relating to agriculture, rural development, animal husbandry, sheep husbandry, social forestry, education and public health;
 - (vi) monitor such programs as may be notified by the Government from time to time, including Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, National Rural Livelihood Mission, Prime Minister Awas Yojna, Integrated Watershed Management Programme, Mid-day Meal Scheme and Integrated Child Development Services;
 - (vii) undertake measures for effective supervision and monitoring of various developmental programmes; and
 - (viii) to carry out such other functions as may be entrusted to it by the Government or by the District Planning and Development Board.
- (3) The Block Development Council may form such sub-committees as required for carrying out the purposes of this Act and in accordance with the procedure laid down in this behalf.
- (4) Subject to such rules as may be prescribed in this behalf, the Block Development Council may employ such staff as is necessary for carrying out the duties imposed on it by this Act.
- (5) The Block Development Council shall pay the remuneration to such servant out of its own resources.
- (6) The Government may also provide the staff to the Block Development Council as specified in Schedule II-B for carrying out the purposes of this Act.”.

Section 34.- After sub-section (2), insert-

“(3) The Block Development Council shall have power to operate funds, grants, etc. specified in Schedule II-C in the manner prescribed.”

Section 36.- (i) In sub-section (1), for the second proviso substitute-

“Provided further that for purposes of holding general elections under this Act upto December, 2020 or until a full time State Election Commissioner is appointed earlier, the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls and conduct of, all elections in accordance with this Act shall vest in the Chief Electoral Officer”;

(ii) in sub-section (2), for “State” and “Government Gazette” substitute “Union territory” and “Official Gazette” respectively

(iii) in sub-section (3), insert -

“Provided that when the Proclamation under section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 is in force, State Election Commissioner shall be appointed by the Lieutenant Governor of Union territory of Jammu and Kashmir”;

(iv) in sub-section (4), for “State” substitute “Union territory”;

(v) in sub-section (5), omit “and Constitution of Jammu and Kashmir”; and

(vi) for “Governor” wherever occurring, substitute “Lieutenant Governor”.

Sections 36-A, 36-B and 36-C.- For “Governor” wherever occurring, substitute “Lieutenant Governor”.

Section 36-D.- (i) in sub-section (1), for “the Code of Civil Procedure, Samvat 1977” substitute “the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”; and

(ii) in sub-section (2), after clause (cc), for the proviso substitute-

“Provided that for the purposes of holding general elections under this Act upto December 2020 or until a full time State Election Commissioner is appointed earlier, the

power to determine and delimit halqa panchayats in accordance with this Act shall vest in the Chief Electoral Officer.”.

Section 38. For “every Halqa Panchayat” substitute “every election to be held under this Act”.

Section 39. Omit clause (i).

After section 39, insert –

Election of Sarpanches of Halqa Panchayats. “**40.** – Sarpanches of Halqa Panchayats shall be elected by electorate of the Halqa Panchayat.”.

Section 42. (i) In sub-section (1), for “or within six months from the date of supersession” substitute “or within six months from the date of appointment of Administrator under section 9”.

(ii) for sub-section (2), substitute -

“(2) The election of the Chairperson of the Block Development Council shall be held not later than three months after the constitution of Panchayats or six months after a casual vacancy occurs, as the case may be.

Section 42-A. (i) for sub-section (1), substitute-

“(1) Any person may nominate himself as a candidate for election of:-

(a) Panch or Sarpanch of a Halqa Panchayat if his name is included in the electoral roll of such Halqa Panchayat;

(b) Chairperson of a Block Development Council if his name is included in the electoral roll of such Block Development Council; and

(c) directly elected members of a District Development Council if his name is included in the electoral roll of any Halqa Panchayat of such District.”,

(ii) in sub-section (2), for “Panch of a Halqa Panchayat or Chairperson, Block Development Council” substitute “Panch or Sarpanch of a Halqa Panchayat or Chairperson, Block Development Council or directly elected members or Chairperson of a District Development Council.”;

(iii) in sub-section (3):-

(a) for “Panchayat Constituency or Block Development Council” substitute “Panchayat Constituency or Block Development Council or District Development Council”; and

(b) for “Chairperson, Block Development Council” substitute “Chairperson, Block Development Council or directly elected members of a District Development Council”.

Section 43. - For “as Panch” substitute “as Sarpanch, Panch” and for “Chairperson of the Block Development Council” substitute “Chairperson of the Block Development Council or elected member or Chairperson of the District Development Council”.

Section 45. - For section 45, substitute:-

Establishment of District Development Council **45.-** For each district there shall be a District Development Council, having jurisdiction, over the entire district excluding, such portions of the district as are included in a Municipality or Municipal Corporation constituted under any law for the time being in force.

Constitution of District Development Council **45-A.-** (1) Every District Development Council shall consist of-

(a) the directly elected members from territorial constituencies in the district;

(b) the Members of the Legislative Assembly representing a part or whole of the district whose constituencies lie within the district; and

(c) the Chairperson of all Block Development Councils of the district;

(2) The number of elected members of a District Development Council under clause (a) of sub-section (1) shall consist of persons elected from the territorial constituencies in the

district, as may be notified from time to time, which shall be fourteen in number.

(3) All members of District Development Council, whether or not elected by direct election from territorial constituencies in the district shall have the right to vote in the meeting of the District Development Council:

Provided that in the case of election or removal of the Chairman and Vice-Chairman only the directly elected members shall have the right to vote.

(4) Seats to be filled by direct election shall be reserved in the District Development Council-

- (a) for the Scheduled Castes; and
- (b) for the Scheduled Tribes,

and the number of seats to be filled by direct election so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the District Development Council as the population of the Scheduled Castes in the district or of the Scheduled Tribes in the district bears to the total population of the district.

(5) Not less than one-third of the total number of seats reserved under sub-section (4) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.

(6) One-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every District Development Council shall be reserved for women.

(7) The seats reserved under sub-sections (4), (5) and (6) shall be allotted by rotation to different constituencies in the district in such manner as may be prescribed.

(8) The Additional District Development Commissioner of the District shall be the Chief Executive Officer of the District Development Council and he shall be assisted by the District level heads in the discharge of functions as such.

(9) The term of District Development Council shall be five years except for holding common elections to all the tiers of the Panchayats simultaneously so that all the tiers have co-extensive terms in the district.

(10) The provisions for disqualification from the membership of a Halqa Panchayat as provided under section 6 shall be applicable mutatis-mutandis to the directly elected members of the District Development Council.

(11) A Chairperson, Vice Chairperson of a District Development Council may, by writing under his hand, addressed to such authority and in such manner as may be prescribed, resign his office and on acceptance of the resignation by such authority the office shall thereupon become vacant.

(12) Any Chairperson vacating an office of District Development Council either by resignation or removal shall handover the charge to the Vice Chairperson of the District Development Council.

(13) In the event of the position of the Vice Chairperson having been vacated earlier, the Chairperson shall hand over the charge to the Chief Executive Officer.

(14) A Chairperson or a Vice Chairperson shall be deemed to have vacated his office forthwith if a resolution expressing want of confidence in his favour is passed by a majority of not less than two third of the directly elected Members of the District Development Council at a meeting specifically convened for the purpose in the prescribed manner on the following grounds, namely;-

- (i) gross misconduct;
- (ii) neglect of duty;
- (iii) any disqualification prescribed under sub-section (10);
- (iv) failure to attend three consecutive meetings of the District Development Council;

Provided that failure to attend meetings of the District Development Council shall not render him liable to removal if such failure is due to reasons beyond his control.

Election of Chairperson and Vice-Chairperson

45-B.- (1) After the declaration of the results, the Deputy Commissioner shall, as soon as possible but not later than one week of such declaration, call under his presidentship a meeting of elected members of the District Development Council for the purposes of oath or affirmation or allegiance.

(2) Immediately after oath or affirmation of allegiance is administered or made, the elected members of a District Development Council shall, in the prescribed manner, elect from amongst themselves one of its members to be the Chairperson and another to be the Vice-Chairperson of the District Development Council:

Provided that if the office of the Chairperson or Vice-Chairperson, as the case may be, is vacated or falls vacant during the tenure on account of death, resignation or no-confidence motion, a fresh election within a period of three months from the date of occurrence of vacancy shall be held from the same category, in such manner as may be prescribed.

(3) One-third of the total number of seats for the office of the Chairperson of District Development Council in the Union territory of Jammu and Kashmir shall be reserved for women.

(4) The seats reserved under sub-sections (3) shall be allotted by rotation in such manner as may be prescribed.

Conduct of business.

“45-C. (1)Meetings:

(1) The Chairperson shall convene atleast four meetings of the District Development Council in a financial year, one in each quarter which shall be called the ordinary or general meeting and every meeting of the District Development Council shall ordinarily be held at District Development Council headquarters:

Provided that the first meeting of the District Development Council shall be held within one month of its constitution.

(2) ‘Ten clear days’ notice of an ordinary meeting and ‘seven clear days’ notice of a special meeting specifying the time at which such meeting is to be held and the business to be transacted thereat shall be sent to the members and pasted at the office of the District Development Council.

(3) The Chairperson may, whenever deemed fit and shall upon the written request of not less than one third of the total number of members and on a date within fifteen days of receipt of such request call a special meeting and such request shall specify the object for which the meeting is proposed to be called.

(4) One half of the total members of the District Development Council shall form a quorum for transacting business at a District Development Council.

(5) Every meeting shall be presided over by the Chairperson or if he is absent or if the office of the Chairperson is vacant, by the Vice Chairperson and if both the Chairperson and Vice Chairperson are absent, the members present shall elect one from among themselves to preside.

(6) All questions shall, unless otherwise specially provided, decided by a majority of members present and voting.

(7)The proceedings of every meeting shall be recorded in the minute -book immediately after the deliberations of the meeting and shall after being read over by the Chairperson of the meeting, be signed by him.

(8) A copy of every resolution passed by a District Development Council at a meeting shall within ten days from the date of meeting be forwarded to the Government and copies of minutes shall be furnished to all Members.

(9) The District Development Council may require presence of officers at meetings- If it shall appear to a District Development Council that the attendance of any officer of the Government having jurisdiction over the area of the District Development Council, is desirable at a meeting of the District Development Council, the Chief Executive Officer shall by a letter addressed to such officer not less than fifteen days before the intended meeting, request the officer to be present at the meeting:

Provided that the officer on receipt of such letter may, if for any reasonable cause is unable to be present thereat, instruct his deputy or other subordinate to represent him at the meeting.

(10) Until the contrary is proved, every meeting of a District Development Council or of a committee appointed under this Act in respect of proceedings whereof a minute has been made and signed in accordance with this Act, shall be deemed to have been duly

convened and held and the members of the meeting shall be deemed to have been duly qualified and where the proceedings are the proceedings of a committee, such committee shall be deemed to have been duly constituted and to have had the power to deal with the matter referred to in the minute.

(11) During any vacancy in a District Development Council or a Committee, the Continuing Member or Members may act as if no vacancy has occurred

Standing Committees.

45-D (1). In every District Development Council, the following standing committees shall be constituted, namely: -

- (i) Standing Committee for Finance;
- (ii) Standing Committee for Development;
- (iii) Standing Committee for Public Works;
- (iv) Standing Committee for Health and Education;
- (v) Standing Committee for Welfare.

(2) Every standing committee shall consist of such number of members, including its Chairperson as decided by the District Development Council, so that all other elected members except the Chairperson and Vice Chairperson shall be elected as a member in any of the standing committee and the number of members elected to each standing committee shall, as far as possible, be equal.

(3) The number of members of each standing committee as decided by the District Development Council shall not be changed within the term of that Council.

(4) In every standing committee there shall be members of the District Development Council elected from amongst themselves and a member shall not be a member of more than one standing committee at a time except when required due to insufficient number of members of the District Development Council.

(5) The Chairperson of every standing committee, except the standing committee for finance, shall, be elected by the members of the respective standing committee from amongst themselves.

(6) The Vice-Chairperson of District Development Council shall be an ex-officio member and Chairperson of the standing committee for finance and the Chairperson shall be an ex-officio member of all standing committees without the right to vote.

(7) A member other than an ex-officio member of a standing committee and the Chairperson of a standing committee other than the standing committee for finance may resign the membership or Chairmanship of a standing committee, as the case may be, by tendering resignation to the Secretary in the prescribed form and the resignation shall take effect from the date on which it was received by the Secretary and the Secretary shall inform the fact immediately to the Chairperson and the District Development Council.

(8) The person who resigns the membership or Chairmanship of the Standing committee shall give in person or send through registered post his resignation where such resignation letter is attested by a gazetted officer, as the case may be, to the Secretary and the Secretary shall acknowledge receipt of the same.

(9) Except as otherwise provided in this Act, the term of the Chairman of a standing committee or its member shall co-exist with the term of that Council.

(10) An election to fill up casual vacancy of the member of standing committee shall be conducted within thirty days of the occurrence of that vacancy:

Provided that where the vacancy in a standing committee could not be filled up due to the vacancy of a member of Council, the vacancy of standing committee shall be filled up within thirty days from the date of filling up of the vacancy of the member of Council.

(11) If a casual vacancy of the Chairman of a standing committee other than the standing committee for finance arises one of its members shall be elected as its Chairman in the next meeting of the standing committee.

(12) A motion of no-confidence on the Chairperson of the standing committee other than the standing committee for finance may be moved subject to the prescribed provisions and procedures and if such a motion is passed with the support of not less than the majority of the members of the standing Committee, the Chairman of that standing committee shall cease to hold office and he shall be deemed to have vacated the office of the chairman of the standing committee immediately.

- (13) Standing Committee for finance shall deal with the subjects like finance, accounts, audit, budget, general administration and subjects not allowed to other standing committees.
- (14) The Standing Committee for Development shall deal with the subjects like development planning, socio-economic planning, agriculture, soil conservation, animal husbandry, minor irrigation, fisheries, small scale industry, etc.
- (15) The Standing Committee for Public Works shall deal with the subjects like public works, housing, spatial planning and environment.
- (16) The Standing Committee for Health and Education shall deal with subjects like public health and education.
- (17) The Standing Committee for Welfare shall deal with subjects like social welfare, development of women and children and development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- (18) The standing committees of the Council may perform such other powers and functions of the Council as may be entrusted to it by the Council in addition to the powers and duties conferred on it by rules made in this behalf.
- (19) Every resolution passed by the standing committee shall be placed before the Council in its next meeting and the Council shall have power to modify such resolution if considered necessary.
- (20) The standing committees shall perform their functions and conduct their business in the manner prescribed.”.

Section 46.-

In sub-section (1),-

- (a) after “the following powers and functions” insert “in addition to functions specified in Schedule III”;
- (b) for clause (i), substitute –
 - “(i) To consider and guide the formulation of development programmes for the area of the district under its authority and indicate priorities for various schemes and consider issues relating to the speedy development and economic upliftment of the area of the District under its authority.”;
- (c) for clause (ii), substitute –
 - “(ii) to review periodically progress and achievements of developmental plans and schemes and make recommendations to the Government, District Development Committee, Block Development Councils and Halqa Panchayats as it considers appropriate;
 - (ii-a) to receive all Block Level Plans and consolidated panchayat Plans from Block Development Council; compile, consolidate and integrate all plans into the District Plan and forward to the District Planning Committee which shall form the basis for the District Plan.”;
- (d) omit clause (iii) and clause (iv).

For section 47, substitute-

- Staff and property and finance.** 47. (1) Subject to such rules as may be prescribed in this behalf, the District Development Council may employ such staff as is necessary for carrying out the duties imposed on it by this Act.
- (2) The District Development Council shall pay the remuneration to such staff out of its own resources.
- (3) The Government may also provide the staff to the District Council as required carrying out the purposes of this Act.
- (4) Every District Development Council shall have a fund to be called the District Development Council Fund comprising grants by the Government and own resources.
- (5) The District Development Council shall have powers to acquire, hold or dispose of property or enter into a contract in accordance with the rules prescribed.

Insertion of new Chapter-

After Chapter XII, insert-

“Chapter XII-A**District Planning Committee**

- District Planning Committee.** **47A.**(1)For every District, there shall be a District Planning Committee comprising of the following, namely—
- (i) Members of Parliament representing the area
 - (ii) Members of the State Legislature representing the areas within the District.
 - (iii) Chairperson of the District Development Council of the District.
 - (iv) Chairpersons of the Town Area Committees/Municipal Committees of the District;
 - (v) President of the Municipal Council/Municipal Corporation, if any;
 - (vi) District Development Commissioner;
 - (vii) Additional District Development Commissioner;
 - (viii) District Statistics and Evaluation Officer;
 - (ix) Chief Planning Officer;
 - (x) All District Level officers shall be ex-officio members of the Committee.
- (2) The Member of Parliament representing the area shall be the Chairperson of the Committee.

Functions of District Planning Committee.

47B. The District Planning Committee shall perform the following functions:-

- (i) to consider and guide the formulation of development programmes for the District and indicate priorities for various schemes and consider issues relating to the speedy development and economic upliftment of the District;
- (ii) to function as a working group for formulation of periodic and annual plans for the District;
- (iii) to formulate and finalise the plan and non-plan budget for the District.”.

Section 52.-

For “Government” wherever occurring substitute “Government or any other officer specially empowered or authorised in this behalf”.

Section 55. -

- (i) In sub-section (1), for “Ranbir Penal Code, Samvat 1989” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”; and
- (ii) in sub-section (2), for “Judicial Officers Protection Act, 1971” substitute “Judicial Officers Protection Act, 1850 (18 of 1850)”.

Section 62.-

For “fifteen years of age” substitute “eighteen years of age”.

Section 64.-

For “section 488” substitute “section 125”.

Insertion of new Section -

After section 79, insert –

Government’s power to specify role of Halqa Panchayats, etc.

79A.(1)The Government may, by general or special order, specify from time to time, the role of Halqa Panchayats, Block Development Council and District Development Council, in respect of the programmes, schemes and activities related to the functions specified in the Schedules, in order to ensure properly coordinated and effective implementation of such programmes, schemes and activities.

(2) The Government may, by notification, in the Official Gazette add any activity, programme or scheme to those covered by or mentioned in Schedules, and on the issue of such notification, the Schedules shall be deemed to have been amended accordingly and every such notification shall be placed before the Legislative Assembly.”.

Schedule.-Omit entry (F); and, for entries (B), (C), (D), (E) and (I) respectively substitute -

- “(B) Offences under the Cattle Trespass Act, 1871.
- (C) Offences under the Vaccination Act, 1880.
- (D) Offences under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.
- (E) Offences under the Public Gambling Act, 1857.
- (I) Offences under the Dowry Prohibition Act, 1961.” .

Insertion of new Schedule-

After the existing Schedule insert -

“SCHEDULE I-A

(See section 12)

GENERAL

- I It shall be the duty of the Halqa Panchayat, to meet the requirements of the Halqa Panchayat area, subject to availability of funds, in respect of the matters enumerated in this Schedule and also as elaborated in the responsibility mapping in respect of Halqa Panchayats.
- II Subject to the other provisions of this Act and the guidelines and with the assistance of the Government, financial, technical or otherwise, the Halqa Panchayat shall have the power to administer the matters enumerated in this Schedule and to prepare and implement schemes relating thereto for development and social justice purposes, and planning and implementation of all Centrally Sponsored Schemes in the Halqa Panchayat which are in operation or to be launched by the Government of India, as the case may be, shall also be the responsibility of the Panchayats.
- III Halqa Panchayat shall prepare the plans for and to implement all schemes in accordance with the provisions contained in the guidelines of the schemes and instructions issued by the Government of India and the Union territory Government from time to time.
- IV. The Halqa Panchayat shall carry out its functions in accordance with the set of guidelines for estimation of the projects as well as expenditure sanction issued by the Government.

(A) General Functions-

- (i) Preparation of annual plans for the development of the Panchayat area in general and separately under all schemes and programmes as per the targets assigned by the District Planning and Development Board (DP&DB).
- (ii) Preparation of annual budget.
- (iii) Providing relief in natural calamities.
- (iv) Removal of encroachments on public properties.
- (v) Organising voluntary labour and contribution for community works.
- (vi) Maintenance of essential statistics of the villages.
- (vii) Identification of beneficiaries for all beneficiary oriented programmes and schemes.
- (viii) Repair, maintenance and upkeep of all Government assets.
- (ix) Supervision and inspection of all primarily level institutions like primary schools, primary health centers, primary veterinary centers, veterinary dispensaries, artificial insemination centres, first aid centers, etc.
- (x) To act as Grievance Redressal Forum for the Halqa Panchayat.
- (xi) To undertake constructions from Halqa Panchayat fund (own resources) within the area of the Halqa Panchayat.
- (xii) To undertake awareness generation and mobilisation of community for all Government priority areas like sanitation, renewable energy, sex ratio improvement, skill development, water conservation, waste to energy, financial inclusion, etc as prescribed from time to time.

(B). Specific Functions-

1. Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Sheep Husbandry and Fisheries-

- (i) Preparation of and supervision of activities under a comprehensive village horticulture, agriculture, sericulture plan in consultation with Halqa Majlis (Gram Sabha) so as to increase production.
- (ii) Preparation of annual plans and identification of beneficiaries under Agricultural Technology Management Agency scheme, Mission for Integrated Development of Horticulture scheme, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Blue Revolution, Pradhan Mantri Krishi Sinchayojana or any other scheme in force or introduced in future and their submission to Block Development Council.
- (iii) Preparation of plans regarding development of waste lands and grazing lands to ensure optimum utilisation of land.
- (iv) Establishment and maintenance of nurseries with Halqa Panchayat funds (own resources).
- (v) Preparation, recommendation and supervision of plan for farm mechanisation.
- (vi) Preparation and supervision of plans for soil, water conservation and seed protection.
- (vii) Preparation of watershed management plans and their implementation.
- (viii) Supervision of agriculture insurance plans and their implementation.
- (ix) Facilitate agriculture and horticulture extension activities including farm schools, exposure visits, crop protection and pest management campaigns, demonstrations, etc.

- (x) Supervise preparation of loss statements in the event of disasters.
- (xi) Distribution of inputs.
- (xii) Promote the formation of milk, wool, poultry farming and cooperative societies.
- (xiii) Monitoring and supervision of milk collections centers and societies.
- (xiv) Identification of sites for establishment and management of public market facilities (mandies) at Halqa Panchayat for promotion of rural farm products, craft products and display of market prices at such mandies.
- (xv) Regulation and conduct of fairs and festivals including cattle fair.
- (xvi) Providing storage and cold storage facilities for agro and horticulture products.
- (xvii) Facilitate farmers for direct marketing and e-marketing of agriculture and horticulture produce.
- (xviii) Preparation of plan to enhance milk, broiler and egg production and its by-products.
- (xix) Facilitate hand holding of private entrepreneurs.
- (xx) Promote collaborative cooperative model for dairy farmers.
- (xxi) Promote fodder development, vermi-composting and organic farming in the area.
- (xxii) Supervision of Primary Veterinary Centers, Veterinary Dispensaries and First Aid Centers.
- (xxiii) Construction and maintenance of buildings of the Department in the panchayat areas, wherever transferred to the Halqa Panchayats.
- (xxiv) Identification of fish farmers for training in fish culture and arranging their training with the assistance of Department of Fisheries.

2. Public Health Engineering, Irrigation and Flood Control Department-

- (i) Planning, construction, renovation and maintenance of all minor irrigation projects with 0-5 hectares area within the Halqa Panchayat area.
- (ii) Maintenance and implementation of timely and equitable distribution and full use of water of all such minor or micro irrigation projects within 0-5 hectares at Halqa Panchayat level.
- (iii) Development of plan for and implementing ground water recharging and rain water harvesting schemes and projects.
- (iv) Mapping and management of records of all water sources within the Halqa Panchayat area.
- (v) Maintenance of hand pumps through manpower provided by the Department.
- (vi) Maintenance of irrigation channels and khuls.
- (vii) To take measures for prevention and control of water pollution.
- (viii) Identification and supervision of potential or existing schemes.
- (ix) Preparing a chlorination roster for all water supply schemes and reservoirs within Halqa Panchayat area and ensuring display of dates of chlorination.
- (x) Collecting the required data and information for planning on quality and coverage of drinking water schemes.
- (xi) Maintenance of traditional drinking water sources.
- (xii) Collection of water samples from drinking water sources for testing.
- (xiii) Assisting authorities to regulate over exploitation of ground water.
- (xiv) Collection of user charges, where necessary.
- (xv) Maintenance of piped water supply schemes to the extent transferred to the Halqa Panchayats.
- (xvi) Provision and maintenance of water purification devices in schools, anganwadi centers and health institutions out of own resources.

3. Forest and Social Forestry-

- (i) Afforestation on waste land.
- (ii) Development of social forestry and farm forestry, disposal of social forestry produce.
- (iii) Growing trees for cattle feed, fire wood and fruits.
- (iv) Implementation of farm forestry.
- (v) Establishment of nurseries and their management.
- (vi) Management of minor forest produce excluding reserved forest, protected forest and wild life protected area.
- (vii) Planning and implementation of social forestry and farm forestry projects.
- (viii) Planting and preservation of trees on the road side and other public places under control of Halqa Panchayat.

- (ix) Protection of forest area from encroachments and reporting of any illegal activity to the concerned officer or official.
- (x) Identification of sites for the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) or afforestation activities under different schemes/plans.
- (xi) Supervision and protection of wild life.
- (xii) Constitution of fire protection committees to assist Forest Department in extinguishing forest fires in coordination with the local people.

4. Tourism-

- (i) Identification and proposing development of tourist spots in the Halqa Panchayat area.
- (ii) Facilitation of tourism activities.
- (iii) Providing and maintenance of basic amenities at tourist centers entrusted to Halqa Panchayat.
- (iv) Collection of entry fees, parking fees other than at places maintained by Archaeological Survey of India or by other local authorities or Government Departments.

5. Public Works (Roads and Building Department)-

Planning and construction of works transferred to Halqa Panchayats.

6. Rural electrification, power and energy-

- (i) Installation and maintenance of streetlights at public streets and places.
- (ii) Planning, establishment, maintenance and promotion of small conventional and non-conventional energy units like solar, including roof top solar panel installation, biogas, wind mill and micro hydro-electricity plants with Halqa Panchayat funds.
- (iii) Sale of excess non-conventional energy to others.
- (iv) Identification of left out houses and new constructions for electrification.
- (v) Collection of user charges on behalf of Power Development Department on an incentive basis to be decided and notified and ensuring 100% metering in its area.

7. Disaster management-

- (i) Conducting survey to identify disaster prone localities.
- (ii) Creation and maintenance of disaster management facilities.
- (iii) Identification of local resources in the form of manpower and funds to meet the eventuality of disaster.
- (iv) Creation of disaster management committees at village level; identification and registration of civil defense personnel.
- (v) Identification of youth for disaster management training.
- (vi) Providing relief and compensation to victims of disasters with Halqa Panchayat's own resources and as per guidelines issued by the Government.

8. Libraries-

Creation, management and monitoring of Halqa Panchayat level libraries and reading rooms including providing of seating facilities, books and their computerisation through own resources.

9. Sports and Cultural Activities-

- (i) Establishment and maintenance of play fields inside schools and on village lands.
- (ii) Protection and reviving cultural activities at Halqa Panchayat level.
- (iii) Promotion of youth clubs.
- (iv) Assisting poor and indigent artists.
- (v) Maintenance of communal and religious harmony.
- (vi) Construction and management of cultural centers, community halls and open air theatres at Halqa Panchayat and cluster level.
- (vii) Organisation of youth festivals and sport events, art and culture events, plays and dramas at Halqa Panchayat and cluster level.
- (viii) Providing life skill education, leadership training and conducting recreational activities for youth.

10. Health and Family Welfare Department-

- (i) Forwarding of proposals and getting sanctions from competent authority for the establishment of dispensaries and health sub-centers at Halqa Panchayat level.

- (ii) No Objection Certificate for Licensing of eateries and entertainment establishments.
- (iii) Management of stray dogs, street dogs and stray cattle; identification of sites for management of animal pounds.
- (iv) Implementation of preventive and remedial measures against epidemics.
- (v) Monitoring of maternity and child welfare centers and ensure 100% vaccination of all children and pregnant ladies.
- (vi) Regulation of sale of meat, fish and other perishable food articles.
- (vii) Constitution of “Health and Family Welfare Advisory Committee” consisting of Panch of village, ward, opinion leaders, trained birth attendant, Male and Female Health Worker, Accredited Social Health Activist (Member Secretary), Government employees and honorarium paid-staff viz. school teacher, Anganwadi worker, etc, women Self Help Group and Community based organisation representatives, etc to oversee the functioning of each Health institution and improvement thereof and to ensure that the functionaries of the sub-centres are residing at the place of posting, and the committee shall be chaired by Sarpanch of the Halqa Panchayat in whose area the institution falls and the committee shall submit a Quarterly Accountability Report to the Block Development Council.
- (viii) The above committee shall also function as Village Health Sanitation and Nutrition Committee under National Health Mission and the funds allocated to the Village Health Sanitation and Nutrition Committee under National Health Mission shall be operated through a joint account held by Panchayati Raj Institution member and Accredited Social Health Activist as provided under National Health Mission guidelines.
- (ix) Registration of all pregnant ladies with the nearest health centre through Accredited Social Health Activist and ensuring that anti-natal and post-natal care and benefits under Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu Suraksha Karyakram are extended to the mother and child.
- (x) Supervising and facilitating “School Health Checkup Programmes” under Rashtriya Bal Swasthya Karyakram or any other scheme and monitoring that all children recommended for next level of care avail of the same.
- (xi) Chlorination of wells and bowlies; cleaning of roads and drains; sanitation and restrain of stray dogs and cattle. [(As per the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960)].
- (xii) Reporting the outbreak of Gastroenteritis, malaria, dengue or any other epidemic or disease outbreak and starting measures for containment with the assistance of Health Committees.
- (xiii) Educating the community for adopting Family Planning methods, immunisation etc and organising camps thereof.
- (xiv) Reporting of births and deaths.
- (xv) Identify sub-centre for up-gradation to Health and wellness centers under Ayushman Bharat and monitoring of services provided by them.
- (xvi) Introduction of Participatory Rural Appraisal (PRA) for all Health Programmes and their proper implementation.
- (xvii) Field visit report to be submitted to Block Development Council on monthly basis.
- (xviii) Creating awareness about health programmes and healthy lifestyles.
- (xix) Support to mobilize beneficiaries for 100% Non Communicable Diseases screening.
- (xx) Review of utilisation of grants given to Village Health Sanitation and Nutrition Committees and Sub health Central level Ayushman Bharat and Wellness centres and extending additional financial support to maintain and upgrade the healthcare facilities in the Halqa Panchayat.
- (xxi) Support to create open spaces for physical activities, open gym, yoga, etc.
- (xxii) Making Halqa Panchayat tobacco/alcohol free.
- (xxiii) Planning and periodical review of the status of Implementation of Disease Control Programmes especially TB, Viral hepatitis and Leprosy.

11. Social Welfare Department-

- (i) Identification of beneficiaries and implementation of the Supplementary Nutrition Programme under the Integrated Child Development Scheme.
- (ii) Identification of sites for construction of Anganwadi centres.

- (iii) Supervision and management of Anganwadi centres to the extent transferred to Halqa Panchayat.
- (iv) Construction, repair and renovation of buildings for Anganwadi Centers to the extent transferred to Halqa Panchayat.
- (v) To coordinate with Mahila Mandals in smooth functioning of the Programme.
- (vi) Identification of beneficiaries under Pradhan Mantri Matriitva Vandana Yojna (PMMVY) and Scheme for Adolescent Girls (SAG)
- (vii) Identification of beneficiaries under National Social Assistance Programme (NSAP) and Integrated Social Security Scheme (ISSS); verification of existing pensioners and weeding out of dead and non-eligible cases.
- (viii) To disburse all payments under NSAP and ISSS.
- (ix) Identification of beneficiaries for Bal Ashrams and Nari Niketans and other child care institutions.
- (x) Identification of children in need of care and protection under Integrated Child Protection Scheme through child welfare committees and District Child Protection units.
- (xi) Co-ordinate with Block Development Council in execution of schemes for the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities, Disabled, Old aged , Destitutes, Widows and Children.
- (xii) Identify discriminatory practices against Scheduled Castes and Scheduled Tribes and report to Block Development Council, District Planning and Development Board and concerned authorities for action.
- (xiii) Identify the Scheduled Caste and the Schedule Tribe basties and suggest measures for their socio-economic upliftment.
- (xiv) Coordinate with Block Development Council and District Planning and Development Board in creating awareness among the people about the ill effects of drug abuse, female feticide and domestic violence and also implementation of all schemes including Poshan Abhiyan, Ladli Beti, One Stop Centre, Beti Bachao Beti Padhao or any other scheme introduced in future .
- (xv) Coordinate with Block Development Council and District Planning and Development Board in creating awareness among the people about laws enacted to prevent domestic violence against women.

12. Consumer Affairs and Public Distribution Department-

- (i) To act as grievance redressal agency and issue directives to Fair Price Shops and Government Sale Centres as and when required.
- (ii) To identify and recommend elimination of bogus ration cards and issue new ration cards.
- (iii) Supervise functioning of the Fair Price Shops and Government Sale Centres under the jurisdiction of the Halqa Panchayat.
- (iv) To assist Block Development Council in preparing plans of action to link Public Distribution System with Integrated Child Development Scheme, Mid-Day Meals Schemes, etc.
- (v) Identification of beneficiaries under different categories on yearly basis i.e. Antyodaya Anna Yojana, Priority Household, Non Priority Household and deletion.
- (vi) Recommend opening of new fare price shops and kerosene oil depots wherever required.

13. Rural Development Department-

(a) General Functions-

- (i) Cleaning and preservation of public roads, drains, bathing ghats, tanks, wells, ponds and other public places.
- (ii) Establishment and maintenance of burial and cremation grounds.
- (iii) Lay emphasis on natural resource management works, water conservation, watershed management, vermi- composting, etc.
- (iv) Construction and maintenance of cattle farm, community cattle sheds, pounds, village bus stand, rickshaw stand, taxi, auto stand, cart stand, slaughter houses and commercial complexes and collection of user fee for the purpose.

(b) MGNREGA-

- (i) Preparation of labour budget, shelf of projects and Annual Action Plan in coordination with Gram Sabha through regular Gram Sabha meetings and implement Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in the Halqa Panchayat strictly as per guidelines prescribed.
- (ii) Execution of works in accordance with the Annual Action Plan and District Convergence Plan approved by District Planning and Development Board (80% of the district plan to be devolved to Panchayats and 20% to the District Development Commissioner for Inter Panchayat works).
- (iii) Convening the Halqa Majlis (Gram Sabha) for social audit under the scheme and providing all information to the social audit team required for audit.
- (iv) Receiving applications for job cards and labour demand for work and issuing dated receipt against the same.
- (v) Issuance of job cards to the households within one month of application.
- (vi) Ensuring the applicants who demand labour get work within the statutory period of fifteen days and pay unemployment allowance from own funds in case of failure to do so.
- (vii) Ensuring preparation of Muster-sheet within fifteen days of start of work and preparation of fortnightly Muster sheets thereafter.
- (viii) Ensure wage payment to wage seekers within fifteen days of preparation of muster-sheets and pay delay compensation from own resources in case of failure to do so.
- (ix) Organisation of Gram Rozgar Diwas on the 1st of every month and Mahila Mazdoor Diwas on the 15th of every month.
- (x) Provision of work site facilities like drinking water, first aid and child care facilities in case of ten children or more being present on site, etc.
- (xi) Accord administrative approval for and make payments for the works under Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Act as per rules prescribed.
- (xii) Act as custodian of all panchayats related records and ensure maintenance of Panchayat Asset Register, case records for each individual work and Registers as prescribed under Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.
- (xiii) Maintenance of 60:40 (labour material ratio) at GP level under Mahatama Gandhi National Rural Employment Gurantee Act.
- (xiv) Awareness generation and social mobilisation under scheme.
- (xv) Registration of vendors for supply of key material viz. sand, stone and bajri at Gram Panchayat level.

(c) Rural Sanitation (SBM)-

- (i) Development of health and sanitation policy and its implementation.
- (ii) Planning and implementation of Halqa Panchayat level sanitation programme for households, public places and all local institutions and collection of user charges for the same where necessary.
- (iii) Sensitisation of community towards maintenance of sanitation and Solid, Liquid Waste Management (SLWM) and waste to energy.
- (iv) Identification of land and establishment of Solid Liquid Waste Management Unit in consultation with Union territory Technical Advisory Committee, District Water and Sanitation Committee and Block Level Committee.
- (v) Collection, segregation and transport of solid waste to multi village solid waste management plants.
- (vi) Construction and maintenance of individual, community toilets and bathrooms and sanitary complexes.
- (vii) Disposal of unclaimed corpses and carcasses, regulation of curing, tanning and dyeing of skins and hides.
- (viii) Survey of quantity and type of waste generation and assessment of demand for establishment of Solid Liquid Waste Management Unit.
- (ix) Sensitisation and policy planning about menstrual health; implementation and construction of pink toilets; regular refilling and operation and maintenance of vending machines and incinerators in pink toilets.

(d) Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)-

- (i) Verification of PMAY Socio Economic Caste Census lists through Halqa Majlis (Gram Sabhas) and set priorities for grant of houses.
- (ii) Identification and uploading of non-Socio Economic Caste Census beneficiaries into Awaas plus software.
- (iii) Prepare special lists for disaster affected families within the Socio Economic Caste Census list.
- (iv) Identification of persons for mason training and ensure conduct of mason trainings as per guidelines.
- (v) Ensure timely sanction of houses and disbursal of installments to the beneficiaries and all beneficiary funds under PMAY shall be devolved to the Halqa Panchayats
- (vi) It shall be responsibility of the Panchayats to ensure completion of houses within nine months of disbursal of first installment.

(e) IWMP-

- (i) Identification of water shed areas, ponds, barren lands,etc for development under Integrated Watershed Management Programme.
- (ii) Creation of Water Shed Development Committees in the project area through Halqa Majlis (Gram Sabha).
- (iii) Identification of works to be taken up under Water Shed Project Area.
- (iv) Execution of works at the Panchayat level through Water Shed Development Committees.

14. Education Department-

- (i) Ensure 100% enrolment of school age children in Primary Schools and ensure transition of students from one class to another without drop-out incidence.
- (ii) Oversee the utilisation of School Maintenance Grant (SMG), Teaching Learning Material (TLM) and Teacher Learning Equipments (TLE) as per norms in Primary Schools.
- (iii) Oversee and monitor the distribution of study material, uniform and scholarships to the target group students in Primary Schools.
- (iv) Preparation and distribution of Mid-Day-Meal in Primary Schools through local Self-Help Groups (SHGs), Non-Governmental Organisations and Community Level organisations for which the funds shall be transferred to Panchayats and the Halqa Panchayat shall also ensure weekly quality check of the Mid-Day-Meal through designated agencies and take immediate action, if any, adverse reports are received.
- (v) Ensure regular meetings of the Village Education Committees and School Management Committees at Primary School level and report on their functioning.
- (vi) Assess and plan requirement of drinking water and toilet facilities in Primary Schools and ensure it is met.
- (vii) Monitor regular attendance of Primary School and Middle School teachers, non-teaching staff and students and report to ZEO,CEO and DDC.
- (viii) Construction of Primary and Middle Schools to the extent transferred to Halqa Panchayat.
- (ix) Planning, establishment and management of hostels for backward classes and groups, girls, specially abled, minority groups and orphans at Primary School level through NGOs, SHGs and community level organisations.

15. Revenue Department-

- (i) To assist the Local Administration in periodic updating of land records relating to actual status of village common lands, waste land, Kacharai land, water ways, roads and embankments and to assist in encroachment removal.
- (ii) Ensure that the Patwari pastes his monthly working chart on the notice board of Patwar Khana and Panchayat Ghars indicating the working days he will visit the Panchayat Halqa areas.
- (iii) The concerned Halqa Panchayats will ensure that all eligible Kisans are issued Kisan Pass Books as required under the Jammu and Kashmir Land Revenue Act and that the same are updated regularly by the concerned Revenue Field Functionaries.
- (iv) To act as a grievance redressal mechanism in case of any difficulty being faced by the land owners in getting the extracts of revenue records and refer the matter to the concerned Tehsildar or Sub-Divisional Magistrate or District Collector directing the concerned Patwari to issue the revenue records through, Panchayat, as early as practicable.

- (v) Providing necessary assistance to the Administration in providing relief to the effected families and persons in case of disaster.
- (vi) To report regarding wrong entries in revenue records, malpractices, tampering of records and land conversion to the Tehsildar, SDM or District Collector or higher authorities, as the case may be
- (vii) Assisting the local administration and revenue functionaries in periodic updating of land records viz-a-viz changes in the situation on ground through the conduct of the annual girdawari, preparation of jamabandi and all other revenue documents.
- (viii) Identification of landless families for allotment of land under any prevalent scheme.

16. Issue of Certificates-

- (i) Issue of No Objection Certificate for Geology and Mining Department activities, electrification, biodiversity, land conversion, licenses for home stay, resorts, bar and restaurants, hotels, liquor shops, burial and cremation grounds, crematoriums, slaughter houses, etc.
- (ii) Issuance of birth, death, character, dependent, marriage certificates and ration cards in accordance with procedure as notified by the Government from time to time.

17. Statistics and Planning-

- (i) Collection, tabulation and updating of all statistics relating to the village.
- (ii) Setting up of teams and committees for preparation of perspective plans and Annual Plans in accordance with statistics collected.

18. Co-operation -

Preparation and implementation of programmes to popularise and strengthen cooperative activities.

19. Rural Environment and Ecology-

- (i) Planning and implementation for protection and preservation of rural environment and ecology in conformity with National and Union territory policy.
- (ii) Establishment of Gram Panchayat biodiversity management committee.
- (iii) Preparation of Peoples Biodiversity Register.
- (iv) Preparation and implementation of plans and programmes for the Biodiversity Act, 2002.
- (v) Protection of ecologically sensitive areas.
- (vi) Preparation and implementation of plans for the protection of environment.
- (vii) Maintenance of parks and regulation of manure pits in public places.

20. Knowledge Management-

- (i) Collection and compilation of household data and maintaining database.
- (ii) Recording of the history, culture and heritage of the village.
- (iii) Conducting surveys and studies to determine the human development of the village.
- (iv) Periodical calculation of human development index.
- (v) Making available all data to the people of Halqa Panchayat.
- (vi) Awareness generation and Information, Education and Communication activities for all Government schemes.

21 . Community Asset Management-

- (i) Protection, conservation and management of community assets within the Halqa Panchayat area, their mapping, measurement, comprehensive documentation and maintenance.
- (ii) Systematic documentation and protection of records of all assets such as ponds, water grooves, canals, agriculture pits, wells, bore-wells and other wells, pastures, forests, plantations, etc.

SCHEDE 1-B

(See section 26)

1. As per the provisions of this Act, Halqa Panchayat shall have the powers to carry out various duties and functions for the Socio-Economic Development and Social Justice of the area, and for this Halqa Panchayat requires staff for providing necessary help and guidance in carrying out the duties imposed on it by this Act.
2. Every Halqa Panchayat shall have a Member Secretary who shall be an employee of the Rural Development and Panchayati Raj Department (to be specified by the Department).

3. The employees of the Departments contained in the Schedule I-A associated with the implementation of the various schemes at Halqa Panchayat level shall be the staff of Halqa Panchayat for helping them in carrying out various functions as per the Schedule I-A which shall include Junior Agriculture Extension Officer, Rehbar-e-Zerat, Veterinary Pharmacist, Stock Assistant, Flock Supervisor, Stock Assistant, Extension Officer (Fisheries), Teacher, Rehbar-e-Taleem, Horticulture Technician, Junior Engineers, Supervisors of Engineering Departments and Pharmacists in sub-centre, Dispensaries, Asha Worker, Auxiliary Nurse Midwifery and Female Multipurpose Health Worker (FMPHW).
4. The dedicated staff engaged for the subject contained in the Schedule I-A under Centrally and Union territory Sponsored Schemes shall also be the staff of Halqa Panchayat:

Provided that the pay, dues and other allowances of the permanent staff shall be drawn and disbursed by the respective Department as per the procedure in vogue, and the Honorarium of the dedicated staff shall be drawn and disbursed by the Departments as per the procedure laid down in the guidelines by the respective Departments:

Provided further that the salary or honorarium (as applicable) of Village Level Worker, Auxiliary Nurse Midwife (ANM), Female Multipurpose Health Worker (FMPHW) Accountant-cum-Data Entry Operator, Aganwadi Worker, Helper and Asha Worker, shall be drawn by the Halqa Panchayat as per the prescribed procedure.
5. Halqa Panchayats may engage staff at its level only after formal sanction from the Government for such engagement.

SCHEDULE I-C

(See section 14)

1. Every Halqa Panchayat shall have a fund, to be called, the Halqa Panchayat Fund which shall be operated by the Secretary Panchayat and Sarpanch as per the procedure to be notified by the Department of Rural Development and Panchayati Raj.
2. As per the provisions of this Act, rules made thereunder and the Government directions issued from time to time, the Halqa Panchayat shall have the power to operate the fund strictly as per the procedure to be notified by the Government which shall include—
 - (i) funds related to the subjects contained in the Schedule I-A, including funds under centrally sponsored flagship schemes as transferred to the Halqa Panchayats by respective Administrative Departments;
 - (ii) grants of Union territory and Central Finance Commission;
 - (iii) outlays transferred to the Halqa Panchayat by the Government from time to time;
 - (iv) untied grants made available to the Halqa Panchayat by the Government to meet out the exigency of development works of Panchayat Halqas;
 - (v) own resources generated through building permission fee, annual charges and fee levied under section 15 and fee for the certificates issued, user charges collected, incentives and other sources;
 - (vi) the salary or honorarium (as applicable) of Village Level Worker, Auxiliary Nurse Midwife (ANM), Female Multipurpose Health Worker (FMPHW), Accountant-cum-Data Entry Operator, Aganwadi Worker or Helper and Asha Worker;
 - (vii) 80% funds under Annual Action Plan for Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.
 - (viii) 100% funds under PMAY (construction component only), Integrated Watershed Management Plan (works component only), Mid-day Meal, Integrated Child Development Scheme (Nutrition component only), National Social Assistance Plan and Integrated Social Security Scheme.
3. The Halqa Panchayats shall strictly follow the financial rules, instructions and guidelines issued by the Central and Union territory Government while utilizing the funds under different programmes.
4. Halqa Panchayats shall prepare a statement of annual accounts to be audited in the prescribed manner.
5. The guidelines prescribed by the Central Government or Union Territory Government shall be strictly adhered to while incurring expenditure on a scheme funded by Central Government or Union territory Government, as the case may be.

Schedule II-A
(See section 31)

- I It shall be the duty of the Block Development Council to meet the requirements of area in respect of the matters contained in this Schedule and also prepare plan of activity in respect of inter Halqa Panchayat areas and matters subject to the availability of funds under the various schemes.
- II Subject to the other provisions of this Act and directions and guidelines issued by the Government from time to time, the Block Development Council shall administer the matters contained in this Schedule and prepare plans and implement the schemes on the subjects specified herein for the economic development and social justice purpose.
- III The Block Development Council shall perform its functions strictly as per the guidelines for estimation of the projects as well as expenditure sanction issued by the Government.

(A). General Functions-

- (i) Preparation of Annual Plans in respect of the schemes entrusted to it by virtue of this Act and those assigned to it by the Government or District Planning and Development Board and their submission to the District Planning and Development Board within a prescribed time for integration with district plan.
- (ii) Consideration and consolidation of the Annual Plans of all the Halqa Panchayats in the Block and submission of the consolidated plans to District Planning and Development Board within a prescribed time for integration with District Plans.
- (iii) Preparation of the Annual Budget of the Block Development Council and its submission to the District Planning and Development Board.
- (iv) Assisting the administration in distribution of relief and compensation during the natural calamities and disaster.
- (v) Performing such functions and executing such works as may be entrusted to it by the Government or the District Planning and Development Board.
- (vi) Construction and upkeep of block level Government facilities as transferred.

(B) Specific Functions-

1. Agriculture, Animal, Sheep, Fisheries and Horticulture Department:-

- (i) Prepare agriculture plan in consultation with the field functionaries of the Agriculture Production Department, at Block level for submission to the District Planning and Development Board for approval.
- (ii) Consolidate demand received from Halqa Panchayats and submit to the District Planning and Development Board.
- (iii) Monitoring of agriculture extension activities.
- (iv) Monitoring of ongoing schemes under technical guidance of Departmental staff.
- (v) To ensure close surveillance of spread of diseases and timely liaison with the District Planning and Development Board or State Headquarter for control measures.
- (vi) Facilitating and supervising general and technical training at the Gram Panchayat level for preparation of comprehensive agricultural and horticultural plans.
- (vii) Maintenance of agriculture seed farms including Horticulture Nurseries.
- (viii) Conducting exhibitions of vegetable, fruits and other crops through Kisan Melas.
- (ix) Providing technical support to Gram Panchayats through technical personnel and trainings to increase the income from improved methods of cultivation and training of farmers.
- (x) Consolidation of data collected by Gram Panchayats and preparation of block level plans for agriculture and horticulture production.
- (xi) Monitoring the distribution of insecticides, pesticides and other inputs.
- (xii) Co-ordination in respect of policy planning of animal and sheep husbandry programmes at Block level.
- (xiii) To recommend holding of animal sterility and health camps.
- (xiv) To conduct exhibitions, livestock shows, animal fairs, milk yield competitions and calf rallies.
- (xv) Providing vaccines, medicines, medical aid to Gram Panchayat to take preventive measures to control epidemics and contagious diseases in animals.
- (xvi) Recommend measures for improvement of breed of Cattle, Poultry and other live stock.

- (xvii) Encourage promotion of cooperative societies for activities of Animal Husbandry, Dairies, Fisheries, marketing of agricultural, horticulture produce, etc.
- (xviii) Collection of demand and distribution of seedlings to the fish farmers through Halqa Panchayats with technical support of officials of the Fisheries Department.
- (xix) Monitoring and reviewing of all functions and activities entrusted to Halqa Panchayats.
- (xx) Coordinating with the Agriculture and Horticulture Department in assessing the demand and organising inputs, wherever made available by the department.
- (xxi) Coordinating with the Agriculture and Horticulture Department in organising farmers training camps, study tours, seminars, etc.
- (xxii) Organising of demonstrations on improved varieties and technology through the Departments.
- (xxiii) Ensuring conduct of Village-wise horticultural, agriculture ,animal and sheep census.
- (xxiv) Preparation of Action Plan for each inter panchayat water-shed through the concerned Department.

2. Consumer Affairs and Public Distribution Department-

- (i) Monitoring of the public distribution system including movement and availability of commodities.
- (ii) To take steps for identification and elimination of bogus ration cards.
- (iii) To co-ordinate in the establishment of linkage of Public Distribution System schemes with other welfare schemes.
- (iv) To send periodical reports and returns about Public Distribution System to the District Planning and Development Board.
- (v) Dissemination of information and to create awareness about Consumer Protection and Welfare schemes

3. Education Department-

- (i) To assess the drop-out position and initiate appropriate action to reduce it.
- (ii) Oversee the utilisation of School Maintenance Grants (SMG), Teaching Learning Material (TLM) and Teaching Learning Equipments (TLE) as per norms in Middle Schools.
- (iii) Assist in identification and enrolment of students for Government Middle Schools.
- (iv) Oversee distribution of study material, uniforms and scholarship to the target group students in Middle Schools.
- (v) Preparation and distribution of Mid Day Meal in Middle Schools through local Self Help Groups, Non-Governmental Organisations and Community level Committees for which the funds shall be transferred to Block Development Council and Block Development Council shall also ensure weekly quality checks of the Mid Day meals through designated agencies and take immediate action, if any, adverse reports are received.
- (vi) Oversee and report on the functioning of Village Education Committee (VECs) and School Management Committees (SMCs) at Middle School level.
- (vii) Assess and Plan requirement of drinking water and toilet facilities in Middle Schools and ensure that it is met.
- (viii) Promotion of adult literacy and planning and monitoring both conventional and non-conventional education at Block level.
- (ix) Coordinating Centrally and Union territory sponsored Programs relating to Education.
- (x) Construction and maintenance of Middle School Buildings as transferred by the Government.
- (xi) Promotion of social education through youth clubs and MahilaMandals.
- (xii) Planning, establishment, management of hostels at middle school level for backward classes and groups, girls, specially abled, minority groups and orphans.

4. Forest Department-

- (i) Preparation of action plans for afforestation in respect of lands identified by the Halqa Panchayats in consultation with concerned Range Officers and this will also include nursery raising.
- (ii) Monitor execution of micro plans through Halqa Panchayat as per approved physical and financial targets.

- (iii) Submission of periodical consolidated accounts and reports to District Planning and Development Board.
- (iv) Monitor cases of over exploitation and submit recommendations to Forest Department for its regulation.
- (v) Supervision of soil conservation works of Forest Department.
- (vi) Supervision of afforestation, plantation and nursery works within their area.
- (vii) Supervise the protection of wildlife and assist Wildlife Department in addressing Man-Animal conflict.
- (viii) Produce and distribute saplings and seedlings to Gram Panchayat when required from Block Level Nurseries for promotion of farm forestry.
- (ix) Conducting trainings and workshops for providing technical knowledge to Gram Panchayat in the field of fodder development and fuel plantation.
- (x) Planting and maintenance of trees on the sides of roads and other public lands under its control.

5. Health and Family Welfare Department-

- (i) Constitution of Health and Family Welfare Advisory Committees for Community Health Centers.
- (ii) To create awareness among the masses about the National Health Programmes by way of organising health and family camps, exhibitions and melas.
- (iii) Construction and maintenance of Community Health Centers, staff quarters and other health facilitates as transferred by the Government.
- (iv) To take all effective measures with the assistance of the health functionaries to control epidemics in the Block Development Council areas.
- (v) Promotion of immunisation and vaccination programmes and ensure that 100% children and pregnant woman are immunised.
- (vi) Establishment of a system and mechanism for continuous support to Gram Panchayat to manage health services and sanitation programmes.
- (vii) Setting up and managing facilities and centers for specially abled and mentally challenged people.
- (viii) Planning and implementation of family welfare programmes at Block Development Council level.
- (ix) Ensuring that all constructions, office and procedures within the Block are specially-abled friendly.
- (x) Review of Utilisation of grants given to Primary Health Centre level, Ayushman Bharat Health and Wellness Centres and extending additional financial support to maintain and upgrade the healthcare facilities in Halqa Panchayat.
- (xi) Support to create open spaces for physical activities, open gym, yoga, etc.
- (xii) Making Block Development Council are tobacco/alcohol free.
- (xiii) Planning and periodical review of the status of Implementation of Disease Control Programmes especially TB, Viral hepatitis and Leprosy and Malaria.

6. Industries and Commerce Department-

- (i) Assistance in the recovery of loans by Banks, Government Institutions and Departments.
- (ii) Provide information with regard to availability of skills in the area and future demand.
- (iii) Identify the locations and target groups in their respective area of operation where there is a potential of conducting Industrial Awareness Programmes, Entrepreneurship Development Programmes and awareness camps for artisans, weavers, craft persons, etc.
- (iv) Assist in the identification of beneficiaries under Prime Minister Employment Gurantee Programme and Jammu and Kashmir Employment Gurantee Programme.
- (v) Identify land for establishing Industrial Areas and Estates within their jurisdiction and submit the proposal to District Planning and Development Board for consideration.
- (vi) Organisation of conferences, seminars, training programmes and agricultural and industrial exhibitions.
- (vii) Establishment of mini industrial estates.
- (viii) Formation and implementation of self-employment schemes.

- (ix) Creation of input services and common facility centres for Gram Panchayat Clusters or for group of Gram Panchayats.
 - (x) Providing financial support to cluster level common facility centers.
- 7. Public Works Department-**
- (i) Monitoring of constructions by Halqa Panchayats and other agencies.
 - (ii) Identification of inter-panchayat link roads and their inclusion in the Block Development Council Plan.
 - (iii) Maintenance of such rural roads which may be transferred by Public Works Department to Block Development Council.
 - (iv) To keep vigil and bring to the notice of concerned authority of the Public Works Department the cases of gross mis-utilisation of funds, corrupt practices, etc., by the staff of the Department, contractors and sub-contractors while executing various schemes and the encroachments on the roads and other structures.
 - (v) Maintenance of any building or other property vested in Block Development Council.
 - (vi) Identifying black spots (frequent accident sites) and recommend remedial measures to the District Planning and Development Board.
- 8. Public Health Engineering and Irrigation and Flood Control Department-**
- (i) Identification of potential schemes including water harvesting covering more than one Halqa Panchayat within the jurisdiction of the Block Development Council.
 - (ii) To take measures for prevention and control of water pollution.
 - (iii) To keep vigil and bring to the notice of concerned authorities of all Departments the cases of gross mis-utilisation of funds, corrupt practices, etc. by the staff of the Departments, contractors and sub-contractors while executing various schemes.
 - (iv) Prevention and control of water pollution.
 - (v) Implementation of community and individual irrigation works.
- 9. Revenue Department-**
- (i) To help revenue officials in identification of landless and houseless families and persons for formulation of a policy regarding utilisation of waste and vacant Union territory land, identification thereof, which is, however, not required for any other public purpose at Block level.
 - (ii) Supervise the work entrusted in revenue matters to Panchayats and formulation of policy at the Block level for removal of encroachments on Union territory, Kahcharai, water bodies and common land.
 - (iii) Assistance to the legal machinery in conduct of legal proceedings (e.g. publication of notices in the entire area, identification of vacant Union territory land in different Halqa Panchayats areas, etc.)
 - (iv) To report regarding wrong entries in revenue record, malpractices, tampering of records and land conversion to the Tehsildar, SDM and Deputy Commissioner or higher authorities, as the case may be.
 - (v) Assisting the local administration and revenue functionaries in periodic updating of land records viz-a-viz changes in the situation on ground through the conduct of the annual girdawari, preparation of jamabandi and all other revenue documents.
- 10. Social Welfare Department-**
- (i) Guide and assist the staff of the Departments in implementing the various schemes in the Block Development Council area as per the guidelines of the schemes.
 - (ii) Assist in providing logistic support to facilitate smooth implementation of the programmes.
 - (iii) Coordinate with the District Planning and Development Board and Panchayats in implementation of schemes for the welfare of Disabled, Old Aged, Destitutes, Widows, Children, Minorities, SCs, STs and OBCs.
 - (iv) Coordinate with District Planning and Development Board in creating awareness among the people against social evils of drug abuse, female feticide and domestic violence and also in implementation of all schemes like Beti Bachao Beti Padhao and Ladli Beti, One Stop Centre, Pradhan Mantri Matriitva Vandana Yojana, etc.
 - (v) Organise camps for creating awareness among the women about the laws enacted to prevent domestic violence against women and promotion, implementation and monitoring of

programmes in relation to development and empowerment of women and children at Block level.

- (vi) Planning and management of hostels for the Schedule Castes, Schedule Tribes and backward communities, Bal Ashrams, Blind homes, Nari Niketan, One stop homes, juvenile justice homes and other such social justice institutions through Self Help Groups, Non-Governmental Organisations and Community level Organisations.
- (vii) To prevent, through awareness campaigns, social and cultural practices against the Scheduled Tribes, Scheduled Castes and backward communities which undermine freedom and dignity of individual and community.
- (viii) Monitoring old age, widow pension and pension for handicapped and disabled and scholarships by the Halqa Panchayats.

11. Tourism Department-

- (i) Identification and proposing development in inter Halqa Panchayats tourist spots in Block Development Council area.
- (ii) Promotion of tourism activities in Block Development Council.
- (iii) Providing basic amenities at tourist centers under the jurisdiction of Block Development Council.
- (iv) Development and maintenance of tourist attraction destinations under the ambit of Block Development Council to the extent of transferred to the Block Development Council.

12. Disaster Management-

- (i) Creation and maintenance of disaster management facilities at Block Development Council level.
- (ii) Creation of disaster management committees at Block level and identification and registration of civil defence committees.
- (iii) Identification of youth for disaster management training at Block level.
- (iv) Assisting district administration and Halqa Panchayat in providing relief and compensation to the victims of disasters.
- (v) Conduct of mitigation programmes with regard to disasters.

13. Libraries-

- (i) Creation, management and monitoring of libraries and reading rooms including providing of seating facilities, books, etc. at Block level.

14. Sports and Cultural Activities-

- (i) Organisation of art and culture programmes at inter-panchayat level.
- (ii) Promotion of youth clubs at Block level.
- (iii) Maintenance of communal and religious harmony.
- (iv) Construction and management of cultural centres, community halls and open air theatres at Block level for organising different inter-panchayat functions.
- (v) Organisation of youth festivals and other events at inter panchayat level.
- (vi) Providing of life skill education and leadership training and conducting recreational activities for youth at inter-panchayat level.

15. Rural Development Department-

- (i) Consolidation of Annual Action Plans of Halqa Panchayat under different schemes to the extent transferred as per the Schedule I-A and monitor and supervise the implementation of various programmes at the Halqa Panchayat level.
- (ii) Preparing and implementing of Inter-Panchayat Plans under different schemes to the extent transferred by the Government as per Schedule II-A.
- (iii) Monitor the distribution of job cards to the eligible households under Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.
- (iv) Monitoring and evaluation of all poverty alleviation programmes and coverage of women, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other beneficiaries through different programmes.
- (v) Organising the auction of the produce from the community assets to the extent powers are transferred by the Government as per the rules made therefor.
- (vi) Development and maintenance places for fairs, mandies and other events.

- (vii) Supervision and monitoring of rural sanitation programmes and their execution by the Halqa Panchayats.
- (viii) Prevention of misuse of community assets of the Block Development Council.
- (ix) Organise training and awareness camps for different schemes and programmes.
- (x) Monitor the use of community assets created under various Rural Development Schemes.
- (xi) Establishment and maintenance of solid and liquid waste management projects.
- (xii) Provide technical support to the Gram Panchayat.

16. Other Functions—

- (i) Facilitate promotion of Block level cooperative societies.
- (ii) Providing technical support to Gram Panchayats for the protection of environment and ecology.
- (iii) Collection and compilation of Block data and maintaining data base.
- (iv) Recording of the history, culture and heritage of the Block.
- (v) Conducting surveys and studies to determine the human development of the block.
- (vi) Periodical calculation of human development index.
- (vii) Making available all data to the people.
- (viii) Awareness generation and information, education and communication activities for all Government schemes.
- (ix) Maintaining all community assets vested in the Block as are transferred by the Government or any local authority or organisation.
- (x) Preservation and maintenance of community assets.

SCHEDULE II-B

(See section 31)

1. As per the provisions of this Act, the Block Development Council shall have the powers to carry out various duties and functions for the Socio Economic Development and Social Justice of the area and for this, the Block Development Council requires staff for providing necessary help and guidance in carrying out the duties imposed on it by this Act.
2. Every Block Development Council shall have a Member Secretary who shall be the Block Development Officer of the Rural Development and Panchayati Raj Department as contained in sub-section (3) of section 28 and the office of the Block Development officer shall function as the Block Development Council Secretariat.
3. The Block Level Officers of the Departments contained in the Schedule II-A associated with the implementation of the various schemes at Block level and providing technical guidance to the Halqa Panchayat for carrying out various duties shall be the staff of Block Development Council for helping them in carrying out various functions as per the schedule II-A including and not limited to Sub-Divisional Agriculture Officer, Live Stock Development Officer, Sheep Development Officer, Block Veterinary Officer, Tehsil Supply Officer, Inspector Legal Meteorology, Zonal Education Officer, Zonal Planning Officer, Head Masters or Head Mistresses of Middle Schools, Field Supervisor of Fisheries Department, Range officer, Horticulture Development Officer, Block Medical Officer, ANM, Medical superintendent, Female and Male Multipurpose workers of Community Health Centres, Assistant Handicraft Training Officer and Instructor of Industries and Commerce Department, Assistant Executive Engineers and Assistant Engineers of all Engineering Departments.
4. Dedicated staff engaged for the subject contained in the Schedule II-A under Centrally and Union territory Sponsored schemes functioning at Block level shall also be the staff of the Block Development Council:

Provided that the pay, dues and other allowances of the permanent staff shall be drawn and disbursed by the respective Department as per the procedure in vogue and the Honorarium of the dedicated staff shall be drawn and disbursed by the Departments as per the procedure laid down in the guidelines by the respective Departments.

5. Block Development Council may engage staff at its level only after formal sanction from the Government for such engagement.

SCHEDULE II-C**(See section 34)**

1. Every Block Development Council shall have a “Block Development Council Fund” which shall be operated by the Secretary Block Development Council (Block Development Officer) and Chairperson of the Block Development Council as per the procedure to be notified by the Government.
2. As per the provisions of this Act, the Block Development Council shall have the power to operate upon the “Block Development Council Fund” comprising of grants made by the Government under different schemes keeping in view the number of Halqa Panchayats in the Block and the funds assigned by the Government or the District Planning and Development Board.
3. The funds related to the subjects contained in the schedule II-A including funds under centrally sponsored flagship schemes transferred to the Block Development Council by respective Administrative Departments as per the procedure to be notified by the Government excluding funds transferred to Halqa Panchayats and the Block Development Council shall follow the financial rules, instructions and guidelines issued by the Central Government and Union territory Government while utilising the funds under different programmes.
4. Block Development Councils shall prepare a statement of annual accounts to be audited in the prescribed manner.
5. The guidelines prescribed by the Central Government or Union territory Government shall be strictly adhered to while incurring expenditure on a scheme funded by Central Government or State Government, as the case may be.”

SCHEDULE III**(See Section 46)**

- I. It shall be the duty of the District Development Council to meet the requirements of area in respect of the matters contained in this Schedule and also prepare plan of activity in respect of inter Block panchayat areas/matters subject to availability of funds under various schemes.
- II. Subject to the other provisions of this Act and directions/guidelines issued by the Government from time to time, the District Development Council shall administer the matters contained in this Schedule and prepare plans and implement the schemes on the subjects specified herein for the economic development and social justice within the area of its authority.
- III. The District Development Council shall perform its functions strictly as per the guidelines for estimation of the projects, expenditure sanction and implementation framework issued by the Government.
- IV. Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, by general or special order, entrust to the District Development Council, preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice.
- V. The Government may, by general or special order, add to any of the functions of District Development Council or withdraw the functions and duties entrusted to such a District Development Council, when the Union Territory Government undertakes the execution of any of the functions entrusted to the Council, and the District Development Council shall not be responsible for such functions so long as the Union territory Government does not re-entrust such functions to it.

VI. General Functions-

1. Promotion of measures to increase agricultural and horticulture production and to popularise the use of improved agricultural implements and the adoption of improved agricultural and horticulture practices, opening and maintenance of agricultural and horticultural farms and commercial farms, establishment and maintenance of godowns, conducting agricultural and horticultural fairs and exhibitions, management of agricultural and horticultural extension and training centres and training of farmers, planning and implementation of land improvement and Soil Conservation programmes entrusted by the Government.
2. Establishment and maintenance of veterinary hospitals, first-aid centres and mobile veterinary dispensaries, improvement of breed of cattle, poultry and other livestock, promotion of dairy farming, poultry and prevention of epidemics and contagious diseases.
3. Development of fisheries in irrigation works vested in the District Development Council, promotion of inland, brackish water and marine fish culture and implementation of fishermen's welfare programmes.
4. Construction, renovation and maintenance of minor irrigation works, providing for the timely and equitable distribution and full use of water under irrigation schemes under the control of the District Development Council, watershed development programmes and development of ground water resources.

5. Promotion of rural and cottage industries, establishment and management of training-cum-production centres, organisation of marketing facilities for products of cottage and village industries and implementation of schemes of Union territory Boards and All India Boards and Commissions for development of rural and cottage industries and promotion of small-scale industries, promotion of rural housing programme, and promotion of drinking water and rural sanitation programmes, promotion of social and farm forestry, fuel plantation and fodder development, management of minor forest produce of the forest raised in community lands and development of wasteland.
6. Construction and maintenance of district roads and culverts, causeways and bridges (excluding Union territory Highways and village roads) and construction of administrative and other buildings in connection with the requirements of the District Development Council, promotion and development of non-conventional energy sources, planning, supervision and monitoring the implementation of poverty alleviation programmes.
7. Promotion of educational activities in the district including the establishment and maintenance of primary and secondary schools, establishment and maintenance of orphanages and survey and evaluation of educational activities.
8. Establishment and maintenance of rural artisan and vocational training centres, encouraging and assisting rural vocational training centres, planning and implementation of programmes of adult literacy, skill development and non-formal educational programmes.
9. Management of hospitals and dispensaries excluding those under the management of the Government or any other local authority, implementation of maternity and child health programmes, implementation of family welfare programmes and implementation of immunisation and vaccination programme, promotion of programmes relating to development of women and children, promotion of school health and nutrition programmes and promotion of participation of voluntary organisations in women and child development programmes.
10. Promotion of social welfare programmes, including welfare of the handicapped, mentally retarded and destitute, promotion of educational, economic, social, cultural and other interests of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, protecting such castes, tribes and classes from social injustice and all forms of exploitation, establishment and management of hostels of such castes, tribes and classes and supervision and management of hostels in the district, distribution of grants, loans and subsidies to individuals and other scheme for the welfare of Schedule Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes.
11. Promotion of tourism activity, development and maintenance of tourist destinations and providing basic amenities at the tourist centres, organisation of art and culture programmes, promotion of youth clubs, organisation of youth/culture/sports festivals, maintenance of communal and religious harmony, organise trainings and awareness programmes, monitoring the implementation of various Rural Development Schemes and maintenance of assets created thereunder.
12. Creation and maintenance of disaster management facilities, conduct of disaster mitigation programmes, creation of disaster management committees and assisting District Administration in providing relief and compensation to victims of disaster.
13. Monitoring the public distribution system including movement and availability of commodities, distribution of grants, loans and subsidies to individuals and other scheme for the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, to take steps for identification and elimination of bogus ration cards, to coordinate in the establishment of linkage of Public Distribution System to the District Planning Committee, disseminate information and create awareness about Consumer Protection and Welfare schemes.
14. Maintenance of community assets vested in it or transferred to it by the Government or any local authorities or organisation, assisting the Government in the preservation and maintenance of other community assets, promotion of social and cultural activities, public distribution system, rural electrification, promotion of co-operative activities, promotion of libraries, conduct of social audit and such other functions as may be entrusted.
15. Cleaning and preservation of public roads, drains, bathing ghats, tanks, wells, ponds and other public places, lay emphasis on natural resource management works, water conservation, watershed management, vermi-composting, etc.
16. Collection tabulation, updating of all statistics relating to the district, setting up of teams/committees for preparation of perspective plans and Annual Plans in accordance with statistics collected, collection and compilation of household data and maintaining database, recording of the history, culture, heritage of the district, periodical calculation of human development index and awareness generation and Information, Education and Communication activities for all Government schemes.

17. Planning and implementation for protection and preservation of rural environment and ecology in conformity with National and State Policy, establishment of District biodiversity management committee, preparation of Peoples' Biodiversity Register, preparation and implementation of plans and programmes for the Biodiversity Act 2002, protection of ecologically sensitive areas and preparation and implementation of plans for the protection of environment.
18. To help revenue officials in identification of landless/houseless families/persons for formulation of a policy regarding utilisation of Waste/vacant State land, identification thereof, which is however, not required for any other public purpose at block level, supervise the work entrusted in revenue matters to Panchayats and Block Development Councils formulation of policy for removal of encroachments on State/Kahcharai/Water bodies/common land, assistance to the legal machinery in conduct of legal proceedings (e.g. publication of notices in the entire area, identification of vacant State land in different Halqa Panchayats areas etc.) and to report regarding wrong entries in revenue record, malpractices, tampering of records, land conversion to the Tehsildar/SDM/Deputy Commissioner or higher authorities, as the case may be.
19. The Government may assign to District Development Council, functions in relation to any matters to which the executive authority of the Government extends or in respect of the functions that have been assigned to it by the Central Government, and the Government may, by notification, withdraw or modify the functions assigned under this section.

VII. Preparation of Development Plans by District Development Council-

1. The panchayat at each level shall prepare every year a development plan for the next year in respect of the functions vested in it, for the respective panchayat area in the form and manner prescribed and it shall be submitted to the Block Development Council before the date prescribed which shall be called the Gram Panchayat Development Plan.
2. The planning process shall be initiated by the Panchayats on the 2nd of October every year and end on the 31st of December.
3. The village Panchayat shall prepare the development plan having regard to the plan proposals submitted to it by the Halqa Majlis who in turn shall prepare the plans in accordance with the plans formulated by the Ward Majlis.
4. In order to facilitate planning at the Panchayat level all the Departments whose subjects have been transferred to the Panchayat shall communicate to the Panchayat, the resources at its disposal for the next year, the scheme under which the funds are available and the sensitise the Ward Majlis, Halqa Majlis and the Halqa Panchayat about the norms to be followed for preparing the Plans.
5. The Halqa Panchayat shall submit the Gram Panchayat Development Plan to the Block Development Council before the date prescribed, and the Block Development Council shall consolidate all plans prepared by the Panchayats and submit the same to the District Development Council.
6. The District Development Council shall receive plans from Block Development Councils, scrutinise the same for adherence to the Government guidelines, norms and rules and submit the consolidated plan to the District Planning Committee who in turn shall submit the same to the Finance Department and the Administrative Department concerned, and the submission of the plans to the Administrative Departments/Finance Department shall be completed before the 31st of January without fail.
7. Where the District Planning Committee directs to make changes in the draft development plan on the ground that sector-wise priority and criteria for subsidy specified by the Government have not been followed or sufficient funds for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and development schemes have not been provided in the draft development plan or that the Scheme was prepared not in accordance with the provisions of this Act or rules, the District Planning Committee shall return the same to the panchayat though the District Development Council and the Panchayat shall be bound to make such changes.
8. The Council shall in addition to the annual and five year plans, prepare a perspective plan foreseeing a period of fifteen years, with special focus on spatial planning for infrastructure development and considering the resources and the need for further development and such plan shall be sent to the concerned District Planning Committee.

[F.No.11012/21/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.